नीति आयोग-

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

विषय-सूची

नीति आयोग: एक सिंहावलोकन

1. नीति आयोग का गठन और संरचना 06
2. नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य 07
3. प्रशासन और सहायता एकक 9
4. नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय
   - i विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) 10
   - ii नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेबलपमेंट (एनआईएलईआरडी)
   - iii प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद 11

नीति और कार्यक्रम ढ़ाचा

1. आकांक्षी जिला कार्यक्रम का परिवर्तन 14
2. पोषण क्षेत्र में सुधार 15
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार 17
4. कृषि क्षेत्र सुधार 19
5. उच्चत्तर शिक्षा सुधार 23
6. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार 24
7. भारत के स्वर्ण बाजार का परिवर्तन 25

निगरानी तथा मूल्यांकन

1. विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय 28
2. निष्पादन डैशबोर्ड
   - i चैंपियंस ऑफ चेंज: आकांक्षी जिले 33
   - ii पोषण 34
   - iii अटल टिंकरिंग लैब्स 35

iv एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 36

3. प्रमुख प्रदर्शन सूचकांक

i. एसडीजी इंडिया इंडेक्स 37

ii. भारत नवोन्मेष सूचकांक 43

iii. स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 44

iv. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 47

v. राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 47

vi. जिला अस्पताल सूचकांक 47

vii. राज्य उर्जा सूचकांक 48

सहयोगी संघवाद

1. पांचवीं शासी परिषद की बैठक 51
2. शिक्षा में परिवर्तनशील मानव पूंजी (एसएटीएच) के लिए संधारणीय कार्रवाई 53
3. राज्यों को विकास सहायता सेवाएँ (डीएसएसएस) 56
4. पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच 57
5. द्वीपों का समग्र विकास 60
6. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास 63

थिंक-टैंक गतिविधियां

1. ज्ञान का दायरा बढ़ाना

- फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को अपनाना: एआई स्ट्रेटेजी पेपर 67
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टेक: रणनीति और दृष्टिकोण परामर्श पत्र 69
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति 70
- रणनितिक संवाद

i. छठा भारत-चीन सामरिक आर्थिक संवाद 72

ii. पांचवा नीति- डीआरसी वार्ता 76

iii. सतत विकास संबंधी यूएन ईएससीएपी एशिया-पेसिफिक मंच 78

iv. सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच 80

v. नीति लेक्चर श्रृंखला 82
vi. अर्थशास्त्रियों की बैठक 83

- एनआईएलईआरडी

2. नवाचार को बढ़ावा देना

- अटल नवप्रवर्तन मिशन 89
- महिला उद्दमिता मंच 95

3. व्यापक रूप से जुड़ा होना 99
4. थिंक टैंक के साथ नेटवर्किंग 100

क्षेत्रीय उद्देश्य और उपलब्धियां

1. कृषि 106
2. कैरियर प्रबंधन गतिविधियाँ 108
3. चार्ट, मानचित्र और उपकरण प्रभाग 109
4. संस्कृति 111
5. डेटा प्रबंधन और विश्लेषण 111
6. विकेंद्रीकृत नियोजन 112
7. ऊर्जा 115
8. वित्तीय संसाधन 124
9. शासन तथा अनुसंधान 125
10. शासी परिषद सचिवालय 128
11. स्वास्थ्य तथा पोषण 129
12. मानव संसाधन विकास 133
13. उद्योग 136
14. सूचना और प्रसारण 138
15. अवसंरचना कनेक्टिविटी 139
16. भूमि और जल संसाधन 148
17. पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र 154
18. शहरीकरण का प्रबंधन 156
19. खनिज 161
20. प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण 162
21. राजभाषा विभाग (हिंदी अनुभाग) 166
22. संगठन पद्धति एवं समन्वय अनुभाग 168
23. परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग 170

24. संसद अनुभाग 174
25. सार्वजनिक निजी भागीदारी 176
26. आरटीआई सेल 182
27. ग्रामीण विकास 182
28. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 185
29. कौशल विकास और रोजगार 191
30. सामाजिक न्याय और अधिकारिता 193
31. राज्य समन्वय 197
32. सतत विकास लक्ष्य 199
33. पर्यटन 204
34. सतर्कता अनुभाग 205
35. स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ 206
36. महिला और बाल विकास 210

रिपोर्ट तथा प्रकाशन 217

नीति आयोगः ढ़ांचा

नीति आयोग का गठन और संरचना

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित 'थिंक टैंक' है, जो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए, केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, और जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

06 जून 2019 को, प्रधान मंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी।

नीति आयोग का वर्तमान संघटन

1. अध्यक्ष:
   श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री
2. उपाध्यक्ष:
   डॉ. राजीव कुमार
3. पूर्णकालिक सदस्य:
   i. डॉ. वी के सारस्वत
   ii. डॉ. रमेश चंद
   iii. डॉ. विनोद कुमार पॉल
4. पदेन सदस्य:
   i. रक्षा मंत्री - श्री राजनाथ सिंह
   ii. गृह मंत्री - श्री अमित शाह
   iii. श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री
   iv. श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री
5. विशेष आमंत्रिती -
   i. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री
   ii. श्री थावर चंद गहलोत - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
   iii. श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री
   iv. श्री राव इन्द्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य

राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करता हैः-

- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना।
- जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभांवित न हो पाने का जोखिम हो।
- कार्यनीतिक और दीर्घावधि नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से लिए गए सबक नवोन्मेषी सुधार में उपयोग किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी आवश्यक हैं।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृतिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
- विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना, जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करे।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता-निर्माण पर जोर देना।
- राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को दो मुख्य केन्द्रों- टीम इंडिया हब तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र के बीच विभाजित किया गया है। ये दोनों केन्द्र नीति आयोग की कुशल कार्यपद्धति का मुख्य आधार हैं। टीम इंडिया हब 'सहयोगपूर्ण संघवाद' को बढ़ावा देने तथा 'नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने' के अधिदेश को कार्यान्वित करता है। यह नीति आयोग को राज्यों के साथ इसके कार्यों के संबंध में अपेक्षित समन्वय और सहयोग प्रदान करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र का अनुरक्षण करने, सुशासन और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर अनुसंधान का भण्डार बनने तथा उन्हें हितधारियों तक पहुंचाने के साथ-साथ कालेजों, विश्वविद्यालयों, थिंक-टैंक और स्वदेशी तथा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों सहित समस्त प्रमुख हितधारकों को सलाह देने और भागीदारियों को प्रोत्साहित करने के अधिदेश की पूर्ति सुनिश्चित करता है।

टीम इंडिया हब में छह वर्टिकल और ज्ञान तथा नवोन्मेष केन्द्र में दस वर्टिकल शामिल हैं। इन वर्टिकलों की सूची निम्नानुसार हैः

1. प्रशासन, सामान्य प्रशासन और लेखा
2. कृषि और संबद्ध क्षेत्र
3. संस्कृति
4. आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण
5. विकेंद्रीकृत योजना
6. शासन और अनुसंधान
7. शासी परिषद सचिवालय और समन्वय
8. मानव संसाधन विकास
9. उद्योग
10. अवसंरचना-संपर्क
11. इन्फ्रास्ट्रक्चर-एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
12. प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण
13. परियोजना मूल्यांकन, सार्वजनिक निजी भागीदारी

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
15. सामाजिक न्याय और अधिकारिता
16. सामाजिक क्षेत्र- I (कौशल विकास, श्रम और रोजगार, शहरी विकास)
17. सामाजिक क्षेत्र- II (स्वास्थ्य और पोषण, महिला और बाल विकास)
18. राज्य समन्वय
19. सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण विकास
20. पर्यटन

प्रशासन और सहायता एकक

नीति आयोग में प्रशासन, नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर नोडल विभाग अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों और सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सभी पहलुओं अर्थात भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों के साथ-साथ इन मामलों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसको स्नातक-पूर्व छात्रों/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्रियों अथवा जो भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नामांकित अनुसंधान विद्वानों के लिए इंटर्नशिप स्कीम संबंधी जिम्मेवारियां भी सौंपी गई हैं।

वर्ष के दौरान, नीति आयोग प्रशासन ने फ्लेक्सी पूल में वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार के पांच पदों को परिचालित किया। उम्मीदवारों की छंटाई के बाद, एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए और परिणामस्वरूप, तीन लोगों का चयन किया गया। इन तीन उम्मीदवारों की नियुक्ति का प्रस्ताव एसीसी के अनुमोदन के लिए डीओपीटी को भेजा गया। तत्पश्चात, ज्ञान तथा नवोन्मेष हब में वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार के चार पदों को भी परिचालित किया गया।

इसके अतिरिक्त, उप-सलाहकार के पांच पद और संयुक्त सलाहकार के दो पदों को प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति की समग्र विधि द्वारा विज्ञापित किया गया। छंटाई और अपेक्षित दस्तावेज़ को पूरा करने की समग्र प्रक्रिया - संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति, अखंडता प्रमाण पत्र, एपीएआर आदि का कार्य पूरा किया गया और अक्टूबर 2019 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए। पदोन्नति आधार पर नियुक्ति हेतु यूपीएससी द्वारा अनुशंसित चार आंतरिक उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है और प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए बाहरी उम्मीदवार को प्रस्ताव पत्र जारी किया गया। इसके अलावा, फ्लेक्सी पूल में वरिष्ठ विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, वरिष्ठ सहयोगी और सहयोगी के 44 पदों को विज्ञापित किया गया।

प्रशासन ने अन्य विभागों और केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत संवर्ग पदों में विभिन्न अन्य रिक्तियों को भरने के लिए समय पर कार्रवाई भी की।

एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के नीति आयोग के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कार्मिकों को हायर करने हेतु वृहत लोचनीयता की आवश्यकता है, कौशलपूर्ण युवा

पेशेवरों (वाईपी)/परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं का होना अनिवार्य है। इन युवा पेशेवरों/ परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं को संचार, विकासात्मक नीति, अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, शहरी आयोजना, अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में भेजने की अपेक्षा की जाती है।

नीति आयोग ने 60 वाईपी, 12 इनोवेशन लीड्स, एक परामर्शदाता (संपादक) और दो सार्वजनिक नीति विश्लेषक के पदों के लिए संबद्धता प्रक्रिया पूरी की है। इसके अलावा, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग का संबद्ध कार्यालय, के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञ (वरिष्ठ सलाहकार), दो निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञ (सलाहकार ग्रेड- II) और छह निगरानी और मूल्यांकन लीड्स (सलाहकार ग्रेड- I) को हायर करने की प्रक्रिया जारी है।

टास्क-फोर्स रिपोर्ट की सिफारिशों और नीति आयोग के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, जीसीएस (शासी परिषद सचिवालय) पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, प्रोटोकॉल सहायक, स्टाफ कार ड्राइवर और विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के भर्ती नियमों को भारत के राजपत्र में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अलावा, फ्लेक्सी-पूल पदों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

नीति आयोग द्वारा 2016 में आरंभ की गई इंटर्नशिप स्कीम, दिनांक 22 नवंबर 2018 के संशोधित नीति इंटर्नशिप दिशा-निर्देशों के अनुसार 2019-20 तक जारी रही। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एक व्यापक इंटर्नशिप पोर्टल विकसित किया गया, जो नीति इंटर्नशिप स्कीम को विकेंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है और इसमें दक्षता और प्रभावशीलता लाता है। यह स्कीम भारत में या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में नामांकित अवर स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री करने वाले छात्रों अथवा अनुसंधान अध्येताओं को संलग्न करने का अनुसरण करती है। इन अध्येताओं को नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल/प्रभागों/एककों में भेजा जाता है।

नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय

तत्कालीन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) का विलय करके 18 सितंबर, 2015 को विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) का गठन किया गया था तथा नीति आयोग को सौंपे गए मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण कार्यों के अधिदेश की पूर्ति के लिए नीति आयोग के तत्वावधान में संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। (विस्तृत ब्योरा खण्ड ग: अनुवीक्षण और मूल्यांकर में उपलब्ध है)

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) नीति आयोग के अधीन एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। यह अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के नाम से

1962 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसकी महापरिषद के अध्यक्ष के रूप में और सीईओ, नीति आयोग कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में, शासन तथा अनुसंधान वर्टिकल के वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग संस्थान के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाले हैं। इस संस्थान के प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान, आंकड़े संग्रह करना, मानव पूंजी योजना के सभी पहलुओं में शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास, अनुवीक्षण और मूल्यांकन हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कई मामलों पर काम कर रही है। परिषद समय-समय पर आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री/प्रधान मंत्री कार्यालय को सलाह देती रही है। इसने मधुमक्खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट, एल एंड टी विशेष स्टील का वित्तीय पुनर्गठन और हैवी फोर्जिंग प्रा. लि., 2017-20 से तीन वर्षों के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) की निरंतरता, 2019-20 की अवधि के लिए लघु जल-शक्ति विकास कार्यक्रम की निरंतरता, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, अटल नवोन्मेष मिशन आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ईएसी-पीएम द्वारा देखे जाने वाले अन्य मुद्दों में औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जेंडर और चाइल्ड बजटिंग, अवसंरचना वित्त, स्वास्थ्य/शिक्षा/महिला और बाल विकास, क्षेत्रीय विनियामक प्राधिकरणों की समीक्षा/विलय, बीमा क्षेत्रक का दायरा बढ़ाना, कौशल विकास एवं रोज़गार और व्यवसाय विकास शामिल हैं।

दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, ईएसी-पीएम को 26 सितंबर, 2019 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक निम्नलिखित के साथ पुनर्गठित किया गया है:

1. डॉ. बिबेक देबरॉय: अध्यक्ष
2. श्री रतन पी. वाटल: सदस्य-सचिव
3. डॉ. आशिमा गोयल: अंशकालिक सदस्य
4. डॉ. साजिद चिनॉय: अंशकालिक सदस्य
5. श्री नीलकंठ मिश्रा: अंशकालिक सदस्य
6. श्री नीलेश शाह: अंशकालिक सदस्य
7. डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन: अंशकालिक सदस्य

नीति और कार्यक्रम ढांचा

नीति और कार्यक्रम ढांचा

1. आकांक्षीय जिला कार्यक्रम का रूपांतरण
2. पोषण में सुधार
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
4. कृषि क्षेत्र में सुधार
5. शिक्षा क्षेत्र में सुधार
6. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति
7. भारत के स्वर्ण बाजार में परिवर्तन

परिचय

नीति आयोग, मानव और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों की साझा दृष्टि के विकास में राज्यों, नागरिक समाज और अन्य थिंक टैंकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक एकीकृत भूमिका निभाता है।

नीति आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, 'कार्यनीतिक और दीर्घावधि नीति और कार्यक्रम की रूपरेखाओं और पहलों को तैयार करना, और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना।' नीति आयोग नवोन्मेष और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देने में और सेक्टरीय लक्ष्यों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के मर्म में नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास है।

<u>आकांक्षीय जिला कार्यक्रम का रूपांतरण</u>

जनवरी 2020 में आकांक्षीय जिला कार्यक्रम (एडीपी) के सफल कार्यान्वयन के दो वर्ष पूरे होने पर सभी हितधारकों - केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों, निजी भागीदारों, सिविल सोसाइटी और आम जनता के प्रयासों को समन्वित करके आरंभ किया गया। यह उल्लिखित है कि नीति आयोग ने 112 चिह्नित जिलों से 49 मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) के मासिक आंकड़े एकत्र करके और पिछले एक महीने में की गई वर्धित प्रगति पर उन्हें सूचीबद्ध करके इस कार्यक्रम के प्रस्तोता भूमिका निभाई है। जैसा कि इन 112 जिलों में भारत की 14% आबादी निवास करती है, यह शासी सुधार हेतु आकांक्षीय जिला कार्यक्रम को अत्यंत पहुंच और प्रभाव के लिए सबसे बड़ा डेटा-संचालित प्रयोगशाला बनाती है।

आकांक्षीय जिला कार्यक्रम की रूपरेखा तीन स्तंभों पर टिकी हुई है: (1) केंद्र तथा राज्य स्कीमों में अभिसरण लाना; (2) केंद्र तथा राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच सहयोग को बढ़ावा देना; और (3) आकांक्षीय जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इन लक्ष्यों को तीन मुख्य कार्यकर्ता के बीच समन्वय के माध्यम से प्रभावित किया जाता है: नीति आयोग, केंद्र तथा राज्य प्रभारी अधिकारी और जिला अधिकारी/कलेक्टर (डीएम/डीसी) के नेतृत्व में जिले की टीमें।

नीति आयोग की भूमिका में (1) 112 जिलों, प्रभारी अधिकारियों, प्रमुख मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों का समन्वय और सुविधा; (2) 'चैंपियंस ऑफ चेंज' डैशबोर्ड और जिलों की मासिक रैंकिंग निर्धारित करना; (3) सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना; और (4) प्रतिकृति के लिए अन्य जिलों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अपने संकल्प के लिए चुनौतियों और कार्यनीतियों की पहचान के लिए नियमित रूप से बुनियादी रिपोर्ट प्रदान करके जिला टीम और नीति आयोग के बीच एक स्थायी संबंध के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी ओर, राज्य प्रभारी अधिकारी कार्यक्रम के समग्र मिशन के साथ राज्य की कल्याणकारी स्कीमों के अभिसरण को सुनिश्चित करते हैं। डीएम/डीसी के नेतृत्व में जिला टीम (1) कार्यक्रम कार्यान्यन; (2) डैशबोर्ड पर आंकड़े एकत्र करना और अपलोड करना; और (3) नीति आयोग में परियोजना प्रबंधन एकक के साथ समन्वय करके कार्रवाई/परियोजना प्रस्तावों की योजना बनाने के लिए प्राथमिक कार्यकर्ता है।

पिछले दो वर्षों में, यह कार्यक्रम परिपक्व हो गया है और दीर्घकालिक सफलता के संकेत देता है। उदाहरण के लिए, इन जिलों, समस्त सभी सेक्टरों, में नवोन्मेषी सर्वोत्तम प्रथाओं का एक विशाल समूह उभर कर आया है। नीति आयोग ईमेल, पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर अन्य जिलों और जनता के साथ नियमित रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं की सफलता की कहानियों को साझा करके सूचना विषमता को कम करने के अपने अधिदेश का निर्वहन करता है। सर्वोत्तम प्रथाओं का एक बैंक बनाकर, यह विभिन्न जिलों के प्रशासन की योजनाओं और दृष्टिकोण को पूरा करता है और समान चुनौतियों से जूझ रहे अन्य जिलों द्वारा उनकी प्रतिकृति के लिए इन प्रथाओं पर आवश्यक सूचनाओं का विस्तार करता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, एडीपी ने इन जिलों में विभिन्न महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों में स्पष्ट और सतत सुधार का नेतृत्व किया है। परिवर्तन की गति में विविधता है, परंतु दिशा स्पष्ट

है: प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है, जो मातृ और शिशु मृत्यु दर को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार, क्रियाशील महिला शौचालयों के साथ स्कूलों की संख्या परिपूर्ण होने के समीप है। इस कार्यक्रम ने अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की नामांकन दरों में भी वृद्धि की है। इस कार्यक्रम की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि जिला टीमों में ताजी ऊर्जा, उत्साह और आकांक्षा को बढ़ावा देकर इन जिलों में कम वृद्धि और कम प्रेरणा के दुष्चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ना है। अतिसक्रिय अधिकारियों को एडीपी छत्र के तले परिवर्तनकारी बदलाव लाने की चुनौती लेने के लिए नियमित रूप से इन जिलों में नियुक्त किया गया है।

जैसे ही एडीपी ने अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश किया, राज्य सरकारें डाटा-संचालन शासन के इस मॉडल को ब्लॉक स्तर पर विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं और सभी केपीएल के लिए राज्य औसत मूल्यों को समरूप बनाने के लिए आकांक्षीय जिलों हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं। स्वयं एडीपी डिजाइन के अलावा, ऐसे अतिरिक्त उपाय, इन विकासाधीन पॉकेटों के बीच उत्तम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के माध्यम से शासी सुधार लाने और अधिक जोर देने के लिए हैं।

पोषण क्षेत्र में सुधार

1. पोषण अभियान पर द्वितीय द्विवार्षिक रिपोर्ट

महिला और बाल विकास प्रभाग की तकनीकी सहायता इकाई को पोषण अभियान की प्रगति से अवगत कराने के लिए द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी के अधिदेश दिया गया है। इस अधिदेश के तहत, दूसरी द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई और प्रधान मंत्री कार्यालय के साथ साझा की गई। अभियान के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाते हुए इसमें एक कार्यान्वयन सूची शामिल है।

पोषण अभियान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की संबद्धता

पोषण चैंपियन के रूप में पंचायती राज संस्थान (ग्राम परिषद) के सदस्यों को जुटाने के लिए, नीति आयोग और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने एआईआईएमएस, टाटा न्यास, पिरामल फाउंडेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआई), यूएनआईसीईएफ और समूचे देश के 30 लाख प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के साथ भागीदारी की है। चरण 1 में, यह प्रशिक्षण 7 राज्यों के 25 आकांक्षीय जिलों के 1,00,000 पीआरआई सदस्यों को शामिल करेगा। इस पहल की महत्वाकांक्षा ऐसे सदस्यों को सक्रिय बनाना है, जिससे वे अपने समुदाय तथा 'हमारी ग्राम पंचायत की पोषण कहानी' जैसी पोषण कथा से व्यक्तिक रूप से अभियान का वृहत्त स्वामित्व लें।

सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पोषण माह की अवधारणा और आयोजन

नीति आयोग ने मार्च और सितंबर 2019 के महीनों में समूचे देश में राष्ट्रीय पोषण माह तथा पोषण पखवाड़े की अवधारणा और आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोषण माह

को मनाने का उद्देश्य देश के कोने-कोनो तक पोषण का संदेश पहुंचाना है। पोषण माह 2019 में पांच घटक थे: बच्चे के पहले 1,000 दिन, रक्तात्पता-मुक्त भारत, डायरिया रोकथाम, वॉश (या धोना, स्वच्छता और सफाई) और पौष्टिक आहार (पौष्टिक भोजन)। भारत भर में हितधारकों ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया और बुनियादी स्तर पर 50 करोड़ से अधिक लोगों (संचयी) तक पहुंच बनाई।

2. पोषण अभियान के अंतर्गत भारत की पोषण चुनौतियों से संबद्ध राष्ट्रीय पोषण परिषद: यह शीर्ष निकाय समग्र नीतियों को तैयार करता है और जीवन-चक्र की पहुंच को उजागर करते हुए सभी पोषण-आधारित स्कीमों का नेतृत्व और निगरानी करता है। यह भारत की पोषण चुनौतियों का समाधान करने हेतु नीति-निर्देश प्रदान करने के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय और समीक्षा करता है। राष्ट्रीय परिषद की 2019 में दो बार बैठक हुई तथा निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया:

i. पोषण अभियान के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्मार्टफोन और विकास उपकरणों की शीघ्र खरीद। साप्ताहिक आधार पर खरीद स्थिति की निगरानी की जाएगी। नीति के उपाध्यक्ष को महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपकरणों की खरीद तथा किए गए उपायों के लिए स्थिति रिपोर्ट और समय-सीमा शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी। 25 नवंबर 2019 तक, 49.6% स्मार्टफ़ोन, 56.06% इन्फैन्टोमीटर, 54.67% स्टैडोमीटर, 53.2% वज़न मापक (शिशु) और 56.36% वज़न मापक (एम एंड सी) की खरीद की गई थी।
ii. पोषण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए माताओं, शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में व्यवहार परिवर्तन का महत्व। अनिवार्य लक्ष्यों को हांसिल करने के लिए नीति आयोग में एक व्यवहार नीति इकाई की स्थापना की गई है।
iii. राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दो जिलों में दो प्रायोगिक परियोजना ब्लॉकों में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आईसीडीएस के तहत टेक-होम राशन के बदले नकदी अंतरण संबंधी एक प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। विश्वसनीय प्रमाणों की व्युत्पन्नता को सक्षम बनाने के लिए कठोर वैज्ञानिक तरीके से प्रायोगिक कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया।

3. राष्ट्रीय तकनीकी पोषण बोर्ड से संबंधित कार्य (एनटीबीएन): नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों के पोषण के विषय में नीति-आधारित मुद्दों पर तकनीकी, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी पोषण बोर्ड का गठन किया गया था। राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की तीसरी बोर्ड बैठक 12 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी। यह भारत में बाल्यावस्था और मोटापे के शिकार किशोर पर एक वैज्ञानिक परामर्श था। इसी प्रकार, निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 31 जुलाई, 2019 को चौथी बैठक आयोजित की गई थी:

i. शर्तानुसार नकद अंतरण पर प्रायोगिक अध्ययन किया जाएगा
ii. एडब्ल्यूसी में ऊंचाई की माप और रिकॉर्डिंग की आवधिकता

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

1. आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

नीति आयोग ने पीएमजेएवाई की अवधारणा पर विस्तृत कार्य किया, जिसके कारण केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई। नीति ने स्कीम के सुचारू क्रार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संगठनात्मक और शासी ढांचे को आकार देने में भी भूमिका निभाई।

क) श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान और निवेश

पीएमजेएवाई के आरंभ और 500 मिलियन लाभार्थियों के साथ, अगले 10 वर्षों में 0.64 मिलियन अतिरिक्त बेड की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, देश में 14,379 अस्पताल हैं, जिनमें 6.34 लाख बेड हैं। हमें 3 गुना अधिक विकास की आवश्यकता है, परंतु मुख्य रूप से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों पर प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी कार्यकर्ताओं (लाभकर और अलाभकर दोनों) की देखभाल मानकों को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना में आपूर्ति-मांग अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह और अधिक अस्पतालों के तेजी से निर्माण की आवश्यकता को दर्शाता है। अस्पताल की देखभाल तक पहुँच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए - विशेष रूप से गरीबों और समाज के बहिष्कृत वर्गों के लिए द्वितीयक और तृतीयक देखभाल - नीति आयोग, निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ परामर्श करके, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में निजी कार्यकर्ताओं के साथ उपलब्ध क्षमता का लाभ उठाने की दिशा में काम कर रहा है तथा अस्पतालों के निर्माण और विनियामक/वैधानिक अनुपालन के लिए भूमि प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं और वित्तीय सीमा को समझ रहा है।

ख) पीएमजेएवाई के अलावा जनसंख्या के लिए योगदायी बीमा स्कीम का विकास

एनएसएसओ सर्वेक्षण के 71 वें दौरे के अनुसार, 80% भारतीय किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और केवल शहरी आबादी के 18% (सरकार द्वारा वित्त पोषित 12%) तथा ग्रामीण आबादी के 14% (सरकार द्वारा वित्तपोषित 13%) शामिल हैं। पीएमजेएवाई में 40% आबादी शामिल है। शेष आबादी को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। नीति आयोग असम्मिलित आबादी को शामिल करने के लिए एक योजना तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो संभवत: गरीब नहीं है और अक्सर गरीबी रेखा वर्ग से ऊपर के वंचित समझा जाता है। आबादी का यह भाग, योगदान के लिए वित्तीय क्षमता होने के बावजूद, विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय से ग्रस्त रहता है जो अनिवार्य रूप से उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल सकता है। इस 'मिसिंग मिडिल' का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में तथा अधिकतर शहरी क्षेत्रों में स्थित है।

2. फार्मास्युटिकल और मेडिकल उपकरण सेक्टर में सुधार

क) **फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण में सुधार:**

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों (एससीएएमएचपी) संबंधी स्थायी

समिति का गठन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों के मूल्यों से संबंधित सिफारिशें की गई। यह समिति स्व-प्रेरणा से अथवा फार्मास्युटिकल विभाग, एनपीपीए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध या सिफारिश पर जांच के लिए मामले को उठा सकती है।

व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर): समिति की पहली बैठक फरवरी 2019 में आयोजित की गई थी, जिसमें व्यापार-मार्जिन-कैपिंग रूट के माध्यम से गैर-अनुसूचित दवाओं के लिए मूल्यों निर्धारण ढांचे पर विचार-विमर्श किया गया। मार्च 2019 में एससीएएमएचपी के अनुमोदन से एनपीपीए ने 42 गैर-अनुसूचित, एंटी-कैंसर दवाओं के लिए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 के पैरा 19 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) की शुरूआत की। यह प्रारंभ प्रति वर्ष 984 करोड़ रुपये की बचत और 500 से अधिक ब्रांडों के साथ अनैतिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में सफल रहा, जो 91% तक की कीमत घटोतरी दर्शाता है।

ख) व्यापार करने में आसानी:

i. नई दवा विनियमन के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना: नई दवा विनियमन के अनुमोदन की प्रक्रिया के लिए विभिन्न निकायों - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के अंतर्गत आनुवंशिक कार्यसाधन समीक्षा समिति (आरसीजीएम), पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) आदि की सिफारिशें अपेक्षित हैं। नीति में लिए गए निर्णय के पश्चात, संबंधित मंत्रालयों द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू की गई थी। इनमें शामिल हैं:

   - स्टेम सेल और सेल-आधारित उत्पादों के निम्नलिखित चिकित्सकीय उपयोग (वाणिज्यिक उपयोग) के लिए दिशानिर्देश विकसित करने का कार्य।
   - जीन-थेरेपी अनुसंधान दिशानिर्देश आईसीएमआर द्वारा विकसित किए गए हैं और 19 नवंबर 2019 को सार्वजनिक रूप से जारी किए गए हैं।
   - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवा और नैदानिक परीक्षण नियम 2018 के प्रारूप को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक द्वारा मानद अनुमोदन करने के साथ 30 दिनों के भीतर बाजार प्राधिकरण देने का प्रावधान है।

ii. उद्यमियों, नवोन्मेषकों और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माणकों तक पहुंच: जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने अपने प्रश्नों के शीघ्र समाधान के लिए एकल मंच के माध्यम से भारत सरकार के संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए बायोमेडिकल उपकरणों के स्टार्ट-अप और नवोन्मेषकों के लिए एक सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित किया। इसके प्रथम वर्ष में, इस मंच पर व्यक्तिगत दौरों तथा इंटरनेट के माध्यम से 250 से अधिक प्रश्नों का निराकरण किया।

नीति के सिफारिश पर, डीबीटी और केंद्रीय दवाई मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने समूचे देश में (दिल्ली, पुणे, बड़ौदा, गुवाहटी, हैदराबाद, बेंगलुरु) नवोन्मेषकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, लघु तथा मध्यम उद्यमों, एनजीओ तथा अन्यों के लिए विनियामक अनुपालन संबंधी छह राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की। कार्यशालाओं ने मेक-इन-इंडिया ड्राइव को सुविधाजनक बनाने में मदद की और विनियामकों और समस्या समाधान के साथ परस्पर संबंध हेतु एक अवसर प्रदान किया।

3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक

मार्च 2016 में स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा के दौरान, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार के सभी विकल्पों की जांच करने और भावी मार्ग के लिए एक समिति का गठन किया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान को बदलने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 29 जुलाई, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।

कृषि क्षेत्र में सुधार

किसानों की आय को दोगुनी करना

1. भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

नीति आयोग की पांचवीं शासी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की घोषणा की। प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग समिति के सदस्य सचिव थे। समिति में यह भी शामिल है:

1. पंजाब के मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह
2. कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
3. मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री
4. नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री
5. नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री
6. पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
7. विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री
8. योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

समिति ने 18 जुलाई, 2019 को अपनी पहली बैठक में राज्यों को कृषि में विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। समिति ने कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम और आवश्यक वस्तुओं के लिए अपेक्षित संशोधनों पर जोर देने की आवश्यकता सहित

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने, कृषि में अधिक निवेश के साधन लाने, ड्रिप सिंचाई पर आर्थिक सहायता, जल संरक्षण पर बल दिया। समिति कृषि क्षेत्र में सुधारों को अपनाने और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय भी सुझाएगी।

समिति की दूसरी बैठक 16 अगस्त, 2019 को मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें भाग लेने वाले राज्यों द्वारा साझा किए गए इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को अधिक स्पष्ट और व्यापक तरीके से तैयार किया गया। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

2. पीएम-आशा सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

2018-19 के बजट में एक घोषणा की गई थी कि केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से नीति आयोग एक सरल तंत्र विकसित करेगा, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिल सके। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की एक बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में 9 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन के तंत्र अथवा किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के कुछ अन्य तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई स्कीमें - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), मूल्य कमी खरीद स्कीम (पीडीपीएस), मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) और निजी खरीद तथा स्टॉकएस्ट स्कीम (पीपीएसएस) - किसानों द्वारा अधिसूचित फसलों की खरीद के लिए आरंभ की।

3. जीरो बजट प्राकृतिक खेती (जेबीएनएफ)

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में 9 जुलाई, 2018 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्राकृतिक खेती के स्कोप और संवर्धन के बारे में चर्चा की गई थी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य (कृषि) डॉ. रमेश चंद; सीईओ अमिताभ कांत; सचिव (कृषि) संजय अग्रवाल; पूर्व राज्य मंत्री (कृषि) गजेंद्र सिंह शेखावत; तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षाविद भी उपस्थित थे। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सुभाष पालेकर, जो प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ हैं, भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि कैसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती से अलग है। हालांकि, डॉ. चंद ने उल्लेख किया कि जेबीएनएफ को वैज्ञानिक मान्यता के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि राज्य मौजूदा कृषि-सेक्टर स्कीमों के सेट के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।

तत्पश्चात, नीति आयोग ने 2 जनवरी और 28 फरवरी, 2019 को जेबीएनएफ पर चर्चा करने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के साथ व्यापक परामर्श के लिए कृषि राज्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल उपस्थित थे।

डॉ. राजीव कुमार ने 4 सितंबर, 2019 को गुजरात के गांधीनगर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भी भाग लिया और ऐसे खेतों का दौरा किया। इसके अलावा, उन्होंने 13 जुलाई, 2019 को सोलन, हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, जो प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बना रहा है। उपाध्यक्ष, आंध्रप्रदेश सरकार के सलाहकार (कृषि) तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 13 सितंबर, 2019 को जेबीएनएफ की खेती में लगे किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिए राज्य के अत्कुर क्लस्टर गए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सत्रहवीं लोकसभा के पहले बजट भाषण में बैक-टू-बेसिक्स एप्रोच के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बात की; तदनुसार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 12 लाख हेक्टर क्षेत्र तथा 600 क्लस्टरों को शामिल करने के लिए 'भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति' को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अखिल भारतीय मोड में आरंभ करने की योजना बनाई।

4. ग्राम भंडारण स्कीम को प्रोत्साहन

ग्राम भंडारण योजना के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए 07 मई, 2019 को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। ग्राम-स्तरीय भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के तरीकों पर गंभीर रूप से चर्चा की गई थी।

चर्चा में भाग लेते हुए, सीईओ, राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एनसीसीडी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (एमओएएंडएफडब्ल्य) ने उल्लेख किया कि ग्राम भंडारण स्कीम को उत्पादन की बुनियादी चार श्रेणियों का समाधान करना चाहिए:

1. अनाज जैसी कठोर खाद्य फसलें
2. जल्दी खराब होने वाली सामग्री को लंबे समय तक रखना

3. जल्दी खराब होने वाली फसलें
4. कपास, ऊन, औद्योगिक फीडस्टॉक जैसे उत्पाद, जो गैर-खाद्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम करते हैं।

यह आगे उद्धृत किया गया था कि प्रशीतित ग्राम भंडारों में पेरीशैबल्स रखने से एक उपयुक्त फसल के बाद की आपूर्ति श्रृंखला के विकास को बढ़ावा नहीं मिल सकता है, बल्कि इससे बाजार चैनलों को आपूर्ति लाइन स्थापित करने में समस्या होने में देरी होगी, जिससे संकट टल सकता है।

यह सुझाव दिया गया था कि ग्राम-भंडारण और कटाई उपरांत सुविधाएं मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि बाजार में एपीएमसी और कृषक इंटरफेस के रूप में स्थापित की जा सकती हैं, जो देश के किसी भी बाजार या उपयोगकर्ता अथवा संगठित भंडारण को पूर्व-अनुकूलन और संपर्क प्रदान करेगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय जियो-इंफॉर्मेटिक्स केंद्र के सहयोग से एक पोर्टल बनाएगा और जियोटैगिंग वेयरहाउस के लिए तंत्र विकसित करेगा, जिसमें समूचे भारत में कोल्ड स्टोरेज के लिए बेस-लाइन सर्वेक्षण में किए गए प्रशीतित शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा में सुधार

उच्चतर शिक्षा में सुधार

नीति आयोग उच्चतर शिक्षा विनियामक ढांचे में सुधार करने के लिए चुनौतियों की पहचान करने और योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के वर्षों में यूजीसी के नियमों और दिशा-निर्देशों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए सुधारों के पहले चरण के बाद, नीति आयोग उच्चतर शिक्षा के लिए नए संसदीय कानून हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसका प्रारूप उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है।

नीति की मुख्य सिफारिशों में निम्न शामिल हैं:

- मानक सेटिंग, वित्त-पोषण और प्रत्यायन को अलग करना
- अपनी कवरेज, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रत्यायन ढांचे को सुदृढ़ करना
- उच्चतर शिक्षा में विनियामक निकायों की बहुलता और अतिव्यापी अधिदेश को संबोधित करना
- संस्थानों के लिए केवल न्यूनतम मानदंड/मानक निर्दिष्ट करने के लिए विनियामक, ताकि नवोन्मेष के लिए स्वायत्तता और स्कोप प्रदान किया जा सके
- निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन (विश्वसनीय प्रत्यायन से संबद्ध)
- जवाबदेही के साथ स्वायत्तता
- संस्थानों के बीच संयुक्त डिग्री का प्रावधान

- भारत में काम करने के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रावधान
- मापदंड और आकलन के सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता
- लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ समयबद्ध निर्णय और उन्हें सार्वजनिक डोमेन रखना
- दंड विधान
- निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र
- परिणामों पर जोर
- अनुसंधान और नवोन्मेष पर ध्यान
- एचईसीआई की सदस्यता में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों और राज्य विश्वविद्यालयों की वृहत्त भागीदारी।

आकांक्षीय जिलों में शैक्षिक सुधार

शिक्षा आकांक्षीय जिला कार्यक्रम के परिवर्तन के तहत एक महत्वपूर्ण विषय है और सभी विषयों के बीच सबसे अधिक महत्व प्रदान किया है। ज्ञान भागीदारी के माध्यम से, नीति आयोग स्कूली शिक्षा में भाग लेने वाले समुदाय को बढ़ाने तथा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जन आंदोलन, जिलों के परिवर्तन को फैला रहा है। इन आंदोलनों से स्कूली बच्चों की संख्या में कमी आई है। पुस्तकालयों की स्थापना और शिक्षण सहायक (बीएएलए) के रूप में भवनों के विकास जैसी पहलें विभिन्न जिलों में शिक्षण परिणामों में आनंदपूर्ण शिक्षण माहौल और सुधार करने को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाल संसद शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर प्रेरणा और नेतृत्व की भावना पैदा कर रहे हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2019 का प्रारूप

प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपने का निदेश दिया था। नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया 2015 में ज्ञान भागीदारों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/सम्मेलनों के बाद, नीति आयोग के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से परस्पर बातचीत करके शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे पर 17 मई, 2017 को हुई बैठक में प्रधानमंत्री स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।

नीति को दो अध्यायों 'सब्सिडी, क्रॉस-सब्सिडी और कराधान' और 'ऊर्जा क्षेत्र के शासन का पुनर्गठन' को सम्मिलित करके संशोधित किया गया। टाइम होरिजन 2040 से 2030 तक संशोधित किया गया। संशोधित एनईपी जून 2018 में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित की गई। प्राप्त टिप्पणियों को शामिल किया गया और एक मंत्रिमंडल मसौदा नोट अगस्त 2019 में अंतर-

मंत्रालयी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जा रहा है।

भारत के स्वर्ण बाजार का परिवर्तन

भारत के स्वर्ण बाजार परिवर्तन संबंधी एक समिति का गठन नीति आयोग द्वारा निर्यात, आर्थिक विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु इस बाजार की क्षमता को टैप करने के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। समिति की रिपोर्ट फरवरी 2018 में प्रस्तुत की गई और मई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सामने एक प्रस्तुति दी गई थी। केंद्रीय बजट 2018-19 ने यह भी घोषणा की कि एक व्यापक स्वर्ण नीति गठित की जाएगी, जो इसे एक परिसंपत्ति के रूप में विकसित करेगी। तत्पश्चात, इस पर विचार-विमर्श करने के लिए अप्रैल 2019 में सचिवों की एक समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी और मूल्यांकन

1. **आउटपुट परिणाम निगरानी ढांचा**
2. **निष्पादन डैशबोर्ड**

क. चैंपियंस ऑफ चेंज: आकांक्षीय जिले
ख. पोषण
ग. अटल टिंकरिंग लैब्स
घ. एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20

3. **मुख्य निष्पादन सूचकांक**

क. एसडीजी इंडिया इंडेक्स
ख. भारत नवाचार सूचकांक
ग. स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
घ. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
ङ. राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
च. जिला अस्पताल सूचकांक
छ. राज्य ऊर्जा सूचकांक

परिचय

नए भारत में साक्ष्य आधारित नीति-निर्माण समग्र शासन संरचना का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए, निष्पादन को ट्रैक करने में सक्षम होना, परिणामों को यह समझने के लिए कि कोई योजना कितना अच्छा निष्पादन कर रही है, निर्धारित करना और खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाने और कार्यप्रणाली सुधार के लिए सिफारिशें उत्पन्न करने में सहायक होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए न केवल डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, बल्कि सीमित सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को मजबूत करने और योजना हस्तक्षेप के गहन और व्यापक प्रभाव हासिल करने में मदद करने के लिए परिमेय मापदंडों के साथ उचित फ्रेमवर्कों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

अपने संगत कार्य क्षेत्रों में अन्य वर्टिकल्स के साथ ही नीति आयोग जो विकास निगरानी और मूल्यांकन का कार्यालय अथवा डीएमईओ है, उचित निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से शासन में गहरी जवाबदेही का कार्य भी निभाता है।

डेटा विश्लेषण द्वारा समर्थित प्रभावी विश्लेषण और बेहतर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नीति आयोग ने कई सामाजिक क्षेत्र सूचकांक और डैशबोर्ड विकसित किए हैं।

रिपोर्ट का यह खंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों पर हमारी प्रगति का जायज़ा लेने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित निगरानी और मूल्यांकन साधनों और प्रयोगों का विवरण देता है।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2015 को पूर्व कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय करके विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय को नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रमों और पहलों के मूल्यांकन की निगरानी और संचालन के लिए अधिदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, यह अवसंरचना-सेक्टर की समीक्षाओं के लिए आवश्यक इनपुट भी प्रदान करता है। डीएमईओ का अध्यक्षता महानिदेशक करता है, जो भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष होता है। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए, डीएमईओ को विशेष रूप से एक अलग बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है।

2019-20 में डीएमईओ की प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं:

(i) 28 छत्र केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन उपक्रम
(ii) आउटपुट-परिणाम निगरानी ढांचा 2019-20 की तैयारी
(iii) प्रधान मंत्री के अवसंरचना सेक्टर समीक्षा का समर्थन करना
(iv) योजनाओं और कार्यक्रमों का त्वरित मूल्यांकन करना
(v) योजना मूल्यांकन प्रस्तावों पर इनपुट प्रदान करना (ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी/डीआईबी)

वित्त-वर्ष 2019-20 में की गई गतिविधियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) छत्र केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (यूसीएसएस) का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

मार्च 2020 के अतिरिक्त पंद्रहवें वित्त आयोग के चक्र में यूसीएसएस की निरंतरता पर विचार करने के लिए, डीएमईओ को 28 यूसीएसएस के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए अधिदेश दिया गया है। चूंकि 28 छत्र यूसीएसएस के तहत 125 योजनाएं हैं, डीएमईओ 10 मूल्यांकन अध्ययन सलाहकार पैकेजों: i) कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ii) महिला और बाल विकास iii) मानव संसाधन विकास iv) शहरी परिवर्तन v) ग्रामीण विकास vi पीने का पानी और स्वच्छता vii) स्वास्थ्य viii) रोजगार और कौशल ix) जल संसाधन, पर्यावरण और वन x) सामाजिक समावेश कानून और व्यवस्था और न्याय वितरण के माध्यम से यह कार्य कर रहा है।

परामर्शदाता फर्म एक खुली निविदा प्रक्रिया से संबद्ध हैं। 10 पैकेजों में से नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अंतिम पैकेज निर्णायक रूप देने के एक अग्रिम चरण में है। सभी पैकेजों का मूल्यांकन कार्य जनवरी-फरवरी 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आउटपुट-परिणाम निगरानी ढांचा (ओओएमएफ)

भारत सरकार में परिणाम-आधारित निगरानी को मजबूत करने के लिए, डीएमईओ टीम ने 2018-2019 में निष्पादन-परिणाम आधारित ढांचे (ओओएफ) में सुधार के लिए एक कठोर प्रक्रिया अपनाई तथा पुन: 2019-20 के लिए आरंभ की। इस ढांचे का उद्देश्य सीमित सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को मजबूत करने और स्कीम हस्तक्षेपों के गहन और व्यापक प्रभाव को प्राप्त करना है।

इसने केंद्रीय सेक्टर और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 600 से अधिक परिव्ययों में लगभग 5000 निष्पादन और परिणाम संकेतकों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। यह ढांचा केंद्रीय बजट 2019-20 के साथ संसद में पेश किया गया था। ये स्कीमें लाभार्थियों को सरकारी सेवा वितरण का प्राथमिक तरीका बनाती हैं, जिसमें 2019-20 में 27.9 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट में से 12 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। इस वित्तीय परिव्यय को स्कीम के निष्पादन के मात्रात्मक माप के साथ जोड़कर, यह उम्मीद की जाती है कि अधिक विवेकपूर्ण उपयोग और अधिक जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(iii) अवसंरचना सेक्टर समीक्षा डैशबोर्ड और निष्पादन ट्रैकर्स

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 14 अवसंरचना सेक्टरों और तीन सामाजिक सेक्टरों में अवसंरचना सेक्टरों की समीक्षा की जाती है। डीएमईओ संबंधित नीति वर्टिकल और मंत्रालय के परामर्श से इन प्रस्तुतियों को तैयार करता है। डीएमईओ द्वारा एक सेक्टर समीक्षा डैशबोर्ड का भी रख-रखाव किया जाता है। संबंधित मंत्रालय और/अथवा विभाग, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा समीक्षा के लिए, वित्त-वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के लिए त्रैमासिक प्रगति आंकड़े अपडेट करते हैं। यह पूर्व समीक्षाओं से उभरने वाले कार्यवाई बिंदु को भी ट्रैक करता है। संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को पीएमओ के उपयोग के लिए प्रस्तुत की जाती है।

यह प्रक्रिया अपने सेक्टर-स्तरीय फ़ोकस के कारण विविध है, जो मंत्रालय के लक्ष्यों को उत्कृष्ठ करती है और प्रमुख मापदंडों पर किसी विशेष क्षेत्र की वैश्विक तुलना को भी दर्शाती है। यह संकेतक और कार्रवाई बिंदुओं को ट्रैक करके अभिसरण की सुविधा देता है, जो स्वभाविक रूप से पार-मंत्रालयी है। यह ऐसे विषयगत क्षेत्रों को किसी विशेष क्षेत्र के प्रभारी नोडल मंत्रालयों को जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपकर, सर्वमान्य त्रासदी को भुगतने से रोकता है।

इस साल अब तक यह समीक्षा परिवहन क्षेत्र के लिए आयोजित की गई है, जिसमें रेलवे (23 अक्टूबर 2019), सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह (11 नवंबर 2019) शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र, बिजली, एमएनआरई, कोयला और पीएनजी के लिए एक समीक्षा भी शीघ्र ही अपेक्षित है।

(iv) क्षेत्र के माध्यम से शीघ्र निष्पादन आकलन

डीएमईओ द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन के दौरे की स्थिति

डीएमईओ चयनित कार्यक्रमों अथवा भारत सरकार के कार्यान्वयन मंत्रालयों और/अथवा विभागों के अनुरोध पर मूल्यांकन का कार्य करता है। कार्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के दीर्घकालिक प्रभावों, कार्यक्रम के निष्पादन के विभिन्न चरणों में सफलताओं और विफलताओं के क्षेत्रों और कारणों की पहचान; भविष्य के लिए मध्य-पाठ्यक्रम सुधार और प्रसार अध्याय का सुझाव देने का एक उद्देश्य मूल्यांकन है। मूल्यांकन के मापदंडों में प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, साम्यता और सेवा वितरण की स्थिरता, परिणाम और प्रभाव शामिल होंगे।

क्र.सं.	स्कीम	राज्यों द्वारा किया गया दौरा	क्षेत्र आकलन की स्थिति
1	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)*	हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश	अंतिम रिपोर्ट जिसमें निष्कर्ष शामिल हैं और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं और पीएमओ और कौशल विकास मंत्रालय के सचिव को भेजा।
2	भारत नेट	राजस्थान, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक	निष्कर्ष पीएमओ के साथ साझा किए गए थे। सुझाव को आगे बढ़ाने के लिए पीएमओ ने एक समिति का गठन किया। समिति ने अप्रैल 2019 में पीएमओ और डीओटी को अपनी रिपोर्ट की जांच की तथा प्रस्तुत की।
3	एकीकृत जलग्रहण प्रबंध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)*	राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	अंतिम प्रस्तुति जिसमें निष्कर्ष शामिल हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के लिए सिफारिशें तैयार की गई
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी)*	कर्नाटक	कर्नाटक में क्षेत्र दौर के बाद, अध्ययन एक माध्यमिक समीक्षा, केआईआई, एनएसएफडीसी द्वारा उपलब्ध आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से किया गया। एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई और उस पर एनएसएफडीसी से टिप्पणी ली गई। अंतिम रिपोर्ट अनुमोदनार्थ है।
5	संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस)	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल	एमआईआईयूएस आकलन रिपोर्ट 10वीं तथा 11वीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित संशोधित औद्योगिक अवंसरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस) के अंतर्गत सात औद्योगिक क्लस्टर के आकलन माध्यम से निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की गई। अध्ययन ने योजना के कार्यान्वयन की जांच की, पहचान की परियोजनाओं की देरी के लिए ईजीओन्स, वर्तमान प्रगति का आकलन किया

			और लवर्स के आत्मनिर्भरता के लिए सिफारिशें प्रदान की। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के क्षेत्रीकरण पर पिछले अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण के अलावा, फील्ड आइसिट को रूज के ऑन-ग्राउंड कार्यान्वयन का अध्ययन करने, मेटा-विश्लेषण को मान्य करने, साथ ही ओटलेनेक्स, हॉलेंगेस की पहचान करने के लिए किया गया था। और मुद्दे। टीम ने जुलाई 2019 में जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालासोर, हावड़ा (2) और तिरुचिरापल्ली में परियोजना स्थलों का दौरा किया। कुछ जिलों में, क्लस्टर में यूनिट धारकों के साथ बातचीत को एक गायन गाइड चर्चा बनाया गया। संबंधित अनुमानों के कार्यान्वयन में मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के अधिकारियों के साथ फोकस समूह चर्चा हुई। आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
6	एससी, एसटी के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी और अल्पसंख्यक	उत्तर प्रदेश, पंजाब	डीएमईओ को एससीओ, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्यांकन और तर्कसंगत बनाने के लिए PMO से एक आदेश मिला था। टीम ने उत्तर प्रदेश के चार जिलों और पंजाब के दो जिलों में क्षेत्र का दौरा किया था। अध्ययन को और अधिक पुष्ट किया गया था। केआईआई और साहित्य की समीक्षा। रिपोर्ट को पीएमओ के साथ साझा किया गया है
7	शिक्षक शिक्षा का शीघ्र आकलन	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	अक्टूबर 2019 में क्षेत्र का दौरा किया गया। पहली मसौदा रिपोर्ट जिसमें क्षेत्र सर्वेक्षण से निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल हैं तैयारी के तहत है।
8	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस)	जारी है	डीएमईओ ने प्रभाव आकलन करने के लिए ToRs तैयार किया है। चुने गए फर्मों द्वारा प्रस्तुतियों का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई गई है। फर्म अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

**वित्त-वर्ष 2018-19 में क्षेत्र दौरा किया गया*

(v) अन्य की गई गतिविधियां

डीएमईओ द्वारा की गई अन्य प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं: क) ईएफसी/एसएफसी/ पीआईबी/डीआईबी की मूल्यांकन प्रक्रिया का समर्थन करना; ख) विश्लेषणात्मक कार्य (रेलवे क्षेत्र); ग) मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए मंत्रालयों और/या विभागों का समर्थन करना; घ) संगठनात्मक सशक्तिकरण; और ड.) भागीदारी सृजन।

क) **ईएफसी / एसएफसी / पीआईबी / डीआईबी मूल्यांकन प्रक्रिया:** नई योजना शुरू करने या मौजूदा योजना को जारी रखने के लिए मंत्रालय/विभाग से ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी/ डीआईबी मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। डीएमईओ आउटपुट, परिणामों और उनके औसत दर्जे के संकेतकों की रूपरेखा तैयार करता है, मंत्रालयों को यह स्थापित करने में मदद करता है कि उन्हें योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या मापना चाहिए। यह मंत्रालय/विभाग को उनके आंतरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली और डेटा संग्रह तंत्र को व्यवस्थित रूप से मजबूत करने की सुविधा भी देता है। स्पष्ट स्कीम लॉजिक चेन की मैपिंग, अलग-अलग बजट के मिड टर्म और एंड-लाइन मूल्यांकन के लिए प्रावधान आदि के बारे में भी सिफारिशें की गई हैं। डीएमईओ ने अप्रैल और अक्टूबर 2019 के बीच 107 योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान किए हैं।

ख) **वेबसाइट:** डीएमईओ वेबसाइट के लिए काम शुरू किया गया है और लोगो (एलओजीओ) को अंतिम रूप दिया गया है।

ग) **रेलवे विश्लेषण:** 364 रेलवे परियोजनाएं (प्रत्येक 150 रुपये से अधिक), एमओएसपीआई के ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली पोर्टल (ओसीएमएस) पर सूचीबद्ध, समय के लिए विश्लेषण किया गया और लागत से अधिक, संवितरण अनुपात और प्रारंभिक निष्कर्षों को 3 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री के निजी सचिव को प्रस्तुत किया गया।

घ) **भागीदारी:** 2 अगस्त, 2019 को प्रतिनिधि क्षमता, संस्थानों, सरकारी भागीदारों और अनुसंधान संगठनों के साथ बहुपक्षीय निर्माण क्षमता और संस्थागत निगरानी और मूल्यांकन के लिए परामर्श बैठक आयोजित की गई। निगरानी और मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और डीएमईओ को एक प्रमुख और विश्वस्तरीय एम तथा ई संगठन स्थापित करने के लिए साझेदारी के लिए विश्व बैंक, डब्ल्यूएफपी, जेपीएएल, इत्यादि विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों के साथ चर्चा की गई है।

ङ) **सीएसएस का युक्तिकरण:** डीईएमओ द्वारा तैयार किया गया सीएसएस स्कीमों के युक्तिकरण पर एक नोट 29 जुलाई, 2019 को व्यय विभाग के साथ साझा किया गया।

च) **सहायक मंत्रालय/विभाग मूल्यांकन:** डीएमईओ आयोग द्वारा मूल्यांकन अध्ययन के लिए संदर्भ (टीओआर) के विकास की प्रक्रिया में सम-मंत्रालयों को तकनीकी इनपुट प्रदान करता है। डीएमईओ ने वर्ष 2018 से अक्टूबर 2019 तक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सीएस/सीएसएस के मूल्यांकन के लिए 53 ऐसे टीओआर को मंजूरी दे दी है। डीएमईओ ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए संदर्भ की मानकीकृत शर्तें तैयार की हैं। तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए सभी विभागों और विभागों को प्रसारित करने

के लिए व्यय विभाग के साथ साझा किया गया था। एक आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ समान स्तर पर साझा किया गया।

छ) **हिंदी सप्ताह:** सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी के प्रयोग के प्रयास किए गए हैं। हिंदी पखवाड़े का अवलोकन किया गया और डीएमईओ के अधिकारियों के बीच निबंध और कविता लेखन पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। महानिदेशक, डीएमईओ की अध्यक्षता में विजेता अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

ज) भर्ती नियम: डीएमईओ के लिए भर्ती नियम तैयार किए गए हैं। हितधारक परामर्श के बाद, उन्हें अपनी सहमति के लिए डीओपीटी को प्रस्तुत किया गया है।

निष्पादन डैशबोर्ड

1. चैंपियंस ऑफ चेंज, आकांक्षीय जिले

चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड को 01 अप्रैल, 2018 से वास्तविक समय आंकड़े संचयन और निगरानी के लिए लोकावलोकन के लिए प्रारंभ किया गया। जिला अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों और उनकी टीमों द्वारा जिलों की प्रगति में की गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए डैशबोर्ड का नाम दिया गया है। आकांक्षीय जिला कार्यक्रम नियमित रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने पर निर्भर है, जो सक्रिय और महीने भर में किए गए वर्धित (डेल्टा) सुधार को दर्शाता है। डैशबोर्ड पर नवीनतम आंकड़े दर्ज करने के लिए जिलों को अपने आंकड़ा संचयन और रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जिला टीमों के लिए, डैशबोर्ड कई प्रकार के कार्य प्रस्तुत करता है। नोडल अधिकारी प्रत्येक माह से संबंधित आंकड़े दर्ज कर सकते हैं, वर्ष भर के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं तथा नीति आयोग द्वारा मान्य सर्वेक्षण एजेंसियों से प्राप्त वैध सर्वेक्षण मूल्य प्रत्येक संकेतक के लिए मानदंड निर्धारित कर सकते हैं। जिले महीने भर के लिए अपने अपरिष्कृत स्कोर पिछले महीनों के वृद्धि स्कोर तथा उनके डेल्टा रैंक को भी देख सकते हैं।

जिलों को मासिक आधार पर अपने आंकड़े दर्ज करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए जाते हैं। डेटा प्रविष्टि स्क्रीन स्पष्ट रूप से प्रत्येक सूचक, अंश, हर, इकाई और आवधिकता को प्रदर्शित करता है।

सभी जिलों को अपने वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डैशबोर्ड एक अलग 'लक्ष्य प्रविष्टि' स्क्रीन प्रदान करता है, जो प्रत्येक संकेतक के लिए बेहतर-राज्य और बेहतर-देश का मूल्य भी प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना की निष्पक्षता, लोक सदस्य डैशबोर्ड वेबसाइट पर लाइव रैंकिंग देखने के साथ-साथ संपूर्ण डेटासेट को संकेतक-वार या जिले-वार विकल्प के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीति आयोग सहित केंद्रीय मंत्रालयों को जमीन परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक को कुछ जिले आवंटित किए गए हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार आंकड़े डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

http://championsofchange.gov.in/

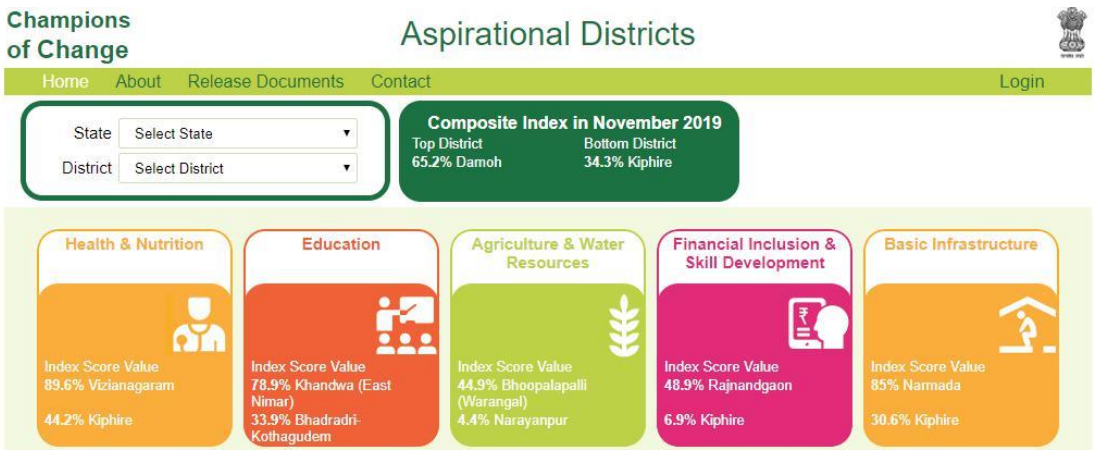

चैंपियंस ऑफ चेंज	आकांक्षी जिले			
मुख्य पृष्ठ	के बारे में	जारी दस्तावेज	संपर्क हेतु	
राज्य	राज्य चुनें	नवंबर 2019 में समग्र सूचकांक		
जिला	जिला चुनें	जिला- शीर्ष पर	जिला- निम्न स्तर पर	
		65.2%	34.3 किफायर	
स्वास्थ्य एवं पोषण	शिक्षा	कृषि एवं जल संसाधन	वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास	मूलभूत अवसंरचना
सूचकांक स्कोर मूल्य 89.6% 44.2% किफायर	सूचकांक स्कोर मूल्य 78.9% खंडवा (पूर्वी नगर) 33.9% भद्रलोक कोठगुडम	सूचकांक स्कोर मूल्य 44.9% भूपालपल्ली (वारंगल) 4.4% नारायणपुर	सूचकांक स्कोर मूल्य 48.9% राजनंद गाँव 6.9% किफायर	सूचकांक स्कोर मूल्य 85% नर्मदा 30.6% किफायर

2. पोषण

नीति आयोग ने पोषण डैशबोर्ड विकसित किया है, जो राष्ट्रीय औसत के साथ विभिन्न राज्यों के निष्पादन की सहज तुलना करके भारत में कुपोषण से संबंधित समग्र स्थिति का बहुत अच्छा परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

यह डैशबोर्ड, गर्भावस्था के समय से शुरू होने वाले विभिन्न पोषण और बाल स्वास्थ्य मापदंडों संबंधी जानकारी प्रदान करके, किसी विशिष्ट राज्य के अनेक जिलों का गहन विश्लेषण करने में भी सहायता करता है। 10 वर्षों में विभिन्न इनपुट और आउटपुट मापदंडों की तुलना मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के रूप में की गई है, जो उन राज्यों को दर्शाता है, जिन्होंने अधिकतम सुधार किया है। किसी विशेष जिले के पोषण परिणाम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को एक कलर-कोडिड चार्ट पर प्रस्तुत किया गया है और जिला कलेक्टरों के साथ साझा किया गया है।

https://niti.gov.in/content/nutrition-charts

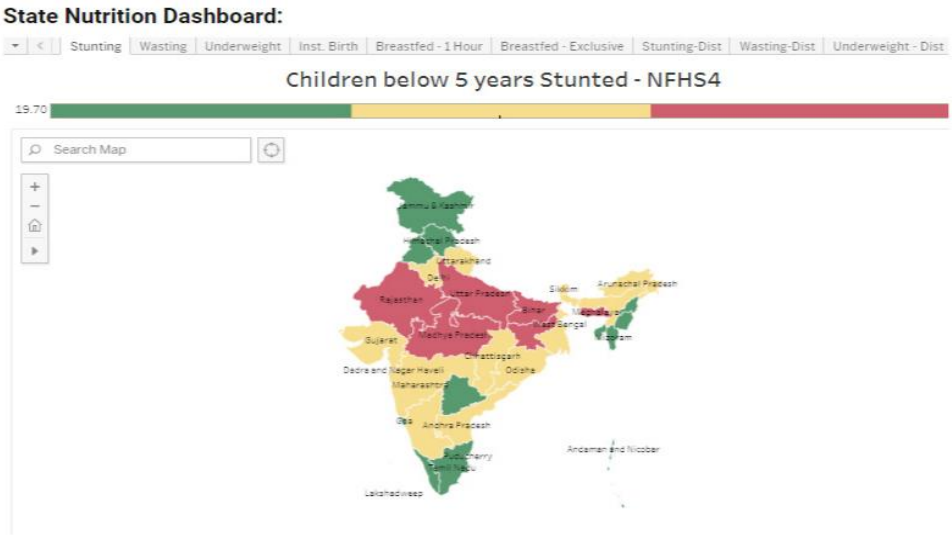

राज्य पोषण डैशबोर्डः

5 वर्ष से कम आयु के विकास अवरुद्धता से पीड़ित बच्चे - एनएफएचएस 4

विकास अवरुद्धता	अपक्षय	सामान्य से कम वजन	संस्थागत जन्म	स्तनपोषित -प्रतिघंटा	स्तनपोषित - अनन्य	विकास अवरुद्धता - जिला	सामान्य से कम वजन- जिला	अपक्षय जिला	सामान्य से कम वजन जिला

3. अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला

अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (एटीएल) डैशबोर्ड 'माई एटीएल' समूचे देश में एक सिंगल स्नैपशॉट ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थिति प्रस्तुत करता है।

डैशबोर्ड, किसी विशेष राज्य के जिलों में एटीएल उपलब्ध कराकर गहन जानकारी प्रदान करता है। किसी विशेष जिले के स्कूल की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है जैसे स्कूल बोर्ड सहयोगी भागीदारों, सोशल मीडिया हैंडल आदि से संबंद्ध है। एटीएल स्कूलों को माईएटीएल डैशबोर्ड पर अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिससे अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) अनुदान पश्चात

किस्त की प्रतिपूर्ति के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी, नवोन्मेष यात्रा, उपलब्धियां तथा उपयुक्तता निर्धारण को मान्यता देने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

स्कूलों द्वारा डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने से एआईएम बेहतर निष्पादन करने वाले स्कूलों का पता लगाने में समर्थ बनता है। केवल उच्च संख्या दर्ज करने की बजाय शिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित है।

माईएटीएल एक ऑनलाइन शासी माध्यम प्रदान करता है, जिसमें बेहतर निष्पादन करने वाले, सुसंगत स्कूलों को अलग-अलग मापदंडों और संतुष्टि के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो उन्हें बेहतर निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एटीआई स्कूलों का मानव संसाधन विकास मंत्रालय जीआईएस पोर्टल पर जियोटैग्ड एटीएल स्कूल स्थान के साथ अन्य ब्योरा भी देखा जा सकता है। एटीएल स्कूल का जियोटैग्ड मैप जिले भर में फैले क्लस्टर्स को समझने में मदद करता है, साथ ही उन क्षेत्रों का आसानी से पता लगाने, जहां स्कूलों की आवश्यकता अधिक है, के साथ कार्यक्रम की कारगरता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है।

https://aim.gov.in/atl/

4. एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019-20

सूचकांक के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड को नया रूप दिया गया है। नया डैशबोर्ड राष्ट्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आंकड़े एकत्र करने तथा प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक कल्पना और विश्लेषण टूल आयोजित करता है। डैशबोर्ड सरकारों, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंकों और शिक्षाविदों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में अधिक सहायता करेगा, जिसका उपयोग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एसडीजी ढांचे के तहत तेजी से प्रगति के लिए कर सकते हैं।

यह सूचकांक नीति संवाद पर ध्यान देने, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक साधन के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है और वैश्विक स्तर पर मान्यता योग्य मैट्रिक्स के लिए विकास कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा है। यह, एसडीजी की निगरानी और राष्ट्रीय, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता से संबंधित महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करने में भी मदद करेगा।

सूचकांक रिपोर्ट https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-12/एसडीजी-India-Index-2.0_27-Dec.pdf से डाउनलोड की जा सकती है:

इंडेक्स डैशबोर्ड को http://एसडीजीindiaindex.niti.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

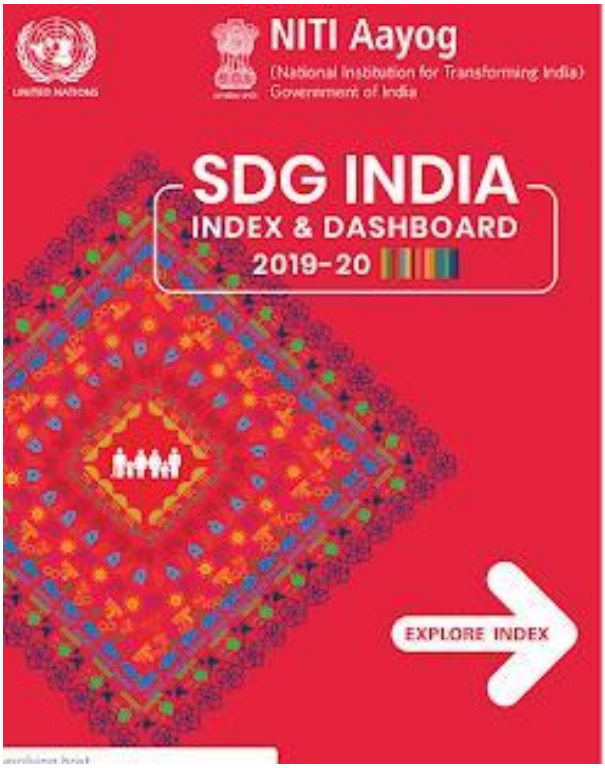

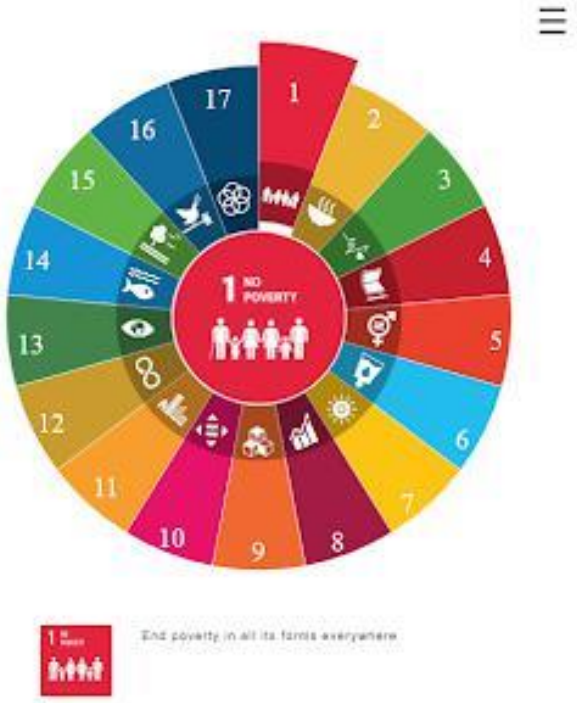

प्रमुख निष्पादन सूचकांक

सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की खोज में, नीति आयोग विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों, जैसे कि जल, शिक्षा, पोषण, के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए विकासशील संकेतकों पर जोर दे रहा है।

एसडीजी इंडिया सूचकांक

नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को भारतीय सूचकांक में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का दूसरा संस्करण जारी किया। भारत, एसडीजी से संबंधित प्रगति के सरकार-नीत, उप-राष्ट्रीय माप वाला विश्व का पहला देश है। यह सूचकांक, 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेज है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जो इस ग्रह और इस पर रहने वाले जीवधारियों के जीवन को खतरे में डालने वाली असंख्य चुनौतियों के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया है। लक्ष्यों का निर्धारण सभी मनुष्यों की भलाई तथा समृद्धि और सभी ईकोसिस्टमों एवं वर्तमान तथा भावी जीवन के उत्कर्ष के लिए तैयार किया गया है। भारत मानवता का 1/6 और वनस्पतियों तथा जीवों की असंख्य प्रजातियों का घर है, और एसडीजी प्राप्त करने में इसकी सफलता विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इस ज़िम्मेदारी से अच्छी तरह अवगत है कि उसने एसडीजी ढांचे को अपनाया है तथा अपने विकास एजेंडे को एसडीजी के साथ लक्ष्यों और इसके लक्ष्यों की समयबद्ध उपलब्धि को पूरी तरह से संबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तथापि, एसडीजी कार्रवाई को राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जा सकता। देश के संघीय ढांचे, और संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा जिम्मेदारियों के विभाजन को देखते हुए, एसडीजी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए राज्यों को अग्रणी भूमिका निभाना अनिवार्य है।

नीति आयोग देश में एसडीजी को स्वीकार करने और निगरानी के प्रबंधन के अधिदेश का वहन करता है। नीति आयोग 'निर्धारित मापदंड की पूर्ति' मंत्र पर विश्वास रखता है। यह, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद विचारधारा से संबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप एसडीजी भारत सूचकांक की अवधारणा है कि एसडीजी प्रगामी दुनिया का पहला सरकार-नीत, उप-राष्ट्रीय परिणाम है। यह एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। सूचकांक का प्रथम संस्करण दिसंबर 2018 तथा दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2019 में प्रारंभ किया गया था। सूचकांक के लिए इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन वाला एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो सार्वजनिक डोमेन में है।

सूचकांक एक कार्यप्रणाली को अपनाता है, जिसमें प्रत्येक एसडीजी की स्थिति समूचे देश और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है, जहां 100 का अर्थ लक्ष्यों को प्राप्त करना है और 0 बदतर निष्पदान को दर्शाता है।

सूचकांक के 2018 संस्करण में, एसडीजी 13 (लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को छोड़कर), 2019 संस्करण में - एसडीजी 16 की रैंकिंग और लक्ष्य 17 का गुणात्मक मूल्यांकन सहित उन सभी को शामिल किया गया है, जबकि 2018 संस्करण में 62 संकेताकें का उपयोग किया गया था। 2019 संस्करण में 100 संकेतक शामिल हैं। इस प्रकार, संस्करण 2019 का सूचंकाक अपने पहले संस्करण की तुलना में अधिक सुदृढ़, व्यापक और परिष्कृत है। 2019 सूचकांक में प्रयोग किए जाने वाले संकेतक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से लिए गए हैं।

30 दिसंबर, 2019 को एसडीजी सूचकांक तथा डैशबोर्ड 2019-20 का शुभारंभ

परिणाम

सूचकांक के 2019 संस्करण के अनुसार भारत के लिए समग्र स्कोर 60 है, जो कि 2018 के 57 स्कोर की तुलना में बेहतर है। उच्चतम स्कोर एसडीजी 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता) में 88 तथा एसडीजी 2 में सबसे कम स्कोर (पोषण और भूखमरी रहित): 35 प्राप्त हुआ था।

स्कोर: 2019 स्कोर: 2018	लक्ष्य प्राप्तकर्ता (100)	अग्रणी (65-90)	निष्पादक (50-64)	आकांक्षी (0-49)

चित्र 1: 2019-20 के लिए देश में लक्ष्य-वार स्कोर। 2018 में सबसे नीचे वाले बॉक्स में संख्या स्कोर दर्शाते हैं।

2018 से 2019 तक का सबसे बड़ा सुधार एसडीजी 6 (+25), 7 (+19) और 9 (+21) में हुआ हैं। एसडीजी 6 में सराहनीय सुधार का श्रेय स्वच्छ भारत अभियान तथा जल जीवन अभियान की सफलता को दिया जा सकता है। एसडीजी 7 में वृहत्त रूप से प्रगति सौभाग्य योजना के तहत घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण और उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के प्रावधान के परिणाम है। एसडीजी 9 में उन्नति का श्रेय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल बस्तियों, डिजिटल समावेश और इंटरनेट और मोबाइल पैठ में उठाए गए सराहनीय कदमों को दिया जा सकता है। एसडीजी 9 के तहत हुए सुधार से ईज-ऑफ-डूइंग व्यवसाय की वैश्विक रैंकिंग 2018 में 77 से 2019 तक 63 भारत की प्रगति को दर्शाती है।

समस्त राज्यों में से, केरल ने 70 के स्कोर के साथ पहला रैंक प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश 69 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। संघ राज्य क्षेत्रों में, चंडीगढ़ ने 70 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा पुडुचेरी 66 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली नौ संघ राज्य क्षेत्रों में से 61 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहा।

तीन राज्य - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और तेलंगाना - 67 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार क्रमशः 53, 53 और 50 के स्कोर के साथ तालिका में सबसे नीचे रहे।

राज्य

केरल
हिमाचल प्रदेश
आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु
तेलंगाना
कर्नाटक
गोवा
सिक्किम
गुजरात
महाराष्ट्र
उत्तराखंड
पंजाब
मणिपुर
पश्चिम बंगाल
मध्य प्रदेश
उड़ीसा
त्रिपुरा
हरियाणा
नागालैंड
राजस्थान
छत्तीसगढ़
मिजोरम
असम
उत्तर प्रदेश
मेघालय
अरुणाचल प्रदेश
झारखंड
बिहार

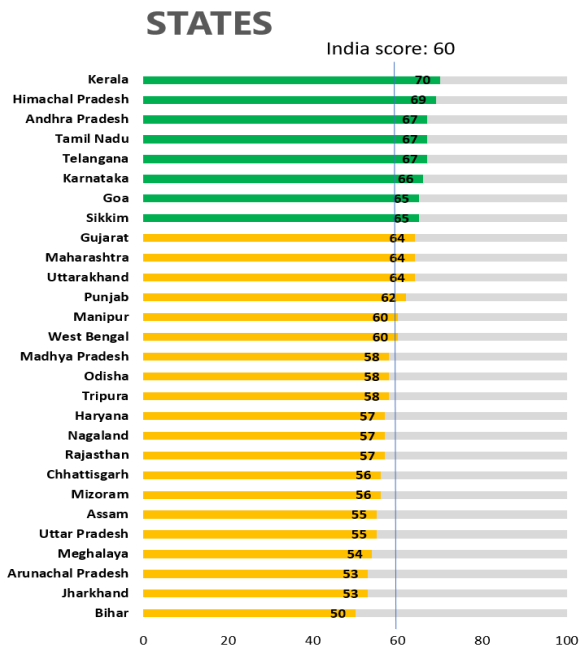

चित्र 2: राज्य-वार स्कोर

संघ राज्य क्षेत्र

भारत का स्कोर: 60

चंडीगढ़

पुडुचेरी

लक्ष्यदीप

दादरा एवं नागर हवेली

दिल्ली

दमन एवं दीव

अंडमान निकोबार द्वीप समूह

जम्मू और कश्मीर

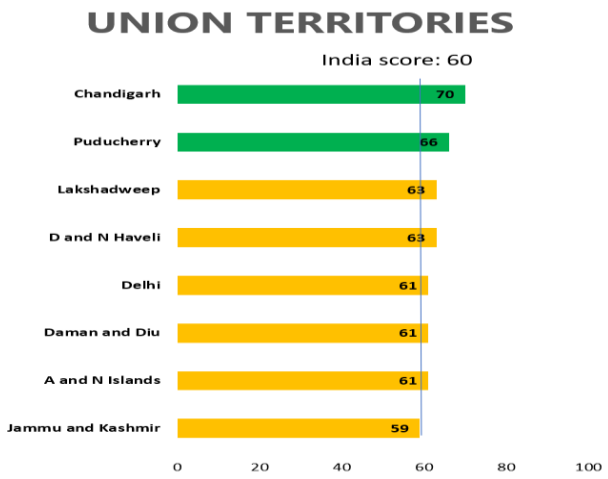

चित्र 3: संघ राज्य क्षेत्र-वार स्कोर

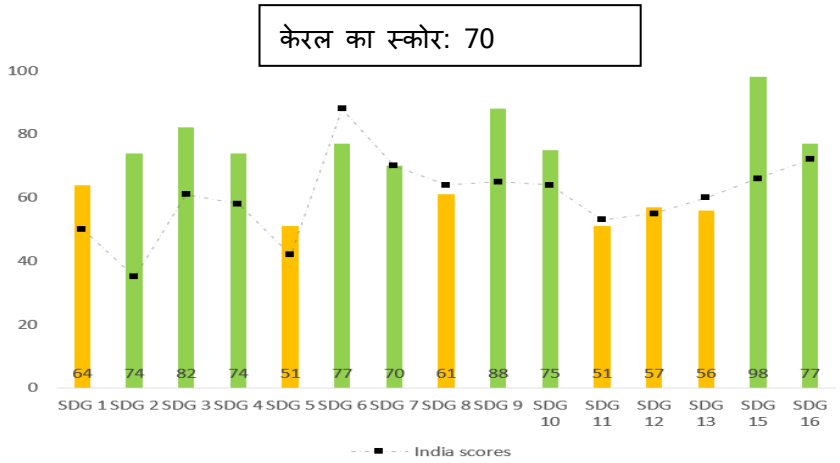

चित्र 4: केरल का लक्ष्य-वार स्कोर, तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य तथा देश स्कोर (लाइन)

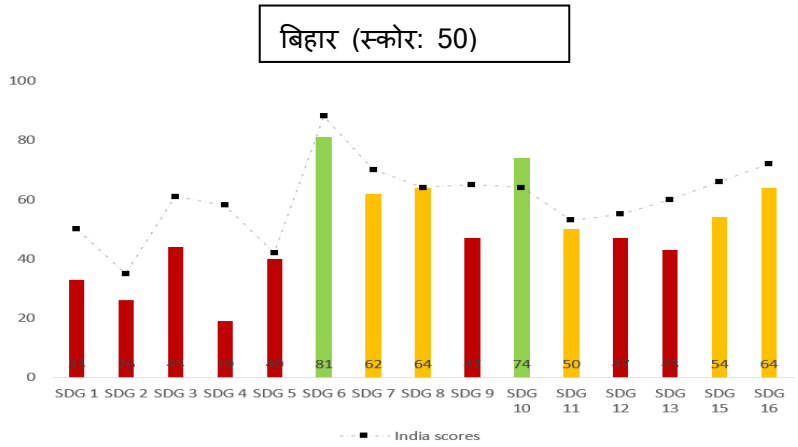

चित्र 5: बिहार का लक्ष्य-वार स्कोर, तालिका में निचला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य तथा देश स्कोर (लाइन)

सुधार: 2018 में 50 से कम स्कोर करने वाले सभी तीन राज्य (असम, बिहार और उत्तर प्रदेश) और 'आकांक्षी' की श्रेणी में अपने स्कोर में 50 से ऊपर सुधार करने वाले तथा 50 से 64 के बीच

स्कोर के साथ 'कर्ता' की श्रेणी में स्नातक पूरा करने वाले। दोनों राज्यों (आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम और तेलंगाना) सहित 50 और 64 के बीच वाले पांच राज्यों ने 2019 में 65 या अधिक स्कोर प्राप्त किए हैं, इस प्रकार 'कर्ता' श्रेणी से 'फ्रंट रनर' तक पहुंचे हैं।

राज्य	2018 रैंक	2019 रैंक	परिवर्तन की दिशा
केरल			
हिमाचल प्रदेश			
तिमलनाडु			
आंध्र प्रदेश			
गोवा			
गुजरात			
कर्नाटक			
महाराष्ट्र			
तेलंगाना			
पंजाब			
उत्तराखंड			
मणिपुर			
मिजोरम			
राजस्थान			
छत्तीसगढ़			
सिक्किम			
पश्चिम बंगाल			
हरियाणा			
त्रिपुरा			
मध्य प्रदेश			
मेघालय			
अरूणाचल प्रदेश			
नागालैंड			
उड़ीसा			
झारखंड			
असम			
बिहार			
उत्तर प्रदेश			

States	2018 Rank	2019 Rank	Direction of change
Kerala	1	1	
Himachal Pradesh	1	2	
Tamil Nadu	3	3	
Andhra Pradesh	4	3	
Goa	4	7	
Gujarat	4	9	
Karnataka	4	6	
Maharashtra	4	9	
Telangana	9	3	
Punjab	10	12	
Uttarakhand	10	9	
Manipur	12	13	
Mizoram	12	21	
Rajasthan	12	18	
Chhattisgarh	15	21	
Sikkim	15	7	
West Bengal	17	13	
Haryana	18	18	
Tripura	18	15	
Madhya Pradesh	21	15	
Meghalaya	21	25	
Arunachal Pradesh	23	26	
Nagaland	23	18	
Odisha	23	15	
Jharkhand	26	26	
Assam	27	23	
Bihar	28	28	
Uttar Pradesh	29	23	

चित्र 6: 2018 तथा 2019 में राज्य तथा रैंक

संघ राज्य क्षेत्र	2018 रैंक	2019 रैंक	परिवर्तन की दिशा
चंडीगढ			
पुडुचेरी			
दमन और दीप			
दिल्ली			
लक्ष्यदीप			
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह			
दादरा और नागर हवेली			
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख			

Union Territories	2018 Rank	2019 Rank	Direction of change
Chandigarh	1	1	
Puducherry	2	2	
Daman & Diu	3	5	
Delhi	4	5	
Lakshadweep	4	3	
Andaman &Nicobar Islands	6	5	
Dadra & Nagar Haveli	7	3	
Jammu & Kashmir and Ladakh	20	8	

चित्र 7: 2018 तथा 2019 में संघ राज्य क्षेत्र तथा रैंक

तीव्रतम प्रवर्तक: वर्ष 2018 का सबसे बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्कोर में 13 अंकों की वृद्धि और 29 वीं से 23 वीं रैंक के उछाल के साथ प्राप्त किया गया था। ओडिशा और सिक्किम 7 अंकों के उछाल के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ओडिशा 23 वें स्थान से 15 वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि सिक्किम राज्य का 15 वीं से 7 वीं रैंक में सुधार हुआ। इन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी स्कीमों तथा का-र्यक्रमों की सफलता के कारण इन राज्यों ने एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवोन्मेष और बुनियादी ढांचे) में सराहनीय प्रगति की है।

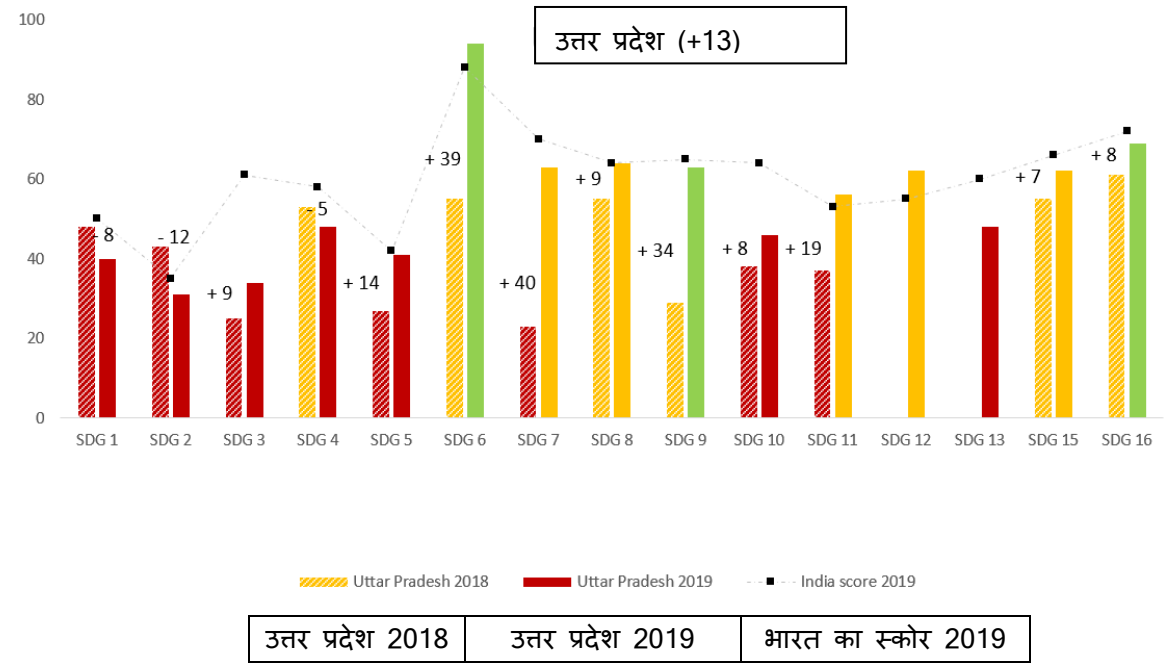

चित्र 8: उत्तर प्रदेश के लिए 2018 से 2019 तक तीव्रतम प्रवर्तक के रूप में लक्ष्य-वार परिवर्तन

व्यक्तिगत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की रूपरेखा

रैंकिंग के अलावा, 2019 संस्करण में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की रूपरेखा संबंधी एक खंड भी है, जो उनसे संबंधित निष्पादन और संकेतक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रगति को चिह्नित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण को प्रोत्साहित करेगा।

भारत नवोन्मेष सूचकांक

भारत के लिए विकास और समृद्धि के प्रमुख संचालक के रूप में नवोन्मेष की भूमिका को स्वीकार करते हुए, नीति आयोग ने 17 अक्टूबर, 2019 को भारत नवोन्मेष सूचकांक जारी किया। सूचकांक 29 राज्यों और सात संघ राज्य क्षेत्रों के नवोन्मेष पर्यावरण के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाता है तथा उनके सूचकांक स्कोर के आधार पर उनका स्थान निर्धारित

करता है। देश भर के नीति निर्धारक अपने क्षेत्रों की आर्थिक विकास नीतियों को तैयार करते समय, सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए सूचकांक और क्षमता-निर्माण का उपयोग कर सकते हैं।

भारत नवोन्मेष सूचकांक 2019 का शुभारंभ

तीन अलग-अलग श्रेणियों में शीर्ष पांच राज्यों की नवोन्मेष रैंकिंग नीचे दी गई है:

भारत नवोन्मेष सूचकांक 2019- प्रत्येक श्रेणी में श्रेष्ठ 5 राज्य

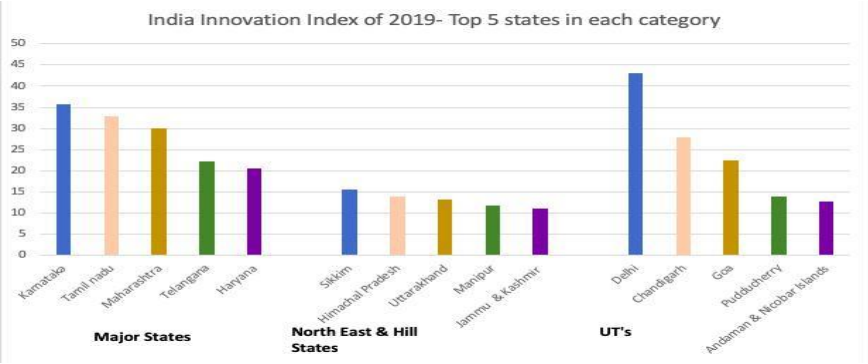

कर्नाटक	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	तेलंगाना	हरियाणा	सिक्किम	हिमाचल प्रदेश	उत्तराखंड	मणिपुर	जम्मू और कश्मीर	दिल्ली	चंडीगढ़	गोवा	पुडुचेरी	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
प्रमुख राज्य					उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य					संघ राज्य क्षेत्र				

स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) विकसित किया गया था। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने तथा

अपेक्षित पाठ्यक्रम सुधार करने अथवा नीतिगत कार्यक्रमों का एक मंच उपलब्ध कराकर शिक्षा नीति हेतु 'परिणामों' पर ध्यान केंद्रित करना है।

प्रतिस्पर्धी और सहयोगी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, एसईक्यूआई देश भर में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), विश्व बैंक और क्षेत्र विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों सहित एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक शामिल हैं। ये संकेतक हैं:

श्रेणी 1: परिणाम
डोमेन 1: शिक्षण परिणाम
डोमेन 2: पहुंच परिणाम
डोमेन 3: परिणामों के लिए अवसंरचना और सुविधाएं
डोमेन 4: इक्विटी परिणाम

श्रेणी 2: शासी-प्रक्रिया-सहायता परिणाम

- शिक्षण संबंधी परिणाम
- अभिगम परिणाम
- परिणामों के लिए अवसंरचना और सुविधाएं
- इक्विटी परिणाम
- शासन प्रक्रिया सहायता परिणाम

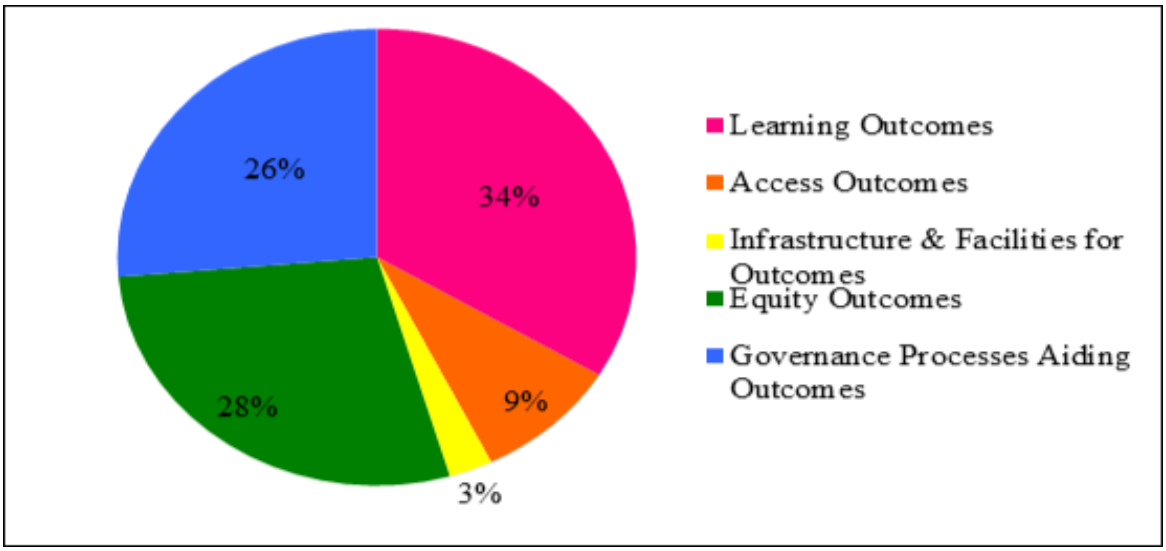

स्कूली शिक्षा के परिणाम वास्तविक शिक्षण परिणामों में होने चाहिए। यह प्रणाली शिक्षण सीखने की ओर अग्रसर है यह सुनिश्चित करने के लिए एसईक्यूआई शिक्षण परिणामों के लिए लगभग अपना आधा योगदान देता है। शिक्षण पर ध्यान केंद्रित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए यह समूचे राष्ट्र में एक मजबूत संकेत भेजता है।

तुलनात्मक सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों में समग्र निष्पादन स्कोर

तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए रैंकिंग का सृजन करने हेतु संकेतक मूल्यों को उचित रूप से बढ़ाया, मानकीकृत और मापा गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित वर्ष 2016-17 में उनके समग्र निष्पादन के साथ-साथ संबंधित वर्ष और बुनियादी वर्ष (2015-16) के बीच उनके निष्पादन में बदलाव के अनुसार रैंक दिया जाता है। यह रैंकिंग, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की स्थिति तथा समय के साथ उनकी सापेक्ष प्रगति में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है।

इस वर्ष के दौरान, नीति आयोग ने सभी संकेतकों के लिए आंकड़े संचयन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट के प्रथम संस्करण को 30 सितंबर, 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। केरल, मणिपुर और चंडीगढ़ समग्र निष्पादन में शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि हरियाणा, मेघालय, दमन और दीव ने सबसे अधिक सुधार दिखाया। डोमेन-वार और संकेतक-वार विश्लेषण सहित विस्तृत रैंकिंग www.social.niti.gov.in पर उपलब्ध है।

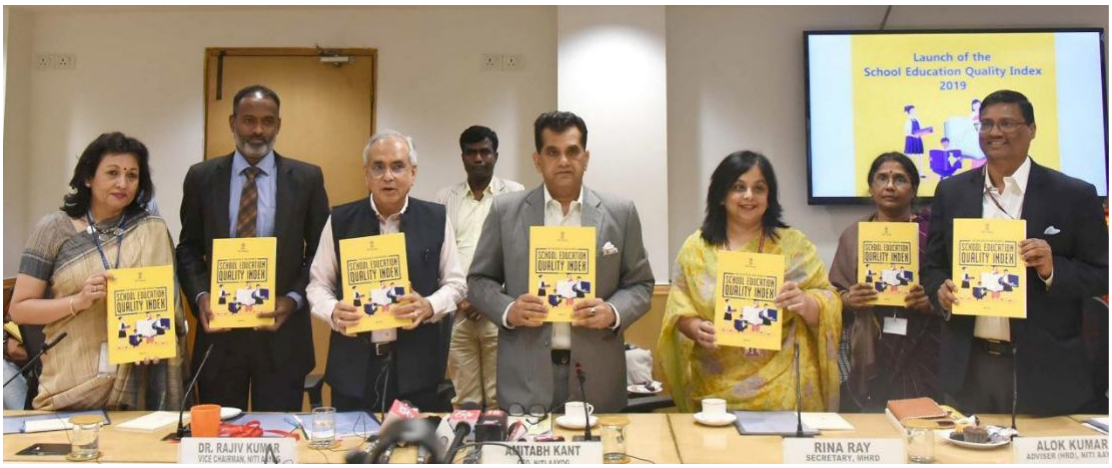

एसईक्यूआई कार्यक्रम का आरंभ

केरल, मणिपुर और चंडीगढ़ समग्र प्रदर्शन में शीर्ष पर रहे जबकि हरियाणा, मेघालय, दमन और दीव ने सबसे अधिक सुधार दिखाया।

समग्र निष्पादन रैंकिंग

बड़े राज्य

रैंक	**राज्य**
1	**केरल**
2	**राजस्थान**
3	**कर्नाटक**

छोटे राज्य

रैंक	राज्य
1	मणिपुर
2	त्रिपुरा
3	गोवा

संघ राज्य क्षेत्र

1	चंडीगढ़
2	दादर एवं नागर हवेली
3	दिल्ली

शीर्ष प्रदर्शनकारी - एसईक्यूआई समग्र प्रदर्शन रैंकिंग

वृद्धिशील निष्पादन रैंकिंग

बड़े राज्य

रैंक	**राज्य**
1	**हरियाणा**
2	**असम**
3	**उत्तर प्रदेश**

छोटे राज्य

रैंक	राज्य
1	मेघालय
2	नागालैंड
3	गोवा

संघ राज्य क्षेत्र

1	दमन एवं दीव
2	दादर एवं नागर हवेली
3	पुडुचेरी

शीर्ष प्रदर्शनकारी - एसईक्यूआई समग्र प्रदर्शन रैंकिंग

Overall Performance Ranking

Large States

Rank	State
1	Kerala
2	Rajasthan
3	Karnataka

Small States

Rank	State
1	Manipur
2	Tripura
3	Goa

Union Territories

Rank	Union Territory
1	Chandigarh
2	Dadra & Nagar Haveli
3	Delhi

शीर्ष प्रदर्शनकारी - एसईक्यूआई समग्र प्रदर्शन रैंकिंग

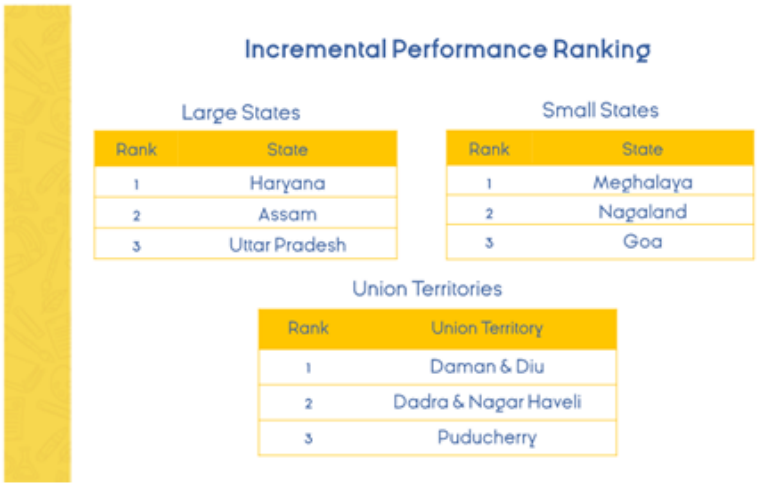

Incremental Performance Ranking

Large States

Rank	State
1	Haryana
2	Assam
3	Uttar Pradesh

Small States

Rank	State
1	Meghalaya
2	Nagaland
3	Goa

Union Territories

Rank	Union Territory
1	Daman & Diu
2	Dadra & Nagar Haveli
3	Puducherry

शीर्ष प्रदर्शनकारी - एसईक्यूआई वर्धित प्रदर्शन रैंकिंग

डोमेन-वार और संकेतक-वार विश्लेषण सहित विस्तृत रैंकिंग www पर उपलब्ध है। **social.niti.gov.in।**

वृद्धि प्रगति के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा <u>अन्वेषण</u>	श्रेणियों और क्षेत्रों का भार <u>श्रेणी</u> | <u>क्षेत्र</u> ▪ परिणाम ▪ शासन प्रक्रिया

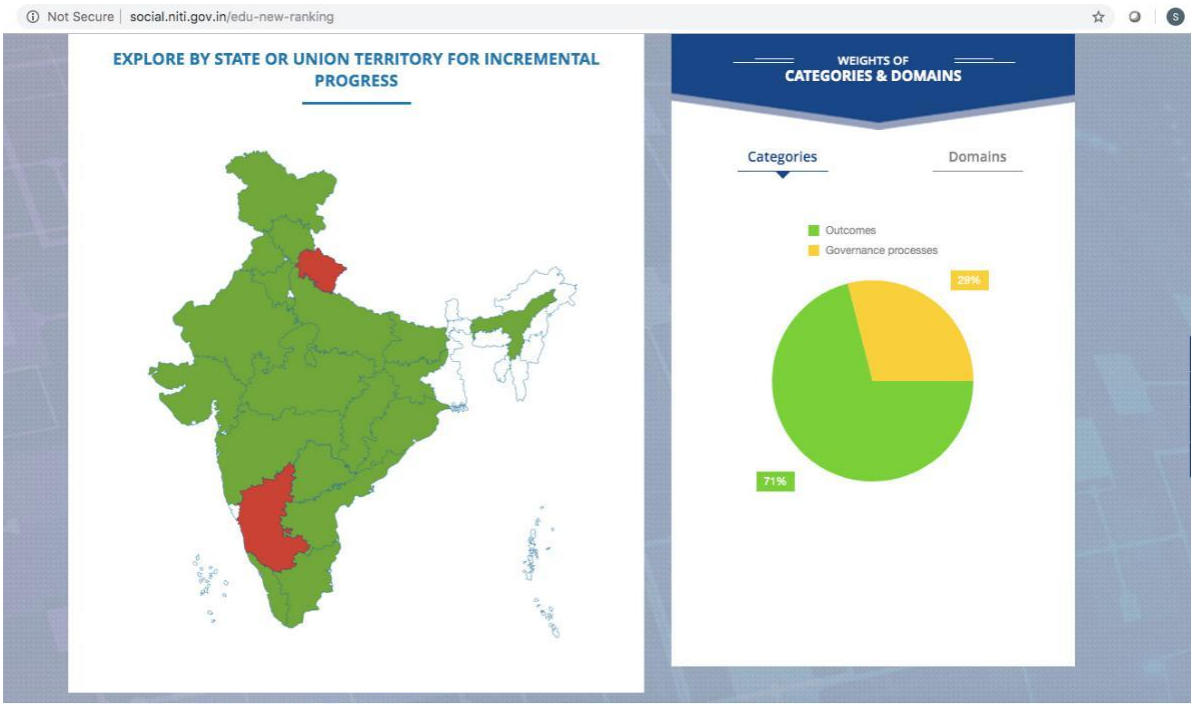

जल प्रबंधन सूचकांक

संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक का दूसरा दौर जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत तथा नीति आयोग उपाध्यक्ष, डॉ जीव कुमार द्वारा 14 अगस्त 2019 को आरंभ किया गया था। इसे

सभी राज्यों में परिचालित किया गया है। इस प्रयास से राज्यों में पानी के उपयोग के विभिन्न पहलुओं में आंकड़े अनुरक्षण तथा जल संरक्षण की भावना पैदा हो सकती है। यह एक वार्षिक कार्य है, सूचकांक के तीसरे दौर का कार्य आरंभ हो चुका है।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक

नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्य) और विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से विभिन्न प्रकार के संकेतकों - स्वास्थ्य परिणामों, शासन तथा प्रक्रियाओं से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक निष्पादन को मापने के लिए 2017 से स्वास्थ्य सूचकांक पहल की अगुवाई कर रहा है। सूचकांक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्रवाई की दिशा में राज्यों को प्रेरित करना है। नीति आयोग बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने में देश का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक वार्षिक व्यवस्थित साधन के रूप में सूचकांक की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। सूचकांक का दूसरा दौर जून 2019 में जारी किया गया था।

जिला अस्पताल सूचकांक

एक कार्यकारी समूह द्वारा तैयार किए गए ढांचे के अनुसार, नीति ने परिणामों के आधार पर जिला अस्पतालों के निष्पादन का पता लगाने का कार्य किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान को जिला अस्पतालों के निष्पादन का आकलन करने हेतु एक पोर्टल विकसित करने तथा विश्लेषक उपयोग के लिए चुना गया है, जबकि राष्ट्रीय प्रत्यायन अस्पताल बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद (एनएबीएच-क्यूसीआई) को प्रतिस्पर्धी-बोली प्रक्रिया के माध्यम से आंकड़े सत्यापन के लिए चुना गया। 707 जिला अस्पतालों (97%) के लिए स्वास्थ्य-प्रबंधन-सूचना प्रणाली के आंकड़ों का सत्यापन पूरा हो चुका है और परिणामों का विश्लेषण चल रहा है।

राज्य ऊर्जा सूचकांक

सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच, सामर्थ्य और स्थिरता की तुलना करने के लिए राज्य ऊर्जा सूचकांक को विकसित करने का कार्य आरंभ किया गया है। सूचकांक में चार व्यापक श्रेणियों के तहत 20 संकेतक शामिल हैं: (1) पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता (2) स्वच्छ पहलें (3) ऊर्जा और दक्षता (4) डीआईएससीओएम की व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धा। यह उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जो वस्तुत: बदले में केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यनीति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए सशक्त बनाएगा। पहुंच और क्षमता निर्माण के विस्तार हेतु, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई है। संकेतकों के लिए आंकड़े राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं।

सहयोगी संघवाद

1. पांचवीं शासी परिषद की बैठक
2. शिक्षा में परिवर्तनशील मानव पूंजी (एसएटीएच) के लिए सतत कार्रवाई
3. राज्यों को विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस)
4. पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच
5. द्वीपों का समग्र विकास
6. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास

परिचय

नीति आयोग का गठन एक मजबूत राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु सहयोगी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए किया गया है।

सहयोगी संघवाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं (1) केंद्र तथा राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा पर संयुक्त फोकस और (2) केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की चिंताओं और मुद्दों का पक्षपोषण।

नीति आयोग ने अवसंरचना विकास के लिए मॉडल और कार्यक्रम भी स्थापित किए हैं और सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित करना जैसे:- केंद्र-राज्य भागीदारी मॉडल: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस); और परिवर्तनशील मानव पूंजी (एसएटीएच) कार्यक्रम हेतु सतत कार्रवाई।

इसके अलावा, क्षेत्रीय विकासात्मक असंतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर, द्वीप और हिमालयी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और सहायता की आवश्यकता को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नीति ने इन राज्यों की विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने और इस क्षेत्र में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु विशेष नीतियां बनाने के लिए विशेष मंचों का गठन किया है।

रिपोर्ट का यह खंड सहयोगी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2019-20 में की गई पहलों और क्रियाकलापों का अतिरिक्त ब्योरा प्रदान करता है।

शासी परिषद

शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसका गठन 16 फरवरी 2015 को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से हुआ। अब तक परिषद की पांच बैठकें माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों / उपराज्यपालों और नीति आयोग के अन्य सदस्यों के साथ आयोजित की गई हैं ।

नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक 15 जून 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई थी।

नीति आयोग की शासी परिषद की पाँचवीं बैठक राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई

परिषद ने निम्नलिखित पर विचार-विमर्श किया :

- बारिश के पानी का संग्रहण
- सूखे की स्थिति और राहत के उपाय
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: उपलब्धियां और चुनौतियां
- कृषि का बदलता स्वरूप: निम्नलिखित पर विशेष जोर देते हुए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता :

  क) कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम

  ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- वामपंथी-उग्रवाद से प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए सुरक्षा से संबंधित मामले ।

नीति आयोग की शासी परिषद की पाँचवीं बैठक राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई

दिन भर के विचार-विमर्श के उपरांत अंत में, माननीय प्रधान मंत्री ने सहकारी संघवाद को प्रेरित करने के लिए नीति आयोग की शासी परिषद के महत्व पर प्रकाश डाला और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास " के सपने को साकार करने में नीति आयोग के योगदान पर बल दिया। उन्होंने राज्यों से जिला स्तर पर जीडीपी के लिए लक्ष्य तय करने और संबंधित राज्य की जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान किया ।

शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संधारणीय कार्रवाई (एसएटीएच)

मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को व्यवस्थित रूप से सुधारना और परिवर्तन के मॉडल राज्य बनाना है। सितंबर 2017 में शुरू की गई परियोजना के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित तीन राज्यों- झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को चुना गया था । इस कार्यक्रम को ज्ञान भागीदारों बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और शिक्षा नेतृत्व के लिए पीरामल फाउंडेशन (पीएफईएल) संघ और इस प्रक्रिया में सुविधा-प्रदाता और समन्वयक के रूप में नीति आयोग के साथ इन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के तीसरे चरण का कार्य चल रहा है और मार्च 2020 में पूरा होने की संभावना है ।

अकादमिक और प्रशासनिक सुधार को सुविधाजनक बनाने वाले कुछ व्यवधान निम्नलिखित है-:

- बड़े पैमाने पर सीखने के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना
- स्कूल विलय और समेकन
- शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण
- प्रणाली-व्यापी प्रशिक्षण और निगरानी कार्यक्रम
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत बनाना
- जिलेवार स्कोरकार्ड के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- स्कूल प्रमाणन कार्यक्रम

परियोजना की प्रगति की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन समूह (एनएसजी) और केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू)के माध्यम से और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) द्वारा की जा रही है ।

नीति आयोग वर्तमान में इन राज्यों में किए गए सुधार की यात्रा को दिखाने और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे ही सुधार करने के लिए कार्यान्वयन टूलकिट तैयार करने की प्रक्रिया में है।
शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को व्यवस्थित रूप से सुधारना और परिवर्तन के मॉडल राज्य बनाना है। सितंबर 2017 में शुरू की गई परियोजना के लिए तीन राज्यों- झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को चुना गया था, जिसे चुनौती पद्धति के आधार पर चुना गया था। यह कार्यक्रम इन राज्यों में एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकारें, ज्ञान भागीदार बोस्टन शामिल हैं। परामर्श समूह और पिरामल फाउंडेशन, और नीति आयोग । इस परियोजना के तीसरे चरण का कार्य चल रहा है और मार्च 2020 में पूरा होने की संभावना है ।

अकादमिक और प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित योगदान से और बेहतर हुआ है-:

- बड़े पैमाने पर सीखने के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना
- स्कूल विलय और समेकन
- शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण
- प्रणाली-व्यापी प्रशिक्षण और निगरानी कार्यक्रम
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत बनाना
- जिलेवार स्कोरकार्ड के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- स्कूल प्रमाणन कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्तर पर, परियोजना के प्रगति की निगरानी राष्ट्रीय स्टीयरिंग ग्रुप (एनएसजी) और केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई द्वारा की जा रही है तथा राज्य स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई द्वारा की जा रही है।

इन योगदानों के परिणामस्वरूप सभी 3 राज्यों में सीखने के परिणामों में सुधार हुआ है ।

परियोजना एसएटीएच के राष्ट्रीय संचालन समूह की बैठक

नीति आयोग वर्तमान में इन राज्यों में किए गए सुधार की यात्रा को दिखाने और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे ही सुधार करने के लिए कार्यान्वयन टूलकिट तैयार करने की प्रक्रिया में है।

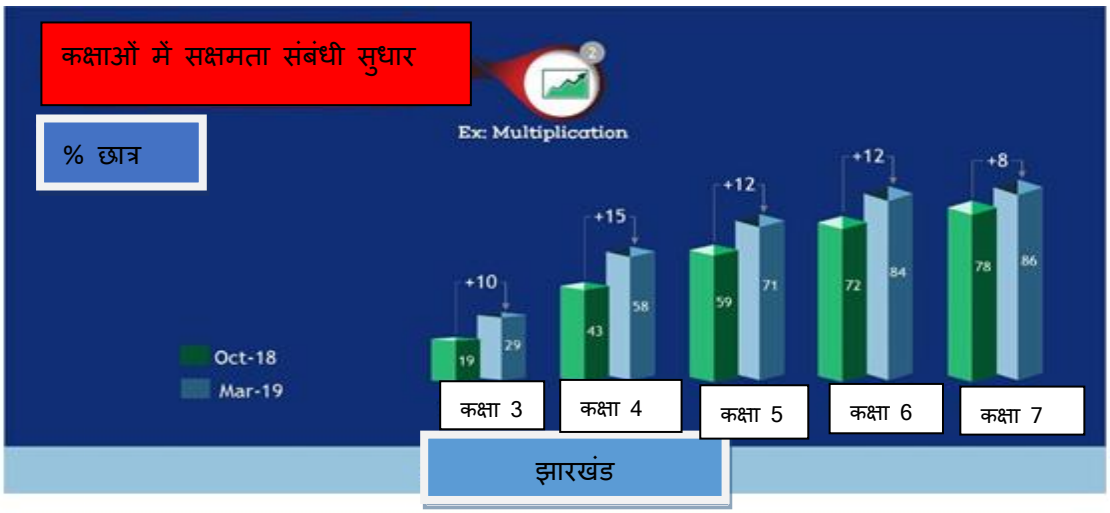

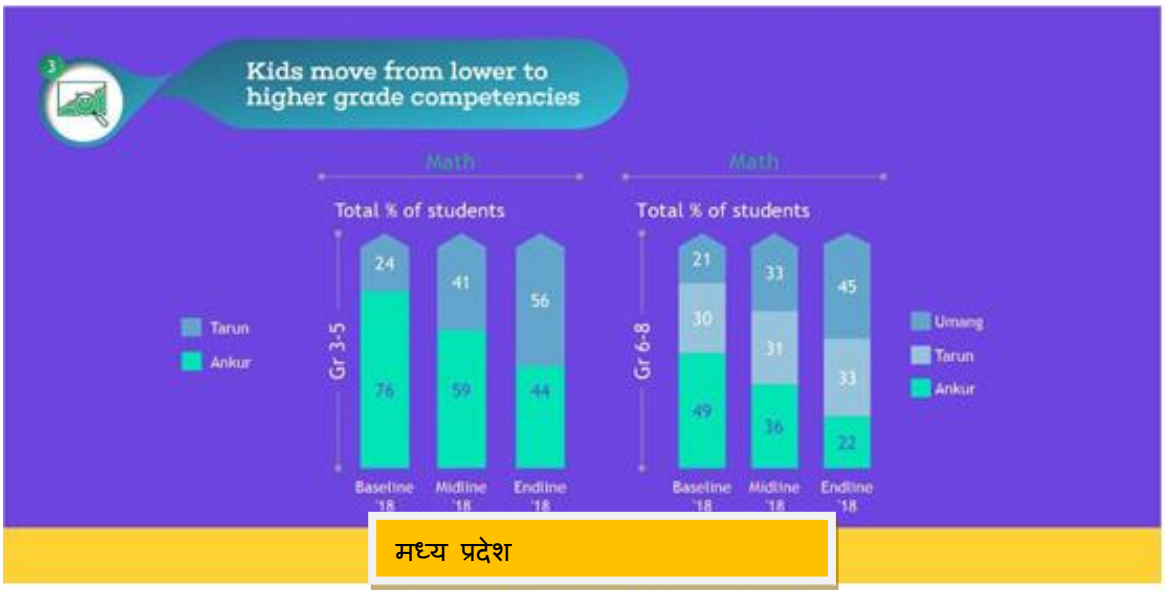
Kids move from lower to higher grade competencies
Math
Total % of students
Gr 3-5
24
76
41
59
56
44
Baseline '18
Midline '18
Endline '18
Tarun
Ankur
Math
Total % of students
Gr 6-8
21
30
49
33
31
36
45
33
22
Baseline '18
Midline '18
Endline '18
Umang
Tarun
Ankur

मध्य प्रदेश

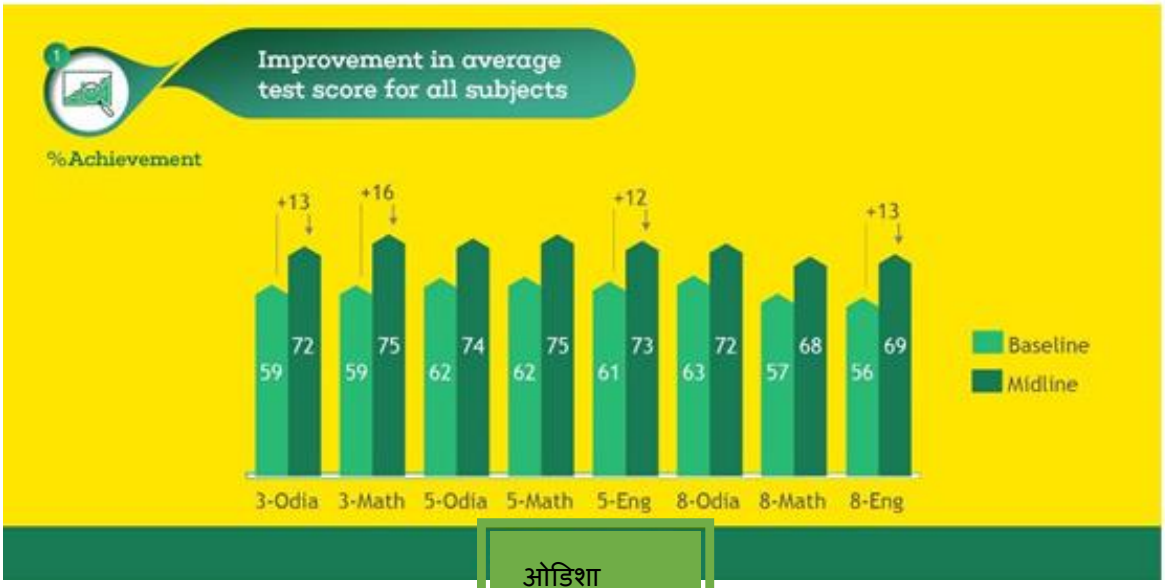
Improvement in average test score for all subjects
%Achievement
+13
59
72
+16
59
75
62
74
62
75
+12
61
73
63
72
57
68
+13
56
69
3-Odia
3-Math
5-Odia
5-Math
5-Eng
8-Odia
8-Math
8-Eng
Baseline
Midline

ओडिशा

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (डीएसएसएस) हेतु विकास सहायता सेवाएं

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (डीएसएसएस) हेतु विकास सहायता सेवाओं का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सफलता की कहानियां बनाना और अवसंरचना परियोजना के वितरण मॉडल को रिबूट करना है, ताकि एक स्थायी अवसंरचना निर्माण चक्र स्थापित हो सके। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवधारणा योजना से लेकर वित्तीय समापन तक की परियोजना-स्तरीय सहायता प्रदान करना शामिल है। नीति आयोग ने चयनित अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने के लिए लेनदेन-प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु बाहरी सलाहकारों को शामिल किया है।

इस पहल का प्रथम चरण वित्त वर्ष 2018 में पूरी हो गई थी, जिसमें 10 परियोजनाओं वाली प्रदर्शनकारी परियोजना शेल्फ को 400 से अधिक परियोजनाओं में से चुना गया था, जो राज्यों से एक बहु-चरणीय परियोजना-चयन ढांचे के आधार पर प्राप्त की गई थी। आठ राज्यों की चयनित परियोजनाओं को राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर विकास करने के लिए चुना गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, चयनित परियोजनाओं के लिए इस पहल का दूसरा चरण पूरा हो गया है और चयनित परियोजनाएं कार्य-संपादन के स्तर पर है या तीसरा चरण के कार्य वर्ष 2019-20 के दौरान प्रगति पर रहा। तीसरे चरण में, तकनीकी सलाहकार नियुक्तियां और कार्य-संपादन स्वरूप और नीलामी दस्तावेज़ तैयार की जा रही है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में डीएसएसएस पहल के अंतर्गत अधिक परियोजनाएं पूरी की गईं । रणनीतिक योजना विकसित करने और विशेष रूप से पर्यटन, सौर ऊर्जा और अन्य के लिए सहायता प्रदान करने के लिए नवगठित केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत पूरा किया जाना है।

पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच

पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच का गठन फरवरी 2018 में किया गया था,ताकि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित, समावेशी लेकिन सतत आर्थिक विकास के लिए विभिन्न बाधाओं की पहचान की जा सके। यह नीति आयोग द्वारा गठित पहला क्षेत्रीय मंच है। इस मंच की सह-अध्यक्षता उपाध्यक्ष, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री द्वारा की जाती है । पहली बैठक 10 अप्रैल 2018 को अगरतला,त्रिपुरा में हुई थी।

मंच की दूसरी बैठक दिसंबर 2018 को गुवाहाटी,असम में आयोजित की गई थी। पांच प्रमुख जोर देने वाले क्षेत्रों जैसे पर्यटन,चाय,बांस, डेयरी और मत्स्यपालन की पहचान की गई है और पांच समानांतर सत्रों में इन पर चर्चा की गई। चर्चा के लिए निर्दिष्ट किए गए पैनल सदस्यों में उद्योग, शिक्षा और सरकार से प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल थे।

दूसरी बैठक की सिफारिशों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 2019 में तीसरी बैठक आयोजित की गई। सभी संबंधित मंत्रालयों को सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिनकी निगरानी की जा रही है ।

मिजोरम और सिक्किम में केबल कार के बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता अध्ययन के प्रस्तावों का मूल्यांकन**,** केंद्र और राज्य सरकारों के समर्थन से कार्यान्वित किया जाना है। युवा परामर्शदाता अध्ययन का संचालन करने में लगे हुए हैं। सिक्किम के लिए पहला मसौदा रिपोर्ट नवंबर 2019 में समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्राप्त हुआ था ।

बांस क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत पहल: मिजोरम सरकार ने स्थायी कृषि और ग्रामीण आजीविका परिवर्तन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए बांस क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर मिजोरम सरकार**,** राष्ट्रीय बांस मिशन**,** कृषि मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ अपेक्षित नीतिगत बिंदुओं पर चर्चा की गई।

सुबनसिरी परियोजना: सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का कार्य जारी है और संबंधित अधिकारियों के साथ इसका नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अनुवर्ती मंजूरी के बाद, असम सरकार ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, असम सरकार ने राज्य स्तर पर एक कार्यबल का गठन किया। नीति आयोग में 24 सितंबर 2019 को हुई एक बैठक में संबंधित अधिकारियों को इस परियोजना से संबंधित काम ढाई साल में पूरा करने का निर्देश दिया गया।

सिवोक-रंगपो रेल परियोजना और अगरतला-अखौरा रेल परियोजना: रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सिक्किम सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को एक अर्ध-शासकीय पत्र लिखा गया था। इसके बाद, 11 सितंबर 2019 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों राज्य सरकारों की परियोजनाओं से संबंधित लंबित मुद्दों को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, 17 सितंबर 2019 को एक और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को सिवोक-रंगपो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अगरतला-अखौरा रेल परियोजना पर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, हाल ही में भारत की ओर से इस परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव, संबंधित अधिकारियों और नीति आयोग के उत्तर-पूर्व वर्टीकल के निदेशक द्वारा एक क्षेत्र का दौरा किया गया था।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए फैक्टशीट: शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार, कौशल, महिला और बाल विकास, डब्लूएसएच, बाल अधिकार, शक्ति और सामाजिक बहिष्कार को शामिल करते हुए, इस क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के लिए फैक्टशीट तैयार किए गए हैं।

विशेष सहायता योजना: त्रिपुरा सरकार से 358.69 करोड़ रुपये; नागालैंड सरकार से 810.19 करोड़ रुपये; असम सरकार की ओर से 318.26 करोड़ रुपये; और अरुणाचल प्रदेश सरकार से 139.91 करोड़ रुपये जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना के तहत बैलेंस फंड जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई थी। मंत्रालय ने त्रिपुरा सरकार को 358.70 करोड़ रुपये और नागालैंड सरकार को 226.80 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अलावा, नागालैंड सरकार ने 529.43 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी करने का अनुरोध किया, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा समान राशि जारी कर दिया गया ।

असम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे 2015-16 से 2017-18 तक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राशि का आवंटन करने के बाद चल रही विशेष सहायता योजना परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करें और लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) भी प्रस्तुत करें ।

डिवीजन में एसएफसी / ईएफसी शामिल है-

1. नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई और कुछ सुझावों के साथ समर्थन किया गया ।
2. ईएफसी ने उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) की योजनाओं की समीक्षा करने और वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए धन के आवंटन का प्रस्ताव

रखा। समिति ने निधियों के आवंटन में 750 करोड़ रू. की वृद्धि करते हुए इस मामले का भी निदान किया - 3,500 करोड़ रुपये से 4,250 करोड़ रुपये तक करके और एनईसी को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए छूट प्रदान की ।

पूर्व-विचलन राजस्व घाटा (चौदहवाँ वित्त आयोग)

सिक्किम सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार सूक्ष्म अनुमानों के विरूद्ध 118 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी करने का अनुरोध किया था। उक्त राशि को जारी करने की सिफारिश वित्त मंत्रालय को की गई है ।

द्वीपों का समग्र विकास

समग्र विकास के लिए द्वीपों की पहचान करना

10 द्वीपों नामतः अंडमान और निकोबार में एविस, लागु, लिटिल अंडमान, स्मिथ और लक्षद्वीप में बांगाराम, चेरियाम, मिनिकॉय, सुहेली और टिन्नाकरा को संधारणीय विकास के लिए निर्दिष्ट किया गया ।

इस संबंध में, नीति आयोग द्वारा अवधारणा विकास योजनाओं और नौ द्वीपों के विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार में चार (एविस, लांग, स्मिथ, और रॉस) और लक्षद्वीप में पाँच (बांगरम, चेरियाम,मिनिकॉय, सुहेली और तिन्नकारा) स्थानों पर एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। इन द्वीपों के लिए अंतिम मास्टर प्लान और बुनियादी ढांचा योजना तैयार की गई है; इन द्वीपों की वहन क्षमता निर्धारित की गई है और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय क्षेत्रीकरण किया गया है। हवाई संपर्क में सुधार हेतु,नागरिक विमानों के लिए डिगलीपुर हवाई अड्डे को चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। मिनिकॉय में हवाई अड्डे का निर्माण,जो हमारे देश के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है,भारतीय वायु सेना (आईएएफ)को सौंपा गया है।

उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की पहचान :

अंडमान और निकोबार में चार मॉडल और लक्षद्वीप द्वीप समूह में तीन मॉडल की पहचान की गई है। इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी-मूल्यांकन समिति, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। संबंधित केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा परियोजनाओं के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सभी चार परियोजनाओं के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी दी गई है। लक्षद्वीप में परियोजनाओं के लिए, तेजी से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किया गया है। लक्षद्वीप में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाओं (आईआईएमपी) में संशोधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

विकास के लिए अतिरिक्त द्वीपों की पहचान

नीति आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के परामर्श से, सतत विकास के लिए 17 और द्वीप / स्थलों (अंडमान और निकोबार में 12 और लक्षद्वीप में पांच) की पहचान की है। ये हैं- अंडमान और निकोबार में नॉर्थ पैसेज, सिनक, इंगलिस, वाइपर, नील (भरतपुर बीच), रामनगर बीच, करमटांग बीच, धनीनाला बीच, कालीपुर बीच, रटलैंड, नॉर्थ बे और ग्रेट निकोबार (बी क्वारी) हैं तथा लक्षद्वीप में कलपनी, कदमत, अगाती, चेतलत और बिट्रा। इन अतिरिक्त द्वीपों के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं ।

लक्षद्वीप में चिन्हित द्वीपों के विकास के लिए भूमि संबंधी मामलेः

24 अप्रैल 2018 को आयोजित द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की तीसरी बैठक की सिफारिश के आधार पर, डॉ. टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति से अनुरोध किया गया था कि वह लक्षद्वीप (मिनिकॉय, सुहेली, बांगरम, चेरियम और थिनककारा द्वीप) के चिन्हित द्वीपों में भूमि संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव मॉडल की सिफारिश करें। समिति ने लक्षद्वीप में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें और परामर्श किए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए समिति की रिपोर्ट:

लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने व्यापक विचार-विमर्श किया, क्षेत्र का दौरा किया और दो द्वीपों में स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मतभिन्नता

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी वाले मगरमच्छों के संदर्भ में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। कार्य योजना को अंतिम रूप देते हुए आवश्यक

कार्रवाई के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ इसे साझा किया गया है। इस तरह के मतभिन्नता के प्रबंधन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई है ।

लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जल संसाधनों का विकास

वापकोस (जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज) को लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जल संसाधनों के विकास हेतु एक शोध अध्ययन करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद है ।

लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भूमि सुधार

वापकोस ने लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भूमि सुधार पर एक शोध अध्ययन किया है। रिपोर्ट के जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद है ।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास

भारतीय हिमालयी क्षेत्र, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है अर्थात, यह 11 राज्यों-उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में फैला है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर लद्दाख में फैला हुआ है, जहां लगभग 50 मिलियन लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र विविध जनसांख्यिकीय और विविध आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा अभिलक्षित है ।

वर्ष 2017 में, निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पाँच कार्यदलों का गठन किया:

(i) जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की स्थिति और पुनरुद्धार,

(ii) भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय पर्यटन,

(iii) स्थानान्तरण कृषि: परिवर्तनशील दृष्टिकोण की ओर,

(iv) हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ई एंड एस) परिदृश्य को सुदृढ़ करना

(v) सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा / सूचना ।

'जल सुरक्षा के लिए हिमालयी क्षेत्र में इन्वेंटरी एंड रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग्स' की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय ने स्प्रिंग्स के कायाकल्प पर एक रूपरेखा प्रस्तुत किया । रिपोर्ट में कार्रवाई हेतु रोडमैप में की गई सामान्य सिफारिशों के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण और सतत विकास संस्थान; और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, काठमांडू ने इस क्षेत्र में विज्ञान-नीति-अभ्यास विभाजन को बढ़ावा देने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए, 'हिमालय कॉलिंग' नामक एक पहल शुरू की है। उपरोक्त विषयगत रिपोर्टों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए, नीति आयोग ने इन हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू की है।

थिंक टैंक की गतिविधियां

थिंक टैंक की गतिविधियां -

1) ज्ञान का दायरा बढ़ना

- फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को अपनाना: एआई स्ट्रेटेजी दस्तावेज
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टेक: रणनीति और दृष्टिकोण परामर्श दस्तावेज
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति
- रणनीतिक संवाद
    1. भारत-चीन छठा सामरिक आर्थिक वार्ता
    2. पांचवा नीति-डीआरसी वार्ता
    3. सतत विकास संबंधी यूएएन ईएससीएपी एशिया-पेसिफिक मंच
    4. सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच
    5. नीति लेक्चर श्रृंखला
    6. अर्थशास्त्रियों की बैठक

    - एनआईएलईआरडी

2) **नवाचार को बढ़ावा देना**

- अटल इनोवेशन मिशन
- महिला उद्यमिता मंच

3) **व्यापक रूप से जुड़ा होना: हाइ-प्रोफाइल विज़िट**

4) थिंक टैंक के साथ नेटवर्किंग

परिचय

नीति आयोग ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस साल कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और 5 अक्टूबर 2019 को असम में भारत के पहले मेथनॉल आधारित खाना पकाने के स्टोव को प्रज्वलित करना शामिल है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले टैंकों, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों और विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक रूप से संलग्न होने के कारण प्रमुख हितधारकों के बीच साझेदारी का विकास हुआ है।

यह खंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएलईआडी) और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की गतिविधियों की भी रिपोर्ट करता है।

ज्ञान का बढ़ता दायरा

फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को अपनाना: एआई स्ट्रेटेजी दस्तावेज

I. <u>आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संबंधी राष्ट्रीय रणनीति</u>

2018-19 के बजट में भारत सरकार ने हमारी प्रौद्योगिकी क्षमताओं का निर्माण करने को प्राथमिकता दी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को निर्देशित करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए नीती आयोग को अधिदेश दिया। नीति आयोग ने जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एनएसएआई) के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति जारी की। यह रणनीति, नामतः # सभी के लिए एआई, सामाजिक विकास और समावेशी विकास के साथ एआई की आर्थिक क्षमता को जोड़ती है, और भारत को 'दुनिया का एआई गेराज' के रूप में स्थान देती है। इसके साथ, भारत एक अच्छी तरह से परिभाषित एआई रणनीति वाले देशों की कुलीन सूची में शामिल हो गया है ।

नीति आयोग इस रणनीति की सिफारिशों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र और निवेश ढांचे को औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है। एनएसएआई पांच विशिष्ट सिफारिशों के माध्यम से भारत की अनुसंधान और अनुप्रयोग क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।

i. **मूल**: शीर्ष-स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में पांच केंद्रों के माध्यम से एआई में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करना ।
ii. **आईसीटीएआई**: एआई समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर एआई में परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ।
iii. **एआईआरएडब्लूएटी:** छात्रों**,** शोधकर्ताओं**,** स्टार्ट-अप और सरकारी संगठनों के लिए एआई विशिष्ट कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड-आधारित एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना तथा उच्च भंडारण के लिए अनुकूलित **100+** पेटाफ्लॉप्स ।
iv. **मूनशॉट परियोजनाएं**: महत्वाकांक्षी एआई चुनौतियां तकनीक को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है ।
v. **एकरूपता हेतु एआई :** एक बहु-विषयक**,** बहु-राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी सीमा को (अर्थात व्याख्यात्मक एआई**,** पताभिगमन

बायस) और एआई के आवेदन का लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात आवश्यक संसाधनों, स्वच्छता, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और सेवाओं की वहनीयता और उपलब्धता के स्वतंत्र व्हीकलों से अभिगम समाधान द्वारा बदलाव करना ।

सिफारिशों का उद्देश्य दुनिया भर से भारत में एआई अनुसंधान प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। भारत में एआई के अंतर्गत गुणवत्ता अनुसंधान संकाय की कमी को देखते हुए, कम समय में एक उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र (जो शीर्ष स्तर की बुनियादी सुविधाओं से युक्त हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर का पारिश्रमिक देय हो) की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में भारतीय पीएचडी विद्वानों, जो अन्यथा विदेशों में शीर्ष विश्वविद्यालयों से अपनी पढ़ाई करते हैं, को एक उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से देश में बरकरार रखने की आवश्यकता है ।

II. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी पायलट परियोजनाएं

(i) आईआईटी बॉम्बे; और आईआईएससी, बैंगलोर, टाटा मेमोरियल अस्पताल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलेकर कैंसर परियोजना के लिए इमेजिंग बायोबैंक का विकास करना। इस परियोजना का उद्देश्य 20,000 से अधिक कैंसर रोगियों से संबंधित रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी छवियों के एक डेटाबेस का निर्माण करना है, जो भारत में प्रचलित कैंसर के प्रमुख प्रकारों पर ध्यान देने के साथ-साथ नैदानिक आंकड़ों से संबंधित एक टीका है। डेटाबेस की परिकल्पना एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में की गई है जो भारत के सभी हिस्सों के शोधकर्ताओं के लिए खुला रहेगा और इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों की पूरी अधोमुखी प्रोफ़ाइल विकसित करना है ।

(ii) **भारत-यूके हेल्थकेयर एआई उत्प्रेरक परियोजना**: नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, यूके के साथ मिलकर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर (विशेष रूप से, मौखिक, ग्रीवा और स्तन), आंख की स्थिति, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और रक्त रोग, जैसे थैलेसीमिया जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित परीक्षण और कार्यान्वित तकनीकी समाधान लाने के लिए कार्यरत है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टेक: रणनीति और दृष्टिकोण परामर्श दस्तावेज

नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक (एनएचएस) के लिए एक रूपरेखा को लागू करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ढ़ांचे के रूप में तैयार किया गया है। अक्टूबर 2019 में जारी, यह ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की दृष्टि के साथ संरेखित है। यह एक ऐसा ढांचा है जो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों की शक्ति का उपयोग करता है। यह 'बड़ा सोचो, छोटा शुरू करो, जल्दी शुरू करो 'के सिद्धांत को अपनाता है और नागरिक-केंद्रित, गुणवत्ता देखभाल, बेहतर पहुंच, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और समावेश के लिए आधार बनाता है। ब्लूप्रिंट को एक परतदार ढांचे के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें दृष्टि और मूल सिद्धांतों का एक सेट समाहित है, जो डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा हब, बिल्डिंग ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मानकों, विनियमों और इसके कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत ढांचे से संबंधित परतों से घिरा हुआ है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा अनुप्रयोगों और डेटा के एकीकरण के लिए एक साझा मंच प्रदान करने में मदद करेगा। यह डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की ओर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

मैथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति

कच्चे तेल के आयात को कम करने और देश के कार्बन पद्दति को हटाने व स्वदेशी ईंधन विकसित करने की महत्वाकांक्षा के साथ, नीति आयोग मेथनॉल और डाइमेथिल ईथर (डीएमई) से युक्त तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित विकल्प के रूप में काम कर रहा है।

नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में गठित एक शीर्ष समिति, देश में मेथनॉल अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। यह कोयले के अलावा उच्च राख कोयला, बायोमास / नगरपालिका ठोस अपशिष्ट / स्रोतों का उपयोग करके मेथनॉल के उत्पादन पर गठित कार्यक्षेत्रों की गतिविधियों की प्रगति पर भी नज़र रखता है, यह मेथनॉल / डीएमई का उपयोग, मेथनॉल-आधारित इंजनों के रूपांतरण / डिजाइन का उपयोग करता है और मेथनॉल / डीएमई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना का प्रसार करता है। उक्त पहलों के अंतर्गत गतिविधियों की स्थिति निम्नानुसार हैः

1. राख के कोयले का उपयोग करके मेथनॉल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने संबंधी आर एंड डी परियोजना, पूर्ण होने वाली है और शीघ्र ही एक टन प्रतिदिन मेथनॉल-उत्पादन क्षमता संयंत्र का प्रदर्शन किया जाएगा ।
2. बायोमास के उपयोग से मेथनॉल के उत्पादन संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आर एंड डी परियोजनाएं), अच्छा कार्य कर रही हैं। परियोजना का पहला चरण भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा पूरा किया गया है ।
3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को एम15, एम 85 और एम100 मेथनॉल में क्रमशः पेट्रोल, 15%, 85% और 100% की मात्रा मिश्रित करने के बारे में सूचित किया गया है।
4. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एम15 के लिए भारतीय मानक तैयार किया गया है।
5. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने एम15 मिश्रण तैयार किया है और इसकी स्थिरता की जाँच की गई है।
6. आईओसी द्वारा किए गए शोध कार्य से पता चला है कि पेट्रोल में 15% मेथनॉल और एलपीजी में 20% डीएमई का मिश्रण, आंतरिक दहन इंजनों में, या उपकरण / हिस्सों में किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।

7. एम 15 मिश्रण के लिए उत्सर्जन और सामग्री अनुकूलता, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे द्वारा पूरी की गई है।
8. एआरएआई ने, मारुति सुजुकी के साथ मिलकर, सड़क परीक्षण और एम15 पर वाहनों के स्थायित्व परीक्षण को पूरा कर लिया है।
9. आईओसी ने एम 15-मिश्रित पेट्रोल पर प्रदर्शन और उत्सर्जन परीक्षण किया है।
10. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा, 100% मेथनॉल पर काम करने के लिए एक वर्कबोट के रूपांतरण पर कार्य प्रगति पर है।
11. असम पेट्रोकेमिकल्स के सहयोग से, असम सरकार ने मेथनॉल आधारित खाना पकाने के स्टोव शुरू किए हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं ।

*(*भारत में पहला मेथनॉल आधारित कुकिंग स्टोव का शुभारंभ किया गया (असम*, 5* अक्तूबर *2019)*

12. एआरआई, पुणे में एक मेथनॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एमओआरटीएच और भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण किया गया है।
13. एमओआरटीएच ने अपने मौजूदा ईंधन वितरण नेटवर्क के माध्यम से वितरण के लिए ईंधन के रूप में एम15 को अपनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पत्र लिखा है।
14. वैकल्पिक ईंधन के रूप में मेथनॉल के उपयोग संबंधी व्यय वित्त समिति (इएफसी) को भेजे जाने वाला ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

रणनीतिक संवाद

1. छठा भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद (एसएडी) 2019

दिसंबर 2010 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान, तत्कालीन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग (एनडीआरसी), चीन द्वारा स्थापित, एसईडी ने तब से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया है। नीति आयोग, अपने गठन के बाद से, बातचीत को आगे बढ़ाया है और इसे अधिक गति दी है। एसईडी के तत्वावधान में, दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधि रचनात्मक रूप से विचार-विमर्श करने और व्यक्तिगत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, आसानी से व्यापार करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सेक्टर-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों की सफलतापूर्वक पहचान करने के लिए एक साथ आए हैं।

दोनों पक्षों द्वारा सह-अध्यक्षों (संयुक्त सचिव के पद से ऊपर) के साथ छह स्थायी संयुक्त कार्य समूह को बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उच्च तकनीक, संसाधन संरक्षण, फार्मास्यूटिकल्स और नीति समन्वय के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों को पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि नियमित संवाद और निरंतर विनिमय सुनिश्चित हो सके ।

इस वर्ष यह वार्ता 7 से 9 सितंबर 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसमें बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा, उच्च तकनीक, संसाधन संरक्षण और नीति समन्वय पर समूहों की गोलमेज बैठकें शामिल थीं। इसके बाद तकनीकी साइट देखना और बंद दरवाज़े के अंदर जी2जी बैठकें हुईं। इस डायलॉग में भारत और चीन दोनों जगहों से नीति निर्माण, उद्योग जगत और शिक्षाविदों की ओर से वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और चीन की ओर से एनडीआरसी के अध्यक्ष ही लीफेंग ने किया। उपराष्ट्रपति ने चीन के साथ भारत के व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया ।
छह कार्य समूहों के व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्ष निम्नलिखित आपसी समझौतें पर पहुंचे :

नीति समन्वय: दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश की समीक्षा के लिए गहन विचार-विमर्श किया, ताकि इस प्रभाव के पूरक और बेहतर समन्वय की पहचान की जा सके। फिनटेक और संबंधित तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार और निवेश में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। दोनों पक्ष संचार के नियमित माध्यम को और सक्रिय करने के लिए गतिविधियों से युक्त वार्षिक कैलेंडर का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए ।

अवसंरचना संबंधी कार्य समूह: दोनों पक्षों ने चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूरु रेलवे-उन्नयन परियोजना और चीन में भारतीय वरिष्ठ रेलवे प्रबंधन कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर व्यवहार्यता अध्ययन में उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने पायलट परियोजना के रूप में दिल्ली-आगरा हाई-स्पीड रेलवे की संभावना तलाशने वाले अध्ययन परियोजना को आगे बढ़ाने के साथ-साथ समन्वय के सभी क्षेत्रों में अगले चरणों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्ष परिवहन क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए नई परियोजनाओं की पहचान करने पर भी सहमत हुए ।

उच्च तकनीकी संबंधी कार्य समूह: दोनों पक्षों ने पांचवें एसईडी के बाद से हासिल की गई उपलब्धियों का आकलन किया और व्यापार आसान करने की नियामक प्रक्रियाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, उच्च तकनीकी निर्माण और दोनों देशों की अगली पीढ़ी की मोबाइल संचार व्यवस्था पर विचारों का आदान-प्रदान किया। साथ ही, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक स्थिति, और तंत्र के साथ-साथ भारत-चीन डिजिटल साझेदारी, डेटा शासन और संबंधित उद्योग नीति को सुदृढ करने पर चर्चा हुई ।

संसाधन संरक्षण और पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य समूह: दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और उजाड़ अपशिष्ट व संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा और समीक्षा की । इस क्षेत्र में नवाचार की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया। कम लागत वाली निर्माण तकनीकी, बाढ़ और कटाव नियंत्रण पद्धति, वायु प्रदूषण, आदि में उपन्यास अवधारणाओं के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जैसे कि बिजली की बर्बादी, सीवेज कीचड़ के साथ सह-प्रसंस्करण, तूफान जल प्रबंधन, आदि। उपरोक्त क्षेत्रों में उन्नत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों पक्ष निरंतर संपर्क और प्रासंगिक जानकारी के आदान-प्रदान पर सहमत हुए ।

ऊर्जा संबंधी कार्य समूह: दोनों देशों ने समन्वय के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान की और अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड एकीकरण तथा स्मार्ट मीटर व ई-गतिशीलता पर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने वैकल्पिक सामग्री से सौर सेल के निर्माण के लिए नई तकनीक विकसित करने और सौर कोशिकाओं की दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में सहयोग पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष ई-गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में समन्वय पर भी सहमत हुए।

फार्मास्यूटिकल्स संबंधी कार्य समूह: संयुक्त कार्य समूहों ने उल्लेख किया है कि दोनों पक्षों को व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संचार को और अधिक मजबूत करना चाहिए। यह भी तय किया गया कि दोनों पक्षों को दवा उद्योग में पूरक लाभ को मजबूत करना चाहिए और भारतीय जेनेरिक दवाओं तथा चीनी एपीआई को बढ़ावा देना चाहिए ।

दोनों पक्षों ने उत्कृष्ट मामलों और समन्वय के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अतिमहत्वपूर्ण और स्थायी साधन के रूप में एसईडी तंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की ।

Welcomes
Welcomes

2. पांचवां नीति आयोग- डीआरसी संवाद, 2019

नीति आयोग और चीन के पीपुल्स रिपब्लिक काउंसिल के स्टेट काउंसिल के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर (डीआरसी) की पांचवीं वार्ता 28 नवंबर, 2019 को चीन के वुहान में आयोजित की गई थी। चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीआरसी के पार्टी सचिव मा जिनतांग द्वारा किया गया था और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा किया गया ।

चेन्नई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक बैठक के बाद चीन और भारत के बीच यह पहला मंत्रिस्तरीय संवाद है।
चौथे डायलाग में समझौते के आधार पर, मुंबई 2018 में डीआरसी और नीति आयोग ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार और शहरीकरण के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान किया था, जिसके प्रारंभिक निष्कर्षों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पांचवें डायलाग में प्रस्तुत किया गया था ।

चीनी और भारतीय प्रशासन के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल के सदस्य, सरकार, शिक्षाविदों और उद्यमों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया, जिसमें निम्नलिखित सत्र शामिल थे- वैश्विक अर्थव्यवस्था, चीन और भारत में वैश्वीकरण और व्यापक आर्थिक नीतियों, नवाचार और विकास, और चीन-भारत व्यापार और क्षमता व आर्थिक सहयोग। विस्तृत प्रस्तुतियों और गहन चर्चा के बाद, दोनों पक्षों ने अधिक समावेशी वैश्विक आर्थिक वास्तुकला का निर्माण करने और उचित व्यापार नियमों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें विकासशील और कम-विकसित राष्ट्रों के हितों की रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया।

उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए, दोनों पक्षों ने उच्च तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति में ज्ञान साझाकरण और आपसी सीखने को मजबूत करने का निर्णय लिया और पर्यावरण, आय अंतराल, आदि से उत्पन्न चुनौतियों को संयुक्त रूप से उजागर किया। टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा देने, स्मार्ट शहरों, बुनियादी ढांचे और हरित परिवहन का विकास करने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्र, संस्कृति, भाषा और लोगों से संवाद करने में हो रही समस्या का पता लगाने के लिए सहमत हुए, और संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने और देशी व विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन देकर आसानी से व्यापार करने की सुविधा को अनुकूल बनाने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।

छठी वार्ता नवंबर 2020 की दूसरी छमाही में भारत में आयोजित की जाएगी ।

3. सतत विकास संबंधी यूएन ईएससीएपी एशिया-पेसिफिक मंच (एपीएफएसडी)

भारत ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार के नेतृत्व में 27-29 मार्च 2019 तक बैंकाक में सतत विकास पर छठे एशिया-प्रशांत फोरम में भाग लिया। इसमें सदस्य राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों ने विचार-विमर्श पर आधारित विषय 'लोगों को सशक्त बनाना और समावेशी व समानता सुनिश्चित करना' पर चर्चा की। यह सात एसडीजी समूह की स्थिति की समीक्षा करता है: 4 (गुणवत्ता शिक्षा), 8 (सभ्य काम और आर्थिक विकास), 10 (असमानताओं में कमी करना), 13 (जलवायु कार्रवाई), 16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थान) और 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी)। एक अलग सत्र में, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी की निगरानी करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 को बैंकॉक में 27 से 31 मई 2019 तक आयोजित एशिया व पेसिफिक संबंधी आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के 75वें सत्र में प्रस्तुत किया गया था ।

TONGA

4. सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच

2019 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में आयोजित सतत विकास संबंधई उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक 9 से 18 जुलाई 2019 तक आयोजित की गई । भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने किया था और इसमें संयुक्ता समददार, परामर्शदाता (एसडीजी / ग्रामीण विकास),नीति आयोग भी शामिल थीं। विषय था 'लोगों को सशक्त बनाना और समावेशी व समानता सुनिश्चित करना'। इस मंच के माध्यम से 47 देशों ने अपनी राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। भारत ने वर्ष 2017 में अपना पहला वीएनआर पेश किया और जुलाई 2020 में होने वाले अगले फोरम में अपना दूसरा वीएनआर पेश करेगा। डॉ. राजीव कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए एक संबोधन में एसडीजी में भारत की प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया ।

भारत के यूएन रेजिडेंट संयोजक रेनाटा डेसालियन और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के साथ मिलकर, नीति आयोग ने 16 जुलाई 2019 को एक साइड ईवेंट आयोजित किया। इस इवेंट का शीर्षक था, 'प्रतिबद्धता से सफलता तक: भारत का अनुभव 'सतत विकास लक्ष्य' के स्थानीयकरण में।' । इसमें सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों, मीडिया, शिक्षा और नागरिक समाज के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

इस कार्यक्रम के पैनल में सैयद अकबरुद्दीन (संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि), डॉ राजीव कुमार, अचीम स्टीनर (अवर महासचिव और प्रशासक, यूएनडीपी), रेनाटा डेसलियन और संयुक्ता समददार शामिल थे, जिन्होंने एसडीजी स्थानीयकरण पर भारत के अनुभव पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के निष्कर्षों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, प्रकाशन, शीर्षक नामतः: एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत से प्रारंभिक ज्ञान, 2019', को इस कार्यक्रम में शुरू किया गया ।

CHINESE
SPANISH
SYED AKBARUDDIN
RAJIV KUMAR
ACHIM STEINER
RENATA DESSALLIEN
#LocalisingSDGs:India

CHINESE
SPANISH
SYED AKBARUDDIN
RAJIV KUMAR
ACHIM STEINER
RENATA DESSALLIEN

5. नीति आयोग लेक्चर श्रृंखला

'नीति लेक्चर: ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया'का शुभारंभ 26 अगस्त 2016 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था और तब से इसे प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के प्रख्यात वक्ता शामिल होते हैं। भारत में विकास की नीति में नवीन विचारों के प्रसार हेतु, नीति लेक्चर में सरकार के शीर्ष निर्णय निर्माताओं, मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रालयों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित भाग लेते हैं। लेक्चर के माध्यम से, नीति आयोग भारत में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और वैश्विक ख्याति के प्रशासकों को आमंत्रित करता है। श्रृंखला का उद्देश्य सफल विकास अभ्यास के आधार पर केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर सीखने की क्षमता को सक्षम बनाना है ।

26 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नीति लेक्चर श्रृंखला का पांचवा संस्करण आयोजित किया गया। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी व्याख्यान में उपस्थित थे, इसमें मुख्य संबोधन वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड आर. मलपास द्वारा दिया गया। विषय था "विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका"। इस वर्ष के व्याख्यान के लिए पैनलिस्ट में उदय कोटक, कार्यकारी उपाध्यक्ष और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक; डॉ. राजीव लोल, आईडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष; अजीत रानाडे, आदित्य बिड़ला समूह के मुख्य अर्थशास्त्री; और प्रांजुल भंडारी, एचएसबीसी सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स के मुख्य अर्थशास्त्री मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री, नीति निर्माता, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी गरिमापूर्ण बैठक में उपस्थित थे।

6. अर्थशास्त्रियों की बैठक

नीति आयोग ने 9 जनवरी, 2020 को विभिन्न वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों, निजी इक्विटी और उद्यम पूंजीपतियों, विनिर्माण, यात्रा और पर्यटन, परिधान और एमएमसीजी, एनालिटिक्स, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वित्त क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की । बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ।

प्रधान मंत्री ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और भारत में 5 ट्रिलियन यूएसडी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और रोजगार पैदा करने की काफी संभावना है।

भारत असीमित संभावनाओं वाला देश है, का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे वास्तविकता और धारणा के बीच की खाई को पाटने के लिए अपना प्रयास करते रहें। उन्होंने कहा कि, 'हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और राष्ट्र की तरह सोचना शुरू करना चाहिए ।'

एनआईएलईआरडी

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएलईआरडी) नीति आयोग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आम परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी संस्थान के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्य मानव पूंजी नियोजन, मानव संसाधन विकास, निगरानी और मूल्यांकन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, डेटा संग्रह और शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं।

2019-20 के दौरान पूरे किए गए शोध अध्ययन या प्रगतिशील अध्ययन में निम्न शामिल हैः

1. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत सार्वजनिक इंजीनियरिंग संस्थानों में संकाय संसाधन- -तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण III ' संबंधी अध्ययन ।**

   अध्ययन का उद्देश्य इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में संकाय रिक्तियों की भारी कमी के कारणों की जांच करना, संकाय कारोबार के प्रभाव का विश्लेषण करना, राज्यों में समाधान की पहचान करना और स्वीकृत संकाय रिक्तियों को भरने के लिए राज्यवार योजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव करना है। । अंतिम रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

2. **देशभर में राष्ट्रीय शिक्षुता योजना की प्रभावकारिता और प्रभाव संबंधी अध्ययन**

   अध्ययन का उद्देश्य रोजगार पर योजना के प्रभाव की जांच करना, प्रशिक्षुओं की आवश्यकता और उपलब्धता का विश्लेषण करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना की प्रासंगिकता का आकलन करने के साथ-साथ योजना कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं की पहचान करना और योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुधारात्मक कदमों की सिफारिश करना है। अंतिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है ।

3. **ओडिशा सरकार द्वारा प्रायोजित ओडिशा में जनशक्ति योजना, नियोजन और समन्वय विभाग**

   अध्ययन का उद्देश्य 2016-17 और 2021-22 के बीच विभिन्न डोमेन-विशिष्ट क्षेत्रों के विकास और आय अनुमानों के आधार पर जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन करना है; राज्य के तीन चयनित जिलों- जाजपुर, गंजम और सुंदरगढ़ को शामिल करके और विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति विकल्प सुझाने के साथ-साथ

जनशक्ति के क्षेत्र-वार कौशल अंतर का विश्लेषण करना है । अंतिम रिपोर्ट ओडिशा सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ।

4. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तीन स्वायत्त संस्थानों की समीक्षा

अध्ययन का उद्देश्य इस बात की जाँच करना है कि जिन उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित किए गए थे, वे क्या हासिल किए गए हैं या हासिल किए जा रहे हैं; उद्देश्यों को पूरा करने में वित्तीय और भौतिक प्रगति की प्रभावशीलता का आकलन करता है; और इन स्वायत्त संगठनों में कर्मचारियों की तैनाती के पहलू का मूल्यांकन करता है और आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की गुंजाइश का सुझाव देता है। अंतिम रिपोर्ट एनआरई मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है ।

5. भारतीय स्वर्ण बाजार में श्रमिकों के नौकरी के अवसरों और सामाजिक-आर्थिक और कामकाजी परिस्थितियों का आकलन - नीति आयोग द्वारा प्रदत्त अध्ययन

अध्ययन का व्यापक उद्देश्य भारत के स्वर्ण बाजार में श्रमिकों के रोजगार और कामकाजी परिस्थितियों का आकलन करना है ।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) योजना का मूल्यांकन' संबंधी शोध अध्ययन

अध्ययन का उद्देश्य उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र योजना 'उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली' के संबंध में गहन मूल्यांकन करना है। अध्ययन का उद्देश्य योजना के विशिष्ट डिलिवरेबल्स की जांच करना है और उन्हें किस हद तक हासिल किया गया है, पर प्रकाश डालना है, और योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण किए गए संस्थानों के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करना,बजट की रूपरेखा के संबंध में अपने वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, कमजोरियों की पहचान करने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव देना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय तंत्र का आकलन करना और इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी सहायता समूह की भूमिका का आकलन करना है ।

संस्थान द्वारा संचालित की जा रही/पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) (14 **मार्च** -24 **अप्रैल** 2019)

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव संसाधन क्षेत्र में प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ प्रतिभागियों की पहचान करना है, जिसमें रोजगार कानून, नौकरी विश्लेषण, नियोजन, भर्ती और

चयन, प्रशिक्षण और विकास , प्रदर्शन मूल्यांकन, मुआवजा, औद्योगिक संबंध, वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन, आदि शामिल हैं। 13 देशों के बीस प्रतिभागियों ने डॉ. योगेश सूरी और एमईए के अवर सचिव, भगवंत सिंह की उपस्थिति में नीति आयोग के पूर्व विशेष सचिव यदुवेंद्र माथुर से 22 अप्रैल 2019 को प्रमाण पत्र प्राप्त किया ।

2. एमईए द्वारा प्रायोजित मानव संसाधन योजना और विकास संबंधी आईटीपी, 26 जून -20 अगस्त 2019;

मानव संसाधन योजना और विकास कार्यक्रम विकासशील देशों की सरकारों के साथ काम करने वाले वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए मानव संसाधन की योजना और विकास की रूपरेखा प्रदान करने पर केंद्रित है। इस पाठ्यक्रम में दक्षिण एशिया और अफ्रीका के 12 विकासशील देशों के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया

डॉ. योगेश सूरी, महानिदेशक समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए

3. **मानव क्षमता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)** (27 **मार्च** -24 **अप्रैल** 2019)

यह कार्यक्रम मानव कारकों या मानव इंजीनियरिंग, मानव क्षमताओं, आत्म-प्रभावकारिता, एर्गोनॉमिक्स और सुशासन के क्षेत्र में संवेदी और संज्ञानात्मक विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में 23 विकासशील देशों के 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने नीति आयोग के पूर्व विशेष सचिव यदुवेंद्र माथुर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया ।

4. जनशक्ति अनुसंधान संबंधी आईटीपी, 31 **जुलाई** -24 **सितंबर** 2019

जनशक्ति अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित श्रमशक्ति योजना के बारे में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें श्रम बाजार विश्लेषण, श्रम बल अनुमान, डेटा विश्लेषण की तकनीक, रिपोर्ट लेखन आदि शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन 01 अगस्त 2019 एनआईएलईआरडी के महानिदेशक डॉ. योगेश सूरी ने किया था।. इस पाठ्यक्रम में 18 देशों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

जनशक्ति अनुसंधान संबंधी आईटीपी का विदाई समारोह

5. **भूटान के शाही सिविल सेवा आयोग के लिए योग्यता विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (2-13 दिसंबर 2019)**

भूटान के रॉयल सिविल सर्विस कमीशन के मानव संसाधन अधिकारियों के लिए योग्यता विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारियों को कार्यस्थल पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने, प्रतिभा अधिग्रहण की प्रक्रिया को कारगर बनाने, भूटान के रॉयल सिविल सेवा आयोग से प्रतिभागियों को प्रभावी ढंग से और मुखरता से प्रदर्शन करने, प्रतिभा विकास का प्रबंधन करने में मदद करना था। प्रशिक्षण में 20 अधिकारियों ने भाग लिया।

भूटान के रॉयल सिविल सर्विस कमीशन के प्रतिभागी

6. जनशक्ति सूचना प्रणाली संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (14 जनवरी - 9 मार्च 2020)

जनशक्ति सूचना प्रणाली (एमआईएस)संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम एमआईएस और इसके प्रबंधन कौशल विकसित करने में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीकों के बारे में प्रतिभागियों को व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें एमआईएस से संबंधित योजना, नियंत्रण, समस्या-समाधान और संचार शामिल होगा। इस कार्यक्रम में 18 देशों के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

कार्यशालाएं / संगोष्ठियां / सम्मेलन

डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से, 24-26 जून, 2019 के दौरान एनआईएलईआरडी में सेंटर फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूज़न (CADFI) की तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सहित कुल 25 संगठन , इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्रिसिल फाउंडेशन, मान देश फाउंडेशन, मास्टरकार्ड, फेसबुक और एक्सेस असिस्ट ने भाग लिया। संगठनों ने प्रत्येक आयु वर्ग के सहकर्मियों के लिए आवश्यक मॉड्यूल के प्रकारों पर विचार-विमर्श किया और उसके लिए रूपरेखा तैयार की। कार्यशाला का संचालन नीति आयोग के पूर्व विशेष सचिव यदुवेंद्र माथुर ने किया ।

II. नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना

अटल नवप्रवर्तन मिशन

अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। एआईएम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करना; विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना; और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए जागरूकता और एक छत्र संरचना का निर्माण करना है।

एआईएम द्वारा की गई छह प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. अटल टिंकरिंग लैब्स: भारत के समस्त स्कूलों की समस्या को सुलझाने हेतु माहौल का निर्माण करना ।

2. अटल ऊष्मायन केंद्र: विश्व स्तर के स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।

3. अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों / मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

4. मेंटर इंडिया कैंपेन: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट और संस्थानों के सहयोग से एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क बनाना ।

5. अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर: टियर -2 और टियर -3 शहरों सहित देश के अनछुए क्षेत्रों में सामुदायिक-केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना ।

6. उन्नययन: एमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना ।

एआईएम ने गत वर्ष निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की:

1) स्कूल स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स

पिछले दो वर्षों में, एआईएम ने हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है, इस प्रकार ग्रेड 6 से 12 तक के छात्रों को 3 डी प्रिंटर, रोबोटिक्स, और लघु इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नवीन उपकरणों और तकनीकों के साथ एक्सेस करने और टिंकर करने में मदद मिलती है। आज तक, 8878 अटल टिंकरिंग लैब्स देश भर के स्कूलों में स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 4670 में से 650 से अधिक जिलों में ये काम कर रहे हैं और 2 मिलियन से अधिक छात्रों के पास प्रयोगशालाओं की उपलब्धता है।

एटीएल की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और बेहतर नेतृत्व, सहयोग और भागीदारी के सक्रिय प्रचार के साथ-साथ नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- 30 सितंबर 2019 तक 4680 एटीएल क्रियाशील है,
- 6040 अतिरिक्त एटीएल को चयनित किया गया: वर्ष के अंत तक 10,000 एटीएल को चालू करने का लक्ष्य है ।
- 2000 से अधिक एटीएल शिक्षक को कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ प्रशिक्षित किया गया ।
- एटीएल छात्र इनोवेटर कार्यक्रम और छात्र इंटर्नशिप तथा एटीएल छात्र उद्यमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया
- क्षेत्रीय मेंटर पूरे देश भर में एक-दूसरे से मिलते हैं: सुपर मेंटर्स के प्रोफेसर तरुण खन्ना के साथ एफबी लाइव सत्र का आयोजन ।
- एटीएल स्कूल ऑफ द मंथ ड्रोन चैलेंज विजेताओं की घोषणा की गई
- एटीएल टिंकरिंग मैराथन- शीर्ष 10 जिला-स्तरीय विजेताओं की स्वीकृति
- यूनिसेफ के साथ-साथ सभी स्कूलों में एटीएल गांधीवादी चुनौती का शुभारंभ किया गया

- यूनिसेफ और इंडिया पोस्ट के साथ शुरू की गई भारत स्टैम्प क्रिएटिविटी चुनौती
- पीएम इंडिया इनोवेटिव लर्निंग डीएचआरयूवी कार्यक्रम: एआईएम को एमएचआरडी द्वारा प्रमुख भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया
- एमईए के मंत्री और सिंगापुर के वित्त मंत्री के साथ शीर्ष 6 नवाचारों का प्रदर्शन, सिंगापुर इंस्प्नेनर 3.0 एटीएल
- नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का अन्य नोबेल पुरस्कार प्रतिनिधियों के साथ एटीएल का दौरा किया गया ।
- . यूनुस सोशल बिजनेस से नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. मुहम्मद यूनुस, एआईएम के साथ बातचीत
- रूस एआईएम एसआईआरयूएस एटीएल स्टूडेंट इनोवेशन एक्सचेंज को अंतिम रूप दिया गया ।

विश्वविद्यालय, संस्थान और उद्योग स्तर पर अटल इंक्यूबेटर्स

एआईएम स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉरपोरेट्स आदि में अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) नामक विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित कर रहा है। आज तक एआईएम ने इन इनक्यूबेटरों को स्थापित करने के लिए 102 विश्वविद्यालयों, संस्थानों और निजी संगठनों का चयन किया है, इनमें से हर कोई प्रत्येक चार वर्षों में 40-50 विश्व स्तरीय स्टार्ट-अप के निर्माण और पोषण को बढ़ावा देगा। इनमें से लगभग 50 पहले से ही 900 से अधिक परिचालन स्टार्टअप्स के साथ क्रियाशील हैं और शेष इस वर्ष के दौरान चालू हो जाएंगे ।

एआईसी की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और कुशल नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी के सक्रिय विकास और नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे सूचीबद्ध हैं :

- 30 सितंबर 2019 तक 47 एआईसी क्रियाशील है
- 9 एआईसी स्टार्ट-अप्स की सिंगापुर इंस्पेनर 3.0 एआईसी भागीदारी, वीसी द्वारा वित्तपोषित

- ल्योन में इंडो-फ्रेंच नॉलेज समिट: 5 एआईसी स्टार्ट-अप्स प्राप्त हुआ, वीसी द्वारा तत्काल निधीकरण हेतु,
- गांधीवादी मूल्यों पर आधारित यूएनडीपी सहित यूथ-कोलैब सतत इनोवेशन चैलेंज
- उद्यमी विश्व कप नेशनल इनोवेशन चैलेंज, सीसीएएमपी एआईसी स्टार्ट-अप भारतीय विजेता के रूप में उभरा है ।
- भारत-जर्मन, नीदरलैंड, स्वीडिश, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियाई दूतावासों, यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल, आदि द्वारा इनक्यूबेटर और स्टार्ट-अप सहयोग के लिए विचार-विमर्श और रुचि व्यक्त की गई।
- सीएसआईआर- एआईएम इनक्यूबेटर मॉडल का लाभ उठाने वाले सीएसआईआर इनक्यूबेटरों के लिए एआईएम सहयोग
- एआईसी / स्टार्टअप प्रशिक्षण में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी
- नीदरलैंड दूतावास के समर्थन सहित यूएनएलईएएसएच स्टार्टअप चैलेंज ।

अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र- भारत के अनछुए क्षेत्र

टियर -2 और टियर -3 शहरों, आकांक्षी जिलों, आदिवासी, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों सहित भारत के अनछुए क्षेत्रों में तकनीक वाले नवाचार के लाभों को बढ़ावा देने के लिए, ओआईएम अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित कर रहा है। इन केंद्रों में एक विशेष साझेदारी-संचालित मॉडल है, जहां एआईएम एसीआईसी को 2.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान देता है, बशर्ते कि भागीदार एक समान या उससे अधिक राशि प्रदान करता हो । देश भर में 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अगले दो वर्षों के दौरान 50 से अधिक एसीआईसी की स्थापना की जाएगी ।

एसीआईसी की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और कुशल नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी के सक्रिय विकास और नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

• एसीआईसी एप्लीकेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया ।

• अभी तक 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 1300 से अधिक पंजीकरण हुए है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 25 एसीआईसी का चयन किया जाना है ।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज- राष्ट्रीय हितों के साथ उत्पाद और सेवा नवाचार

राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले उत्पाद और सेवा नवाचार बनाने के लिए, एआईएम ने केंद्र सरकार के पांच अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ साझेदारी करके 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरूआत की है। लगभग 52 हजार विजेताओं को एआईएम के इन्क्यूबेटरों और मेंटरों द्वारा सहायतानुदान और हैंडहोल्डिंग के लिए चुना गया है, इसके लिए लगभग एक हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

एएनआईसी की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और कुशल नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी के सक्रिय विकास और नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

- 24 एएनआईसी की शुरू किया गया, 5 मंत्रालयों ने इसका समर्थन किया
- 26 विजेताओं का चयन किया गया और पहले पुरस्कार वितरण की घोषणा की गई,
- अनुवर्ती संवितरण के लिए इनक्यूबेटरों के साथ हैंडहोलिंग के लिए 26 को शॉर्टलिस्ट किया गया,
- एएनआईसी विजेताओं, मंत्रालयों और / या वैज्ञानिकों के साथ सक्रिय बैठकें आयोजित की गई
- नवप्रवर्तन परिनियोजन नियमावली, एएनआईसी दिशानिर्देश, प्रासंगिक प्रणाली, आदि, तैयार किया गया।

एमएसएमई इंडस्ट्री इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज (एआरआईएसई)

एमएसएमई / स्टार्ट-अप क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, एआईएम, साथी मंत्रालयों के साथ एआरआईएसई (एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज) शुरू करेगा, ताकि उत्पाद विकास और वाणिज्यिक तैनाती करते हुए महान अनुसंधान विचारों को व्यवहार्य अभिनव प्रोटोटाइप में परिवर्तित किया जा सके ।

एएनआईसी की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और कुशल नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी के सक्रिय विकास और नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे सूचीबद्ध हैं :

- एआरआईएसई पायलट परियोजना के लिए पांच से अधिक निम्नलिखित मंत्रालयों की पहचान की गईः

  1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

  2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय

  3. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

  4. कपड़ा मंत्रालय

  5. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

  6. जल शक्ति मंत्रालय

- एआईएम-सीएसआईआर भागीदारी- पायलट फंडिंग को सक्षम बनाना (एनआरडीसी के माध्यम से)

- 1 दिसंबर तक शुरू की जाने वाली 15 एआरआईएसई चुनौतियां

सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, संस्थानों के साथ मेंटरशिप और भागीदारी

सभी पहलों को सफल बनाने के लिए, एआईएम ने 'मेंटर इंडिया: द मेंटर ऑफ चेंज 'नामक एक सबसे बड़ा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत की है। आज तक, एआईएम को नोनेट पोर्टल पर 10000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4000 से अधिक को एटीएल और एआईली को आवंटित किया गया है ।

महिला उद्दमिता मंच

द वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफ़ॉर्म (डब्लूईपी) भारत की महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाने वाला अपनी तरह का पहला एकीकृत-एक्सेस पोर्टल है। ऐसे मंच का विचार सबसे पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने 2017 में हैदराबाद में आयोजित आठवें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के समापन पर इसकी स्थापना की घोषणा की थी, जिसका थीम था- 'वूमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल' ।

एक सक्षम मंच के रूप में, डब्लूईपी के तीन स्तंभ हैं:

- इच्छा शक्ति, जो अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए इच्छुक उद्यमियों को प्रेरित करती है
- ज्ञान शक्ति, जो महिला उद्यमियों को ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि उन्हें उद्यमशीलता प्रदान करने में मदद मिल सके
- कर्म शक्ति, जो व्यवसाय को स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है ।

यह मंच महिला उद्यमिता को सक्षम करने के साथ-साथ सूचना संसाधनों और सेवाओं के एक एग्रीगेटर के रूप में काम करते हुए इन उद्देश्यों को पूरा करता है, और आकांक्षी या स्थापित महिला उद्यमियों को एक सुकर अनुभव प्रदान करने के लिए एकीकरण के विभिन्न रूपों का एहसास करने के लिए भागीदार संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ।

डब्लूईपी भागीदार

डब्लूईपी का उद्देश्य अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न सहायता क्षेत्रों के अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना है:

- ऊष्मायन और त्वरण: उद्यमियों को ऊष्मायन केंद्रों से कनेक्ट करें ताकि उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सके और उनके संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके

- उद्यमिता कौशल: अपने सहयोगियों के माध्यम से फैलोशिप कार्यक्रमों की पेशकश करना; विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन-लर्निंग सत्र आयोजित करना

- विपणन सहायता: डिजिटल विपणन माध्यमों के प्रभावी उपयोग संबंधई पाठ्यक्रमों के माध्यम से

- वित्त पोषण और वित्तीय सहायता: अपने निवेश परिषद, निवेशक कंसोर्टियम और भागीदारों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाना

- कंप्लायंस सपोर्ट: लाइसेंसिंग और टैक्स फाइलिंग में सहायता प्रदान करना

- सोशल एंटरप्रेन्योरशिप: नेटवर्क तक पहुंच बनाना, अवसरों और मेंटरशिप का निधीयन करना ।

डब्लूईपी के पास विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में 35 से अधिक साझेदार हैं जिन्होंने डब्लूईपी उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट संसाधन बनाए हैं। इन साझेदारों में पेपाल, फेसबुक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, सीआरआईएसआईएल, सिडबी, फिक्की, नासकोम, गूगल, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सीआईआई, महिला एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन, नेक्सस इनक्यूबेटर, मान देसी फांउडेशन, शॉपक्लू, और सेवा बैंक, आदि शामिल हैं ।

डब्लूईपी रोडशो श्रृंखला

डब्लूईपी रोडशो श्रृंखला का उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू करना और महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए स्थानीय हितधारकों को संवेदनशील बनाना है। सभी राज्यों में 1000 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया :

- हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के सहयोग से डब्लूई हब

- गुवाहाटी: डॉयचे गेसल्सचाफ्ट फर इंटरनेशनल ज़ुसमेनारबैत जीएमबीएच (जीआईज़ेड) और धृति के सहयोग से

- रायपुर: अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और एआईसी-36 इंक के सहयोग से

- बेंगलुरु: पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, शेषाद्रिपुरम एजुकेशनल ट्रस्ट, और कैटालिस्ट फॉर वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप के सहयोग से

- जयपुर: टीआईई-राजस्थान और एआईसी-बनस्थली विद्यापीठ के सहयोग से

- नई दिल्ली: टीआईई-दिल्ली के सहयोग से

डब्लूईपी लर्निंग श्रृंखला

डब्लूईपी ने महिला उद्यमियों को पहले से स्थापित महिला उद्यमियों के अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2019 में अपनी वेबिनार और विशेषज्ञ श्रृंखला शुरू की। यह उन्हें कराधान, कौशल, विपणन और वित्त पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने की अनुमति देता है ।

- कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण के साथ वेबिनार; भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा लोक देसालियन, यूएन यंग बिज़नस चैंपियन फॉर एसडीजी मानसी टाटा, और छत्तीसगढ़ मशरूम के संस्थापक नम्रता यदु
- पद्मजा रूपरेल के साथ विशेषज्ञ श्रृंखला, 'एंजेल फंडिंग' संबंधी इंडियन एंजल नेटवर्क के संस्थापक और अध्यक्ष; नैय्या सग्गी, बेबीचक्र के संस्थापक और सीईओ ।

वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019

डब्लूटीआई अवार्ड्स *2019* का शुभारंभ

डब्लूईपी ने अपने वेबसाइट के माध्यम से वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (डब्लूटीआई) अवार्ड्स के चौथे संस्करण के लिए 2300 से अधिक नामांकन प्राप्त किए। द वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। पुरस्कार देने के पीछे का विचार असाधारण महिला उद्यमियों को दिखाना है कि उन्होंने पुरानी सोच को हटाकर व्यवसायों, उद्यमों और पहलों के माध्यम से चुनौतीपूर्ण रूढ़ियों को चुनौती दी है :

- विकास से संबंधित चुनौतियों का पता लगाने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करना, और / या
- प्रभावित समुदाय

विशेषज्ञ संगठन और प्रख्यात ज्यूरी सदस्यों के माध्यम से स्क्रीनिंग और मूल्यांकन की पारदर्शी और उच्च उद्देश्य प्रक्रिया के माध्यम से चयनित शीर्ष 15 प्रत्याशियों को दिसंबर 2019 के महीने में आयोजित औपचारिक समारोह में सम्मानित किया गया।

व्यापक रूप से जुड़ा होनाः हाइ-प्रोफाइल विजिट

1. **पहला भारत-चीन आर्थिक सहयोग मंच**

पहला भारत-चीन आर्थिक सहयोग मंच भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नीति आयोग और एनडीआरसी के अंतर्राष्ट्रीय निगम विभाजन के साथ 9 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में छठे रणनीतिक आर्थिक वार्ता के अवसर पर आयोजित की गई थी ।

2. **दूसरा भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता (आईआरएसईडी)**

दूसरा भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता (आईआरएसईडी) 10 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और रूसी संघ के आर्थिक विकास के उप मंत्री मयूर मकसिमोव की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

इस वार्ता में समानांतर राउंडटेबल्स थे, जिसमें परिवहन बुनियादी ढांचे यथा-कृषि; छोटे और मध्यम व्यापार समर्थन; डिजिटल परिवर्तन; व्यापार; बैंकिंग, निवेश; और पर्यटन और कनेक्टिविटी के मुख्य क्षेत्रों में ठोस रोडमैप बनाने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई । प्रतिभागियों में सरकारी अधिकारी, व्यापारी नेता और विशेषज्ञ शामिल थे ।

3. **सुदूर पूर्व, रूस और आर्कटिक में सहयोग**

नीति आयोग ने 4 सितंबर 2019 को व्लादिवोस्तोक में पूर्वी सुदूर आर्थिक मंच (ईएफआफ) के दौरान सुदूर पूर्व रूस और आर्कटिक के विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता किया, जहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष रूस में सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और 2020-2025 तक आर्कटिक के विकास के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से आगे बढ़ने वाले ईईएफ के आधार पर एक व्यापार मंच की संयुक्त रूप से मेजबानी करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है।

4. **पहला नीति-ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी डायलॉग**

वर्ष 2017 में नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी के बीच आशय विवरण के आधार पर, नीति-ट्रेजरी वार्ता का शुभारंभ 30 अप्रैल 2019 को कैनबरा में आयोजित किया गया था। दोनों पक्ष सीमावर्ती प्रौद्योगिकियों, नियामक सैंडबॉक्स परामर्श, क्षमता निर्माण और

नियमित आदान-प्रदान में सहयोग का पता लगाने के लिए सहमत हुए। दूसरी वार्ता 2020 में भारत में आयोजित होने वाली है।

5. नई दक्षिणी नीति संबंधी राष्ट्रपति समिति और नीति आयोग बीच उच्च स्तरीय बैठक

कोरिया गणराज्य की नई दक्षिणी नीति संबंधी राष्ट्रपति समिति के अध्यक्ष और सीईओ, नीति आयोग के बीच उच्च स्तरीय बैठक, 24 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संचार के नियमित चैनल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मेक इन इंडिया की तर्ज पर विनिर्माण और गतिशीलता बनाए रखना, सीमांत तकनीकी, 5 जी के साथ-साथ स्टार्ट-अप और पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना आदि शामिल हैं ।

6. सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच

वर्ष 2019 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में बुलाई गई सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9 से 18 जुलाई 2019 तक आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के महानिदेशक डॉ. राजीव कुमार ने किया था और इसमें संयुक्ता समददार, परामर्शदाता (एसडीजी और ग्रामीण विकास), नीति आयोग शामिल थे। विषय था 'लोगों को सशक्त बनाना और समावेशीता तथा समानता सुनिश्चित करना'। डॉ. राजीव कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए एक संबोधन में एसडीजी में भारत की प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया ।

थिंक टैंक के साथ नेटवर्किंग

सामवेश पहल प्रतिष्ठित ज्ञान संस्थानों के साथ नीति आयोग की नेटवर्किंग और ज्ञान साझेदारी पहल है और विकास प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने, संस्थागत क्षमता विकास को बढ़ाने और पारस्परिक संवर्धन के लिए समुदाय सहित क्षेत्र-स्तरीय इंटरफ़ेस को सक्षम करने हेतु विचार करता है। दिनांक 13-15 मई 2019 के दौरान, भारत में विकास और क्षेत्रीय विकास: सामवेश साझेदारी के तहत नवीनतम अनुभवों और उभरते परिप्रेक्ष्य 'पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन मानव विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था

और इसे पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थित था। इस समूह ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शनों, निवेश और वित्तीय प्रवाह और राजकोषीय संघवाद पर विचार-विमर्श किया।

सामवेश पहल के तहत नीति आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों की कुल संख्या अब 37 है। नीति आयोग में 14 चेयर प्रोफेसर यूनिट भी हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्थित हैं। चेयर प्रोफेसर यूनिट और सामवेश भागीदारों की सूची नीचे दी गई हैः

चेयर प्रोफेसर यूनिट की सूची		
विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम		पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला
गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एंड इकनोमिक्स, पुणे		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली		मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
भारतीय आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली		मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता		मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूरु
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
एम.एस. विश्वविद्यालय, बरोड़ा, वडोदरा		विश्व-भारती, शांतिनिकेतन
समावेश भागीदारों की सूची		
बीएमएल मुजनल विश्वविद्यालय(बीएमयू), गुरुग्राम, दिल्ली रा.रा.क्षे.		जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली
विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम		एम.एस.स्वामिनाथन अनुसंधान संस्थान (एमएसएसआरएफ), चेन्नई
विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई), नई दिल्ली		मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान(आईएआरआई), नई दिल्ली		अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र संस्थान (एनसीएईआर), नई दिल्ली
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली		राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद
विदेशी व्यापार भारतीय संस्थान(आईआईएफटी), नई दिल्ली		राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस), बंगलूरु
भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आईआईएमए), अहमदाबाद		राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान(एनआईएपी-आईसीएआर), नई दिल्ली
भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आईआईएमबी),बंगलूरु		राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान(एनआईएफएम), फरीदाबाद
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)), नई दिल्ली		राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलूरु		नोर्थ-ईस्ट हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलाँग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी-के),कानपुर		सार्वजनिक मामला केंद्र (पीएसी), बंगलूरु
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी-केजीपी),खरकपुर		विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली
इंडियन स्कूल ऑफ बिजिनेज़ (आईएसबी), हैदराबाद		सिंबायोसिस इंटरनेशनल-मानक विशवविद्यालय (एसआईयू), पुणे
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली		टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियल सायनसेस (टीआईएसएस), मुम्बई
इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुम्बई		ऊर्जा एवं अनसंधान संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान(आईडीएसए), नई दिल्ली		आदिवासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल
भारतीय आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली		जेवियर श्रम संबंध संस्थान (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर
मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली		
सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बंगलूरु		
अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीबी), बंगलूरु		

क्षेत्रीय उद्देश्य और उपलब्धियां

क्षेत्रीय उद्देश्य और उपलब्धियां

1. कृषि
2. कैरियर प्रबंधन गतिविधियाँ
3. चार्ट, मानचित्र और उपकरण प्रभाग
4. संस्कृति
5. डाटा प्रबंधन और विश्लेषण
6. विकेंद्रीकृत नियोजन
7. ऊर्जा
8. वित्तीय संसाधन
9. सुशासन तथा अनुसंधान
10. शासी परिषद सचिवालय
11. स्वास्थ्य तथा पोषण
12. मानव संसाधन विकास
13. उद्दोग
14. सूचना और प्रसारण
15. अवसंरचना कनेक्टिविटी
16. भूमि और जल संसाधन
17. पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र
18. शहरीकरण का प्रबंधन
19. खनिज
20. प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण
21. राजभाषा विभाग (हिंदी अनुभाग)
22. संगठन के तरीके और समन्वय
23. परियोजना मूल्यांकन तखा प्रबंधन प्रभाग
24. संसद अनुभाग
25. पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप
26. आरटीआई सेल
27. ग्रामीण विकास
28. विज्ञान और तकनीक
29. कौशल विकास और रोजगार
30. सामाजिक न्याय और सश्कितकरण

31. राज्य समन्वय
32. सतत विकास लक्ष्य
33. पर्यटन
34. सतर्कता अनुभाग
35. स्वैच्छिक एक्शन सेल
36. महिला और बाल विकास

कृषि और संबद्ध सेवाएं

खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र और भारत के साथ सहयोगात्मक शोध परियोजना

नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) ने भारत में खाद्य और कृषि नीति (एमएएफएपी) कार्यक्रम का विश्लेषण तथा निगरानी करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमएएफएपी खाद्य, कृषि नीतियों की निगरानी, विश्लेषण व सुधार और उन्हें अधिक प्रभावी, कुशल और समावेशी बनाने के लिए स्थायी प्रणाली स्थापित करना चाहता है। विश्व स्तर पर, एमएएफएपी को चौदह विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफएओ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

एमएएफएपी विश्लेषण का उपयोग लक्षित खाद्य और कृषि नीति सुधारों को सूचित करने के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप खासकर लघु किसानों के लिए कृषि निवेश और उत्पादकता वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा ।
पहले चरण के लिए समझौता ज्ञापन 23 सितंबर से -31 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहा।

इस चरण के अंतर्गत, तकनीकी सहयोग कार्यक्रम ने हरियाणा और ओडिशा में चयनित कृषि उपज बाजार समितियों और छत्तीसगढ़ व बिहार में चयनित जिले के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति तथा राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति पर मध्यवर्ती रिपोर्ट तैयार की। । इसके बाद, पहले चरण के अंतर्गत उपलब्ध अल्प समयावधि को देखते हुए, जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए नए सिरे से समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किया गया था ।

सहकारी संघवाद: उत्तराखंड राज्य

नीति आयोग की चौथी और पांचवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर कृषि कार्यक्षेत्र ने संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया। केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय करते हुए राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के निपटारे की निगरानी और विस्तार किया । नीति आयोग ने सदस्यों (कृषि) की उपस्थिति में विकासात्मक मामलों और ग्रामीण प्रवास पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की। इसे और आगे बढ़ाने के लिए, दिसंबर 2019

में देहरादून में एक और बैठक होनी प्रस्तावित थी। इसके अलावा, वर्टिकल ने राज्य द्वारा प्रस्तावित कई बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं (ईएपी) के अलावा राज्य की चल रही गतिविधियों की समीक्षा की ।

नीतिगत मामले

सदस्यों (कृषि) ने विभिन्न नीति और महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मूल्य पूर्वानुमान तंत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल ताड़ की खेती को विकसित करने, ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित मूल्य श्रृंखला का विकास (टमाटर, प्याज और आलू के एकीकृत विकास) करने हेतु पीएमओ को अपना सहयोग दिया। इसके अलावा, किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी कार्य योजना, तेल प्रसंस्करण उद्योग में मवेशियों और ग्रंथियों की बीमारी में पैर और मुंह की बीमारी के उन्मूलन पर कार्य योजना, पीएम-किसान के प्रारूपण से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में योगदान दिया । बफर स्तर की सिफारिश करने के लिए सदस्यों (कृषि) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ।

घरेलू उत्पादन में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए देश में दालों का स्टॉक। समिति ने देश में दालों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए 2.06 मिलियन टन स्टॉक की सिफारिश की ।

एनएबीआई, मोहाली में 7 मार्च 2019 को स्मार्ट कृषि कॉन्क्लेव के लिए स्टार्ट-अप

एग्री-स्टार्टअप को एक साथ लाने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास और नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (एनएबीआई), मोहाली, पंजाब के सहयोग से 7 मार्च 2019 को 'स्मार्ट कृषि के लिए स्टार्ट-अप' संबंधी एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल, वीपी सिंह बदनोर मुख्य अतिथि थे और स्टॉल के साथ-साथ सम्मेलन का उद्घाटन किया।

कॉन्क्लेव का उद्देश्य एफपीओ, सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को प्रदर्शित करने का अवसर

प्रदान करना था, विशेष रूप से कृषि निर्यात बढ़ाने, कृषि उपकरणों के मूल्य संवर्धन और उपयोग, सफलता की कहानियों / सर्वोत्तम प्रथा आदि। 100 से अधिक स्टार्ट-अप और एफपीओ ने इस कार्यक्रम में संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नाबार्ड, लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहभागिता की ।

प्रतिभागियों में असाधारण प्रदर्शन करने वाले स्टार्ट-अप और एफपीओ शामिल थे, जो अपने नवीन तकनीकों और व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से एग्रीबिजनेस स्पेस को बदल रहे हैं। कॉन्क्लेव ने वांछित जागरूकता पैदा करने में मदद की और कृषि क्षेत्र में एक उद्यमी वातावरण तैयार किया। समकालीन संस्थापकों से बेहतर उच्च ऊर्जा वाले वातावरण में भाग लेने वाले उद्यमियों को एक अनूठा नेटवर्किंग अवसर प्रदान किया गया था ।

कैरियर प्रबंधन गतिविधियां

वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल 2019 से अक्तूबर 2019 तक) के दौरान 32 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों/सम्मेलनों आदि में नीति आयोग/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विभिन्न देशों में डीएफएफटी स्कीम के तहत नामांकित किया गया जिसमें इस अवधि के दौरान उपाध्यक्ष/सदस्यों की विभिन्न देशों की विदेश यात्राएं भी शामिल थी ।

इस अवधि के दौरान नीति आयोग तथा विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के आईएएस, आईईएस, आईएसएस, जीसीएस, पुस्तकालय आदि के 24 अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी (आईएमयू), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) आदि तथा भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्त संस्थानों/संगठनों में प्रायोजित/आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया। इसमें सीएसएस, सीएससीएस तथा सीएसएसएस से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल थे जिन्हें

सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न अनिवार्य तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया था।

मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 24 से 26 मई 2019 तक नीति आयोग के 52 अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

इस खंड ने तीन चरणों में आईआईपीए में अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जीसीएस अधिकारियों को नामित किया गया। प्रशिक्षण का अंतिम चरण मई 2019 में आईआईपीए में आयोजित किया गया और इसमें 14 अधिकारियों ने भाग लिया, जैसा कि पैरा 2 में उपर उल्लिखित है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान, नीति आयोग ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए दो संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा नामांकित किया गया, और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया।

नीति आयोग ने नए भर्ती हुए यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स के लिए नीति आयोग में अनिवार्य इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

नीति आयोग के कामकाज से भारतीय मूल के लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से, विदेश मंत्रालय ने इंटरएक्टिव सत्रों के लिए नीति आयोग में उनके लिए व्यवस्था की है। आज तक, इस खंड ने ऐसे तीन सत्र आयोजित किए हैं।

चार्ट, मानचित्र और उपकरण इकाई (संचार सेल)

चार्ट, नक्शे और उपकरण इकाई (संचार सेल) नीति आयोग की एक केंद्रीकृत डिजाइनिंग और तकनीकी सहायता इकाई है।

यह इकाई नीति आयोग के सभी कार्यक्षेत्रों और प्रभागों को तार्किक, तकनीकी और उपकरण सहायता प्रदान करती है। यह समिति के कमरों में स्थापित ऑडियो और वीडियो उपकरणों की खरीद और रखरखाव से संबंधित कार्य भी देखता है और अन्य लोगों के बीच पावरपॉइंट प्रस्तुतियों के लिए व्यवस्था करता है। यह इकाई अधिरचना, नाम प्रदर्शन कार्ड, पार्किंग लेबल, प्रमाण पत्र, बैठने की योजना, संगठनात्मक चार्ट, निमंत्रण और शुभकामना कार्ड, सुलेख कार्यों आदि को प्राप्त करने वाले अधिकारियों के आईडी कार्ड भी बनाती है।

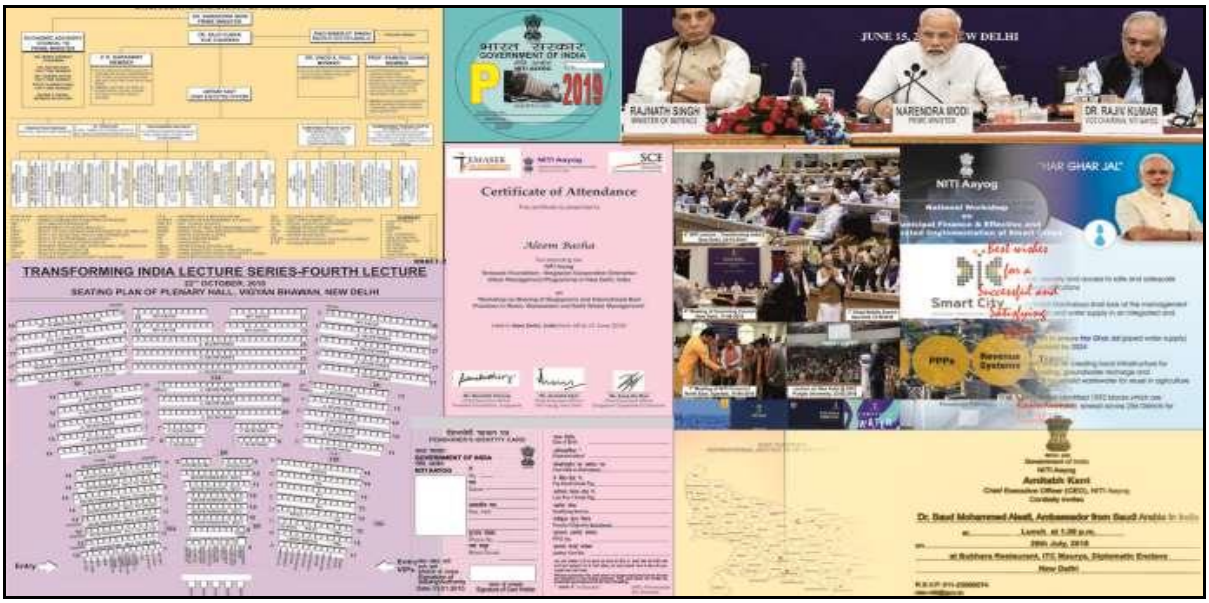

यह इकाई नीति आयोग के भीतर और बाहर दोनों बैठकों, सम्मेलनों और सेमिनारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, इकाई ने निम्नलिखित कार्य किया :

1. इस तरह के विभिन्न बैठकों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई:

   क. विज्ञान और समाज: दिनांक 4 अप्रैल 2019 को वार्षिक भारतीय संगोष्ठी विज्ञान भवन में आयोजित की गई ।

   ख. नीति आयोग की पांचवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 15 जून 2019 को राष्ट्रपति भवन में हुई

   ग. नीति आयोग में 22 जून 2019 को अर्थशास्त्रियों के साथ भारत के माननीय प्रधान मंत्री की बैठक हुई ।

   घ. 10 जुलाई 2019 को होटल ताज पैलेस में दूसरा भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता संपन्न।

   ङ. पांचवां नीति व्याख्यान श्रृंखला 26 अक्टूबर 2019 को विज्ञान भवन में आयोजित की गई ।
2. नीति आयोग के कई वर्टिकल और डिवीजनों के विभिन्न प्रकाशनों के मुख पृष्ठ डिजाइन करना
3. बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर महत्वपूर्ण जानकारी और ईवेंट शेड्यूल को फ्लैश कराना
4. यूनिट की फोटोस्टेट शाखा द्वारा अपनी सेवाओं को सभी वर्टिकल तक विस्तारित किया जाता है:

   क) विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों के प्रिंटआउट (रंग और काले और सफेद) प्रदान करना

   बी) थोक फोटोकॉपी / नकल कार्यों को निष्पादित करना

ग) दस्तावेज़ को बांधने का कार्य करना।

संस्कृति

भारत में विरासत प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव देने और अनुशंसा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय को कार्य सौंपा गया है।

प्रधान मंत्री कार्यालय ने सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में, भारत में विरासत प्रबंधन में सुधार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसके बाद, नीति आयोग ने समूह की दो बैठकें और एक हितधारकों के परामर्श बैठक का आयोजन किया है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

भारत में पुरातत्व और संरक्षण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 5 सितंबर 2019 को नीति आयोग में आयोजित की गई थी। संरक्षण और विश्व विरासत, अन्वेषण और उत्खनन, अधिजठर और विरासत उप-कानूनों पर चर्चा हुई।

116 टिकट वाले स्मारकों (विश्व विरासत स्थलों सहित) के 50 में आगंतुक सुविधाओं की समीक्षा करने पर एक शोध अध्ययन किया गया ।

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण उद्यमियों के विकास और संवर्धन, डेटा प्रबंधन व तकनीक का लाभ उठाने वाले मुद्दों से संबंधित है ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी राष्ट्रीय रणनीति

2018-19 के बजट में भारत सरकार ने हमारी तकनीकी क्षमताओं के निर्माण को प्राथमिकता दी थी और कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को निर्देशित करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए नीति आयोग को अनिवार्य किया था। नीति आयोग ने जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एनएसआई) के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की । सभी के लिए #एआई नामक रणनीति, सामाजिक विकास और समावेशी विकास के साथ एआई की आर्थिक क्षमता को जोड़ती है, और भारत को 'दुनिया का एआई गेराज' के रूप में स्थान देती है। इसके साथ, भारत एक अच्छी तरह से परिभाषित एआई रणनीति वाले देशों की कुलीन सूची में शामिल हो गया है।

महिला उद्दमिता मंच

द वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफ़ॉर्म (डब्लूईपी) भारत की महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाने वाला अपनी तरह का पहला एकीकृत-एक्सेस पोर्टल है। ऐसे मंच का विचार सबसे पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने प्रस्तुत किया था,

जिन्होंने 2017 में हैदराबाद में आयोजित आठवें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के समापन पर इसकी स्थापना की घोषणा की थी, जिसका थीम था- 'वूमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल' ।

वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019

डब्लूईपी को वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (डब्लूटीआई) अवार्ड्स के चौथे संस्करण के लिए अपनी वेबसाइट पर 2300 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। 'द वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स' नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर आयोजित किया गया है।

*[*आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डब्लूईपी के लिए राष्ट्रीय रणनीति पर अधिक जानकारी के लिए*,* खंड ड़: नवाचार को बढ़ावा देना*,* देखें*]*

विकेंद्रीकृत योजना

नीति आयोग में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रभाग को पंचायती राज मंत्रालय तथा विधि व न्याय मंत्रालय से संबंधित कार्य सौंपा गया है जिसमें न्याय विभाग, विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग शामिल हैं। इस योजना में ड्राफ्ट कैबनेट नोट संबंधी जांच और टिप्पणियां प्रस्तुत करने, सीसीईए हेतु ड्राफ्ट नोट, एसएफसी या इएफसी ज्ञापन, पीआईबी/डीआईबी प्रस्ताव अन्य उपर्युक्त मंत्रालयों और विभागों से समय-समय पर प्राप्त अन्य मामलें, ड्राफ्ट नोट संबंधी परीक्षा और प्रस्तुत टिप्पणियां शामिल हैं। यह प्रभाग तेलंगाना राज्य से संबंधित कार्य भी देखता है।

विकेंद्रीकृत योजना बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा (केबीके जिलों) के लिए विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि: राज्य घटक-शेष निधि) से संबंधित अवशिष्ट कार्य की देखरेख भी करता है। इसमें 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के परिणाम विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट तथा नवीनतम उपयोग प्रमाण पत्र और बैलेंस फंड जारी करने की सिफारिश शामिल है। यह प्रभाग जीसीएस, संसद अनुभाग और आरटीआई सेल को अपेक्षित सूचना भी प्रदान करता है, जिसमें सार्वजनिक शिकायतों का निपटान सहित उनसे प्राप्त मामले शामिल हैं ।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की निर्णायक भूमिका का लाभ उठाने के लिए, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसके बाद, आऱजीएसए पंचायती राज मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 2018-19 और 2021-1922 के दौरान एक केंद्र प्रायोजित योजना बन गई।

यह योजना सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की विकासशील शासन क्षमताओं की दिशा में केंद्रित है। आरजीएसए के क्षमता-निर्माण घटक के अंतर्गत, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु प्रशिक्षित किया गया था।

संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों के अंतर्गत केंद्रीय निधि से वंचित राज्यों के बीच धन के पारदर्शी और न्यायसंगत आवंटन के लिए पंचायती राज मंत्रालय को नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।

अलग-अलग डिविजन में कैबिनेट नोट

1. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 संबंधी कैबिनेट नोट के मसौदे की जांच की गई। नीति आयोग ने विधेयक को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 के रूप में दुबारा प्रस्तुत करने और प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी दी ।

2. नेशनल काउंसिल फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स के तहत संचालन परिषद और संविधान संचालन समिति के पुनर्गठन पर मसौदा कैबिनेट नोट की जाँच की। '

3. ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन संबंधी ड्राफ्ट नोट, और विशेष विषयों पर ई-समिति के सलाहकार के रूप में तीन तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करने के लिए अध्यक्ष, ई-समिति के पुनर्गठन की जांच की ।

4. बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के **EFC** ज्ञापन की जाँच की ।

सीएसएस और अनुसंधान अध्ययन का मूल्यांकन

28 अम्ब्रैला योजनाओं के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं के मूल्यांकन के लिए केपीएमजी को एक खुली निविदा के माध्य से 26 सितंबर 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके कंसल्टेंसी का कार्य सौंपा गया है ।

'पीआरआई के संसाधन के प्रसार हेतु मापन' संबंधी अध्ययन को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली को सौंपा गया है। नीति आयोग को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ।

विविध मामले / पीएमओ संदर्भ / सार्वजनिक शिकायतें

1. भारतीय सामुदायिक विकास संस्थान (आईआईसीडी**),** पुदुचेरी के अध्यक्ष से प्राप्त **73** वें और **74** वें संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में आधारभूत योजना के बारे में एक पीएमओ संदर्भ की जांच की गई और याचिकाकर्ता को नीति आयोग के सिद्धांतो से अवगत कराया गया।

2. सभी राज्यों के ब्लॉक मुख्यालयों में ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए अभिलेखागार की स्थापना के लिए एक सार्वजनिक शिकायत की जांच की गई। चूंकि पंचायत राज्य का मामला है और चूंकि राज्यों में पीआरआई प्रणाली में रिकॉर्ड रखने की अलग-अलग व्यवस्था है और यह राज्य-विशिष्ट पंचायती राज अधिनियमों का पालन करता है, ऐसे में याचिकाकर्ता को संबंधित राज्यों के साथ मामला उठाने के लिए अवगत कराया गया था ।

ऊर्जा

ऊर्जा डेटा प्रबंधन

नीति आयोग एक बेहतर उर्जा डेटा प्रबंधन की दिशा में काम कर रहा है ताकि विकसित डेटा संग्रहण, प्रबंधन तथा कुशल प्रणाली विकसित की जा सके। इस दिशा में पहला कदम, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा), की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा 27 और 28 मार्च 2018 को भारत में लाइन मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन और ऊर्जा-डेटा-प्रबंधन एजेंसियों के साथ ऊर्जा डेटा प्रबंधन पर एक परामर्श बैठक आयोजित की गई।

ऊर्जा डेटा अंतराल, आवृत्ति और डेटा संग्रह के स्रोत से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और हल करने के लिए ऊर्जा मांग और ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में दो कार्य समूहों के गठन पर चर्चा की गई, और नीति अनुसंधान के लिए निजी थिंक-टैंक और अन्य के लिए वास्तविक समय आधार पर उसका अपडेशन करने के संबंध में भी चर्चा की गई।

दोनों कार्य समूहों की पहली बैठक 4 जून 2018 को आयोजित की गई थी, जिसमें विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, संदर्भों की विशिष्ट शर्तों के साथ गठित ऊर्जा मांग (कृषि, उद्योग, भवन और परिवहन) और ऊर्जा आपूर्ति (बिजली, कोयला, नवीकरण और तेल और गैस) के संबंध में उप-समूह का गठन किया गया था।

आठ उप-समूह अपने गठन के बाद से नियमित रूप से वार्ता कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के भीतर एक ऊर्जा डेटा और मॉडलिंग सेल बनाने का आधार होगी। वर्तमान में इस प्रस्ताव के विवरण पर काम किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत में ऊर्जा सांख्यिकी और ऊर्जा संतुलन बनाने की पांच दिवसीय कार्यशाला दिसंबर 2018 में आयोजित की गई थी। इस डेटा के साथ विभिन्न संगठनों की भागीदारी के साथ विभिन्न मांग और आपूर्ति क्षेत्रों के ऊर्जा डेटा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राज्य परिवहन, शहरी विकास, बिजली और कृषि विभागों की भागीदारी के साथ राज्य-स्तरीय सीखने के लिए एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था।

इसी की तर्ज पर, राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला और चार क्षेत्रीय स्तर के लोगों के लिए ऊर्जा डेटा प्रबंधन के संबंध में क्षमता निर्माण के लिए एक क्षेत्रीय स्तर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है -.

भारतीय ऊर्जा डैशबोर्ड

नीति आयोग की ऊर्जा वर्टिकल वर्तमान में भारतीय ऊर्जा डैशबोर्ड को बनाए रखती है, जो भारत के समस्त ऊर्जा संबंधी डेटा के लिए वन-स्टॉप शॉप (एक ही दुकान पर सबकुछ उपलब्ध होना) है। प्रयास एनर्जी ग्रुप नीति आयोग द्वारा प्रदान किए गए शोध अनुदान के माध्यम से डैशबोर्ड में सुधार के लिए सहायता कर रहा है। डैशबोर्ड को वर्तमान में https://niti.gov.in/edm/ पर अपलोड किया गया है। अद्यतित डैशबोर्ड ऊर्जा मंत्रालयों के विभिन्न पोर्टलों के एपीआई से डेटा को सीधे प्राप्त करने की अनुमति देगा, और यह बेहतर दृश्य, विश्लेषणात्मक उपकरण और एक संचार मंच प्रदान करेगा। अद्यतित डैशबोर्ड दिसंबर 2019 के अंत में आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा ।

इसके बाद, नीति आयोग, एक स्थान पर सभी प्रासंगिक डेटा और डेटा प्रथाओं को लाने के लिए ऊर्जा डेटा प्रबंधन से संबंधित एक परियोजना प्रबंधन इकाई बनाने पर काम कर रहा है। यह इकाई भारत ऊर्जा डैशबोर्ड, जीआईएस ऊर्जा मानचित्र, भारत ऊर्जा मॉडल, भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईएसएस) 2047 और राज्य ऊर्जा कैलकुलेटर सहित ऊर्जा क्षेत्र में सभी डेटा-संग्रह से संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी ।

क्लीन कूकिंग रोडमैप

स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा संबंधी एक राष्ट्रीय मिशन हेतु विचार-विमर्श करने के लिए, नीति आयोग ने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईवीई) और 'ड्यूश सेस्लेस्चाफ्ट फ़्यूर इंटरनेशनेल ज़ुसमेनरबीत (जीआईजेड)' के साथ मिलकर 'रोडमैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया' की रूपरेखा तैयार की है।

यह रिपोर्ट नीति आयोग, सीइइडब्लू और जीआईजेड के बीच एक साल के लंबे सहयोग का नतीजा है, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्रमुख स्वच्छ खाना पकाने वाले ऊर्जा ईंधन और प्रौद्योगिकियों में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है। इसका रोडमैप सीइइडब्लू और नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विदेशी व्यस्तताएं

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए): नीति आयोग ने आईईए के परामर्श से भारत की ऊर्जा नीतियों की गहन समीक्षा की है। आईईए और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों वाली विशेषज्ञों की एक टीम ने जनवरी 2019 में बिजली, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल और गैस और पर्यावरण की नीतियों पर संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा के लिए भारत का दौरा किया। दौरे करने के बाद और की गई चर्चाओं के आधार पर, विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियों के लिए आईईए द्वारा एक मसौदा रिपोर्ट साझा किया गया था, बाद में, इस दौरान प्राप्त टिप्पणियों को शामिल करने के बाद इसे फिर से साझा किया गया था। अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2020 में जारी की गई थी ।

रॉकफेलर फाउंडेशन: नीति आयोग, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य सौभाग्य योजना की महत्वपूर्ण चुनौतियों और कमजोर क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से भारत में बिजली की पहुंच का विश्लेषण करना है। अध्ययन एक प्राथमिक ग्राहक सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किया जा रहा है, यह दस राज्यों-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बिजली की आपूर्ति करने वाले डिसकॉम के सर्वेक्षण के साथ-साथ आयोजित किया जा रहा है। इस संपूर्ण शोध के नतीजे से 'सभी के लिए 24x7 बिजली 'के राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी इनपुट को सामने लाया जाएगा।

विश्व बैंक: नीति आयोग भारत में गीगा-स्केल बैटरी विनिर्माण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ऊर्जा भंडारण मांग और गीगा-स्केल निर्माण का समर्थन करने के लिए, नीति आयोग ने विश्व बैंक से $ 1 बिलियन की बाह्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए, विश्व बैंक ने तकनीकी सहायता के रूप में $ 1 मिलियन प्रदान किए है।

इस सहायता का उपयोग नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमओएनआरई), योजना मंत्रालय और कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
ऊर्जा-भंडारण मांग निर्माण के लिए योजना मंत्रालय एक ग्रिड-स्तरीय नीति और विनियमों की रूपरेखा तैयार करेगा।
एमओएनआरआई द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, संकर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (सौर, पवन और बैटरी), छत सौर ऊर्जा, सौर पंप और अन्य ऐसे स्रोतों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली की मांग का अनुमान लगाया जाना है।
राज्य अपने भार प्रवाह अध्ययन (जिसमें सौर ऊर्जा, छत सौर, पवन, बायोगैस, विद्युत वाहन, सहायक सेवाएं, आदि शामिल हैं) हेतु बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संभावित हस्तक्षेपों के लिए तकनीकी सहायता का उपयोग कर सकते हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी): यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत, नीति आयोग और यूएसएआईडी ने सतत विकास मंच का आयोजन किया। मार्च 2019 में आयोजित भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग है। इस फोरम को संस्थागत बनाने के लिए व इस पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह ने अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं और फोरम का दूसरा संस्करण मार्च 2020 के लिए अस्थायी रूप से शुरू किया जाना निर्धारित किया गया है।

यूके डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी (यूकेबीईआईएस): नीति आयोग ने 2014 में यूकेबीईआईएस के परामर्श से भारत के ऊर्जा कैलकुलेटर आईएसएस 2047 को विकसित किया गया था। सितंबर 2019 में यूके के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान, कैलकुलेटर, अन्य गतिविधियों के साथ-साथ भारत में राज्यों के साथ-साथ जुड़ाव बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने, अभ्यास, और बेहतर ऊर्जा नियोजन को सक्षम करने के लिए चर्चा हुई।

मैकआर्थर फाउंडेशन और इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (आईएसजीएफ): आईएसजीएफ ने 2019-32 से भारत के लिए एक ऊर्जा भंडारण प्रणाली रोडमैप विकसित किया है, जो छत पर सौर प्रवेश के विभिन्न परिदृश्यों के तहत ग्रिड समर्थन के लिए ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन को मैकआर्थर फांउडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है और 16 जुलाई को नीति आयोग, ऊर्जा मंत्रालय और आईएसजीएफ द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण हितधारक कार्यशाला के दौरान शुरू किया गया था।

डॉयचे गेसल्सचाफ्ट फर इंटरनेशनेल ज़ुसमेनारबीट (जीआईजेड): जीआईजेड इंडिया ने राज्यों को राज्य ऊर्जा कार्य योजना विकसित करने में तकनीकी सहायता प्रदान की है। नीति आयोग और जीआईजेड के आईजीएन एक्सेस-II कार्यक्रम ने राज्य ऊर्जा कार्य योजना के संबंध में विकास की प्रक्रिया और लाभों को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने राज्य ऊर्जा कैलकुलेटर और ऊर्जा कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं। ब्रिटिश उच्चायोग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (एससीआईएसपी): भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत, नीति आयोग लगातार रणनीतिक निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एससीआईएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। संबंधित मंत्रालय और विभाग एससीआईएसपी के साथ लगातार चर्चा और संगोष्ठी करता है। नीति आयोग समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकें करता है।

विज़न डॉक्यूमेंट 2035: इसमें ऊर्जा क्षेत्र का एक अध्याय शामिल है, जिसके लिए विशेषज्ञों के एक समूह की पहचान की गई है और वर्तमान में यह एक कार्यकारी दस्तावेज विकसित करने में संलग्न हैं, जो भारत के सुगमता, स्थिरता और सुरक्षा के भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेपों को सूचीबद्ध करता है।

ऊर्जा मॉडलिंग

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047: एनआईटीआईयोग ने विश्व बैंक के समर्थन से आईईएस 2047 संस्करण 3 के अपडेशन का काम किया है। आधार वर्ष 2017 को अपडेट कर दिया गया है। अपडेशन अभ्यास पूरा हो चुका है और टूल को जनवरी 2020 में लॉन्च किया जाना है। उपकरण ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे को तैयार करने में मदद की है और भारत सरकार की विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है।

इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फ़ोरम: नीति आयोग और यूएसएआईडी ने संयुक्त रूप से मार्च 2019 में भारत एनर्जी मॉडलिंग फ़ोरम का उद्घाटन किया। इस फ़ोरम का उद्देश्य प्रमुख विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों को महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरणीय मुद्दों की जाँच करने के लिए भारत संचालित मंच प्रदान करना है और सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मॉडलिंग और विश्लेषण करने के लिए एक बड़ी भूमिका प्रदान करना है। इस मंच का दूसरा संस्करण मार्च 2020 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है।

परिवहन क्षेत्र के निर्वनीकरण के प्रभाव का आकलन करना (नवंबर 2019 में रिपोर्ट का शुभारंभ किया गया): भारतीय परिवहन क्षेत्र के विखंडन में नीतियों के प्रभाव को समझने के लिए एक अंतर-मॉडल तुलना अभ्यास का उपयोग किया गया था। अध्ययन के परिणामों से निष्कर्ष निकला है कि वर्ष 2030 और 2050 तक ईंधन दक्षता में वृद्धि होगी और सार्वजनिक परिवहन की ओर एक मामूली बदलाव करके कार्बन उत्सर्जन में कमी की अधिकतम संभावना होगी। हालांकि विद्युतीकरण से लंबे समय तक उत्सर्जन में कमी होती है, लेकिन बिजली क्षेत्र में धारा के प्रतिकूल उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए, महत्वाकांक्षी विद्युतीकरण लक्ष्यों को बिजली क्षेत्र के विखंडन के साथ भी करने की आवश्यकता है।

इन-हाउस मॉडलिंग क्षमताएं: नीति आयोग ने भारत के लिए एक ऊर्जा मॉडल संदेश टूल की स्थापना की है। इस टूल में एक पूर्ण एकीकृत मॉडल है, जिसमें कई नेक्सस को शामिल किया गया है। नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए इस तरह के तकनीकी रूप से भारी उपकरणों के उपयोग को सरल बनाने के लिए यह निर्णय सिम्युलेटर टूल (डीएसटी) को विकसित करने की प्रक्रिया में है ताकि बेहतर नीति निर्धारण किया जा सके।

राज्य ऊर्जा गणनाकर्ता: ब्रिटिश उच्चायोग के परामर्श से नीति आयोग ने आईएसएस 2047 से प्रेरित आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए राज्य ऊर्जा कैलकुलेटर विकसित किए हैं। सभी राज्यों ने गणनाकर्ताओं की उपयोगिता की सराहना की है। तमिलनाडु राज्य ऊर्जा कैलकुलेटर शुरू करने वाला अंतिम राज्य था और मुख्यमंत्री के साथ एक उद्घाटन कार्यक्रम शीघ्र ही निर्धारित किया जाना है।

प्रधान मंत्री द्वारा अवसंरचना की समीक्षा: कोयला, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, परमाणु ऊर्जा की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की गंभीर रूप से जांच की गई है और माननीय

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे की समीक्षा बैठक के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान किए गए हैं।

घरेलू तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन बढ़ाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति:

समिति का गठन पीएमओ के निर्देशन और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने व सिफारिश करने के लिए इस बैठक में कैबिनेट सचिव, सीईओ, नीति आयोग, सचिव, एमओपीएनजी, सचिव, डीईए और सीएमडी, ओएनजीसी शामिल थे। घरेलू तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊर्जा वर्टिकल ने समिति को रिपोर्ट बनाने और समन्वय में मदद की। रिपोर्ट जनवरी 2019 में पीएमओ को प्रस्तुत की गई थी। मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में सिफारिशों को मंजूरी दी।

खान, खनिज और कोयला के संबंध में उच्च-स्तरीय समिति: समिति का गठन पीएमओ के निदेश से किया गया था और नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष और मंत्रिमंडल सचिव; नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी; सचिव, आर्थिक कार्य विभाग; सचिव, राजस्व; सचिव, खान; सचिव, एमओईएफसीसी; और सचिव, कोयला इसमें शामिल थे इसका उद्देश्य खनिजों और कोयले की खोज,घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, आयात को कम करना और इनके निर्यात में तेजी से वृद्धि करने के लिए सिफ़ारिशें करना था। ऊर्जा वर्टिकल ने रिपोर्ट लेखन और कोयला क्षेत्र के साथ समन्वय में समिति का सहयोग किया। रिपोर्ट सौंप दी गई है।

मुख्य कार्यकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में *उदय* समीक्षा समिति : नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति की स्थापना की गई और इसमें सचिव, आर्थिक कार्य विभाग; सचिव,एमओएनआरई; सचिव, विद्युत; अपर सचिव (ऊर्जा), नीति आयोग ; और योजना मंत्रालय और नीति आयोग के अन्य अधिकारी शामिल थे। *उदय* योजना पर विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री कार्यालय को सौंप दीं।

मुख्य कार्यकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में नवीकरणीय ऊर्जा विकास बैठक: प्रधान मंत्री कार्यालय के निदेश और उनके द्वारा प्रदान किए गए एक स्टेटस पेपर के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी । आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अंतिम सिफारिशें प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी गई।

कोयला धुलाई पर रिपोर्ट: प्रधान मंत्री कार्यालय के निदेश पर हितधारकों के परामर्श से बिजली और कोयला कंपनियों में धुले कोयले का उपयोग करने के पर्यावरणीय लाभों और इससे संबन्धित आर्थिकी की जांच करने संबंधी एक व्यापक रिपोर्ट, जिसमें पर्यावरणीय लाभ और कोयला धोने के तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को शामिल किया गया था, दिनांक मार्च 2019 को प्रधान मंत्री कार्यालय भेजी गई।

तेल और गैस परिसंपत्तियों में ओएनजीसी विदेश के विदेशी निवेश का विश्लेषण: प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा नीति आयोग को विदेशी तेल और गैस परिसंपत्तियों में ओएनजीसी विदेश द्वारा किए गए निवेश का विस्तृत विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया है। नीति आयोग का उर्जा वर्टिकल इस मामले को देख रहा है। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय उपरोक्त विश्लेषण कार्य कर रहा है। यह वर्टिकल मूल्यांकन के लिए आवश्यक सारी सहायता प्रदान कर रहा है।

तेल और गैस खोज संबंधी ' नो गो ज़ोन' की समीक्षा: तेल और गैस की खोज के लिए' नो गो ज़ोन 'के मुद्दे पर चर्चा के लिए दो बार बैठकें हुईं। पहली बैठक मुख्य कार्यकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में अध्यक्षता में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अप्रैल 2019 में हुई थी। दूसरी बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वर्तमान

में प्रतिबंधित क्षेत्रों में से कुछ को हटाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए अक्टूबर 2019 में आयोजित की गई थी । इन बैठकों का उद्देश्य डीआरडीओ, इसरो, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुद्दों को हल करना था ताकि तेल और गैस की खोज के लिए और अधिक क्षेत्रों तक पहुँचा जा सके।

ऊर्जा वर्टिकल के अन्य विशिष्ट कार्य

आउटपुट-परिणामी बजट 2019-20 की मॉनिटरिंग: डीएमईओ टीम के सहयोग से ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं की मॉनिटरिंग से संबंधित कार्य '(आउटपुट- परिणामी बजट 2018-19 के लिए) किया। ऊर्जा वर्टिकल द्वारा मॉनिटरिंग के प्रमुख मापदंड विकसित किए गए हैं।

नीति आयोग के डैशबोर्ड का अद्यतन: ऊर्जा वर्टिकल माननीय प्रधान मंत्री द्वारा त्रैमासिक आधार पर समीक्षा किए जाने के लिए नीति आयोग के ऊर्जा क्षेत्र (कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और नवीकरणीय) डैशबोर्ड को अद्यतन करने के लिए ऊर्जा से जुड़े मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों में वर्टिकल ने प्रतिनिधित्व किया था: (i) विद्युत उत्पादन में इष्टतम ऊर्जा मिश्रण; (ii) नई सामग्री के मूल्य संवर्धन के लिए रियायती विद्युत देने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना; (iii) ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ट्रांसमिशन संबंधी समिति (एनसीटी)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में, वर्टिकल ने: (i) अच्छी अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं का संहिताकरण; (ii) जैव ईंधन पर संयुक्त कार्यबल में प्रतिनिधित्व किया था। एमओएनआरई के संबंध में, वर्टिकल ने: (i) परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन का वाणिज्यकरण में प्रतिनिधित्व किया था। कोयला मंत्रालय के संबंध में, वर्टिकल ने: (i) स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी); (ii) कोयला ब्लॉकों के आबंटन पर अंतर-मंत्रालयी समूह; (iii) पावर स्टेशनों, सीमेंट प्लांट आदि को कोयले की आपूर्ति के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी (दीर्घकालिक) में प्रतिनिधित्व किया था।

वर्टिकल ने ऊर्जा से संबंधित कुछ विशिष्ट नीति-संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों, ऊर्जा मंत्रालयों (विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला और तेल और गैस), ऊर्जा मंत्रालयों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, थिंक टैंकों, ऊर्जा-क्षेत्र के हितधारकों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय किया।

वित्तीय संसाधन

नीति आयोग का वित्तीय संसाधन प्रभाग राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करता है, जिसमें केंद्र से राज्यों को स्थानान्तरण, राज्यों द्वारा सामाजिक-क्षेत्र पर किया गया व्यय और उनकी ऋण स्थिति शामिल है। वित्त आयोग से संबंधित मुद्दे, विशेष परियोजनाओं के लिए धन का अनुरोध और अंतर-सरकारी हस्तांतरण भी इस वर्टिकल द्वारा देखे जाते हैं। वित्तीय संसाधन वर्टिकल नए आयाम प्रदान करने और देश की राजकोषीय स्थिति में सुधारों पर जोर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस भूमिका के साथ, वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ और अध्ययन इस प्रकार हैं:

राज्यों के राजकोषीय प्रोफाइल

इस प्रभाग ने राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार किए हैं, जो प्रत्येक राज्य की दूसरे राज्य की तुलना में वित्तीय स्थिति के और अखिल भारतीय औसत का एक नजर में सारांश प्रदान करते हैं। ये प्रोफाइल स्वयं के करों से उत्पन्न संसाधन, पूंजीगत व्यय, सामाजिक-क्षेत्र व्यय, राजकोषीय और राजस्व घाटा और दूसरे राज्य की तुलना में ऋण की स्थिति सहित जीएसडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, प्राप्तियों जैसे विभिन्न राजकोषीय संकेतकों में राज्यों के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। इन प्रोफाइलों में वर्ष 2011 से 2019-20 के बजट अनुमान के डेटा को लिया गया है।

वित्त आयोग से संबंधित मुद्दे

इस प्रभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की और विचारणीय विषयों पर अपने इनपुट और सुझावों को साझा किया। इसने विशेष रूप से टीओआर 7 (iii) पर अपने विचार साझा किए, जिसमें कहा गया है कि 'आयोग भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की उपलब्धियों, लचीला आपदा बुनियादी ढांचा, सतत विकास लक्ष्य और व्यय की गुणवत्ता के लिए उपयुक्त सरकारी स्तर पर राज्यों के लिए औसत दर्जे का प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है'।

नीति आयोग का मानना है कि साल-दर-साल की रैंकिंग का डेटा कैप्चर करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी आदि बुनियादी सामाजिक संकेतकों और वित्तीय संकेतकों का एक समग्र सूचकांक तैयार किए जा सकते है। यह सूचकांक, जिसे पंद्रहवें वित्त आयोग के हस्तांतरण फार्मूले में शामिल किया जा सकता है, प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। इस संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यास भी प्रस्तुत किए गए ।

इसके अलावा, इस प्रभाग ने इन राज्यों में अपनी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक राज्य के पंद्रहवें वित्त आयोग को एक नोट, जैसे कि और जब भी पूछा गया, तब अपेक्षित जानकारी / जानकारी प्रदान की।

नई पहल

वर्टिकल ने विभिन्न योजनाओं के तहत अंतिम मील तक राज्यों में मौजूदा फंड-फ्लो तंत्र का अध्ययन किया है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा है। इससे सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने की दिशा में नीतिगत कार्रवाई हो सकेगी।

राज्यों को आबंटन

केंद्र सरकार राज्यों को उनकी क्षेत्र-विशेष योजनाओं और परियोजनाओं की 'बढ़ी हुई देनदारियों' को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद बजट प्रावधान नहीं किया गया है औ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक कारकों के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय व्यय बजट की मांग संख्या 38 के तहत प्रदान की गई 'विशेष सहायता 'से वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को नवंबर 2019 तक 558.70 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

शासन और अनुसंधान

नीति आयोग को ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के अधिदेश के अनुरूप, नीति आयोग ने नए दिशानिर्देश लागू किये थे जैसे 'नीति आयोग की अनुसंधान योजना 2018'। संशोधित दिशा निर्देशों का उद्देश्य शोध कार्य व्यापक आधार देना, सेमिनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को सहायता देने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग के चिन्ह के उपयोग के माध्यम से गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वर्ष 2019-20 के दौरान (20 जनवरी, 2020 तक), कुल 327.16 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया, जिसमें शोध अध्ययन कार्यों के लिए 313.67 लाख रुपये और सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए 13.48 लाख रुपये शामिल थे।

वर्ष के दौरान 19 नए शोध अध्ययनों (तालिका 1.1) और 9 चालू अध्ययन पूरे किये गए (तालिका 1.2)। इसके अलावा, 7 संस्थानों (तालिका 1.3) को सेमिनार में सहयोग और विभिन्न प्रकार के विषयों और क्षेत्रों में कार्यक्रमों के लिए 48 संस्थाओं (तालिका 1.4) को और चिन्ह का सहयोग प्रदान किया गया।

अध्ययन रिपोर्ट और सेमिनार की कार्यवाही हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियों में प्राप्त होती है। इन सभी रिपोर्टों को नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया जाता है। इन रिपोर्टों और कार्यवाही की प्रतियां नीति आयोग के सभी संबंधित वर्टिकल और प्रभागों को परिचालित की जाती है। इसके बाद संबंधित प्रभागों द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जाती है और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों और/अथवा विभागों को भेजा जाता है।

[अनुमोदित अध्ययनों, पूरा किये गए अध्ययनों और लोगो समर्थनों की सूची अनुलग्नक-I में है।]

नीति परिप्रेक्ष्य

उर्वरकों का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण: प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में उर्वरकों का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए गठित समिति पहल का मार्गदर्शन करती रही। चरण-I में बिक्री बिंदु (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से खुदरा बिक्री के स्थानों पर उर्वरकों की बिक्री पर कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण की परिकल्पना पूरी की गई और मार्च 2018 में इसे देश में लागू किया गया। नीति आयोग ने मैसर्स माइक्रोसेव के माध्यम से उर्वरकों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में चार मूल्यांकन अध्ययन किए, इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और इसके कार्यान्वयन में उल्लेखनीय सफलता मिली है। पहले चरण के स्थिरीकरण के साथ, दूसरे चरण के लिए विचार-विमर्श शुरू हो गया है, जिसमें सीधे किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी अंतरण की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान दो बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें से एक बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में की गई।

बंद पड़ी यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति, रामागुंडम, तलचर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में पांच नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना की सक्रिय रूप से मोनिटरिंग कर रही है और इस प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान कर रही है। इनमें फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद तीन यूरिया यूनिट और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की दो बंद यूनिट शामिल हैं, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संघ द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान अंतर-मंत्रालयी समिति की कई बैठकें आयोजित की गईं। यह आशा की जाती है कि इन परियोजनाओं के आरम्भ हो जाने के बाद, आयातित यूरिया पर भारत की निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

तालचेर में भारत में पहली बार यूरिया संयंत्र में कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है, इस तरह आयातित गैस पर निर्भरता कम और उर्वरक कीमतों में अस्थिरता को कम किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सितंबर 2018 में संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। तालचर संयंत्र को विकसित करने की संविदा दिनांक 17 सितंबर 2019 को सौंपी गई थी परियोजना का विकास गेल, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, सीआईएल और

एफसीआईएल द्वारा किया जा रहा है, यह संयंत्र 1.27 एमएमटीपीए यूरिया और 0.73 एमएमटीपीए अमोनिया का उत्पादन करेगा। रामागुंडम यूरिया इकाई का पुनरुद्धार ईआईएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एफसीआईएल के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जा रहा है। जीआईटीएल ने गैस पाइपलाइन बिछाई है और गेल, इकाई को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा।

गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी इकाइयों का एनटीपीसी, सीआईएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), एफ़सीआईएल और एचएफ़सीएल के संयुक्त उपक्रम हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) द्वारा पुनरुद्धार किया जा रहा है। गेल एक गैस पाइपलाइन बिछा रहा है, जो न केवल इन *एंकर* इकाइयों को गैस की आपूर्ति करेगा, वरन कई शहरों और उद्योगों को भी गैस की आपूर्ति करेगा। इन इकाइयों को मार्च 2021 तक आरंभ किया जाना है।

सुगम जीवन शासन के लिए राज्यपालों का उप-समूह: 'सुगम जीवन शासन' पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्यपालों का एक उप-समूह गठित किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं और मणिपुर, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप के राज्यपाल और उप राज्यपाल इसके सदस्य हैं। नीति आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी इस समूह के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। नवंबर 2019 में आयोजित राज्यपालों के पचासवें सम्मेलन में रिपोर्ट का मसौदा माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

सुगम जीवन शासन के लिए राज्यपालों का उप-समूह की बैठक

ऊर्जा मानक लक्ष्य पर विशेषज्ञ समूह: ऊर्जा मानक लक्ष्य के संबंध मे सिफ़ारिशें करने के लिए डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है । इसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि करना, यूरिया इकाइयों के बीच ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और यूरिया के लिए सरकार के सब्सिडी वयवस्था को सही करना है। समूह उन यूरिया इकाइयों के लिए रोडमैप पर भी विचार-विमर्श कर रहा है, जो बिजली उत्पादन और/अथवा भाप उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करती हैं। अब तक इसकी चार बैठकें हो

चुकी हैं, जिनमें उर्वरक क्षेत्र की जटिलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना शामिल है।

गन्ना और चीनी उद्योग संबंधी कार्य बल: गन्ना और चीनी उद्योग के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजने के उद्देश्य से प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है ताकि राज्य सहायता पर उनकी निर्भरता को युक्तिसंगत बनाया जा सके और साथ ही जल-क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यबल को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान कार्यबल की अब तक चार बैठकें हुई हैं।

नीति आयोग का नागरिक चार्टर: नीति आयोग का नागरिक चार्टर तैयार करने के लिए वरिष्ठ सलाहकार (शासन और अनुसंधान) की अध्यक्षता में एक इन-हाउस समिति का गठन किया गया था। विचार-विमर्श के बाद, मसौदा चार्टर तैयार किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ, नीति आयोग का विज़न और मिशन विवरण, सेवा मानक, सेवा सुपुर्दगी और शिकायत-निवारण तंत्र की समय-सीमा शामिल हैं। चार्टर नीति आयोग की वरिष्ठ प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित था और इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: कानूनी और न्यायिक सुधार देश में शासन सुधार के प्रमुख घटकों में से एक हैं । इस संदर्भ में, वर्ष के दौरान टाटा ट्रस्टस के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया, जो भारत न्याय रिपोर्ट के रूप में सामने आया है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने बैठक की अध्यक्षता की और न्याय प्रदान करने में राज्यों की रैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए ।

शासी परिषद सचिवालय

शासी परिषद सचिवालय नीति आयोग के सभी वर्टिकलों, प्रभागों और एककों इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विभिन्न पत्राचारों को संबंधित वर्टीकलों को प्रचालित करता है। 2019-20 में सचिवालय द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ:

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक

1. नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक का आयोजन किया, इसका कार्यवृत्त तैयार किया और सभी भागीदारों को परिचालित किया।

2. समन्वयक केंद्र होने के नाते सचिवालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया।
3. वरिष्ठ प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की और नीति आयोग द्वारा निधियन के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों, परियोजनाओं और अध्ययनों के संबंध में चर्चाओं को सुलभ बनाया।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय और मंत्रिपरिषद को भेजे गए मासिक अर्ध शासकीय पत्रों के संबंध में समन्वय कार्य किया और इन पत्रों को एकत्र किया ।
5. केंद्रीय योजना स्कीम को लागू किया और वर्ष 2019 के दौरान लेखा परीक्षा जवाबों पर भी कार्रवाई की।
6 नीति आयोग का विजन दस्तावेज प्यार करने के संबंध में चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए।
7. बजट सत्र 2019 के दौरान नीति आयोग कि वर्ष 2018 -19 की वार्षिक रिपोर्ट बनाई गई, उसका समन्वय किया गया, मुद्रित किया गया तथा इसे संसदीय स्थाई समिति को परिचालित किया गया ।
8. वर्टिकल्स के साथ समन्वय किया और स्ट्रटेजी फॉर न्यू इंडिया @ 75 का मुद्रण और प्रकाशन किया।
9. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में 6 अगस्त 2019 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई।
10. सचिवालय के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया और सचिवालय में आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निपटान किया।
11. केंद्रीकृत जन शिकायत मितान और मॉनिटरिंग प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की गई।
12. सचिवालय में प्राप्त हुए संसद प्रश्नों, गैर सरकारी सदस्य संकल्प पर कार्रवाई की गई और उनसे जुड़े जवाब भी तैयार किए गए ।
13. राज्य योजना प्रभाग तमिलनाडु कार्यों पर कार्रवाई की गई और इससे जुड़े पत्राचार पर भी कार्रवाई की गई।
14. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के भाषण हेतु सूचनाओं का समन्वय किया गया और उस पर कार्रवाई की गई।

[अधिक जानकारी के लिए भाग घ: सहकारी फेडरेलिज्म देखें]

स्वास्थ्य और पोषण

स्वास्थ्य और पोषण वर्टिकल विभिन्न समितियों और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान और औषधि विभाग की एफ सी एस एस सी मैं नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यह अन्य के साथ साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद,राष्ट्रीय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा भारत जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकी सलाहकार समूहों का भी एक हिस्सा है।

वर्टिकल की मुख्य जिम्मेदारियों में यह शामिल है:-

1. राष्ट्रीय लक्ष्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का साझा विजन तैयार करना।
2. सलाह देना और मुख्य स्टेकहोल्डर तथा एक ही प्रकार की सोच रखने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सनधारणीय और शाम नेता पूर्ण विकास के चित्र में उत्तम पद्धतियों तथा सुशासन के संबंध में अनुसंधान का लेखा-जोखा रखें और स्टेकहोल्डर को इसके प्रचार प्रसार में सहायता प्रदान करे।

वित्तीय वर्ष 2019 20 के दौरान प्रभाग की मुख्य उपलब्धियां और योगदान इस प्रकार हैं:

आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

नीति आयोग ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की परिकल्पना हेतु इसके मूलाधार में विस्तार से कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप संघ के बजट में इसकी घोषणा हो सकी। योजना को सुचारु रुप से लागू करने के लिए नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संगठनात्मक और शासकीय ढांचे को तैयार करने मैं भूमिका निभाई।

भारत में संबद्ध पेशेवर स्वास्थ्य लैंडस्केप में परिवर्तन लाने के लिए ढांचा

नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्यों के साथ परामर्श से एक ढांचे का प्रस्ताव किया जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, पूरे भारत के वर्तमान जिला अस्पतालों में, निर्धारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

नर्सिंग सेक्टर सुधार

अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नर्सिंग सेक्टर सुधार जरूरी हैं। नर्सों की पूरी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए नरसिंह शिक्षा और सेवाओं में ढांचागत परिवर्तन

जरूरी हैं। प्रवेश स्तर पर नर्सिंग पात्रता के मानकीकरण की भी आवश्यकता है। गुणता परक शिक्षा, चिकित्सीय अनुभव और कौशल विकास के माध्यम से नर्सों का सशक्तिकरण समय की आवश्यकता बन गया है।

नीति आयोग देश में नर्सिंग सेक्टर को प्रभावित करने वाले मुद्दों को समझने और उपलब्ध विभिन्न राज्य स्तरीय नर्सिंग काडर ढांचों का अध्ययन करने और देश में नर्सिंग कार्मिकों के लिए एक मानक का डर ढांचा तैयार करने में शामिल है। इस हेतु भारतीय नरसिंह परिषद अधिनियम को पुनः तैयार करना करना भी जरूरी है, क्योंकि नर्स का कार्य करने वालों को व्यवस्था में शामिल किया जाना जरूरी है।

जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों का मूल्यांकन (पीआरसी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम नीतियों से संबंधित इनपुट के आधार पर महत्वपूर्ण अनुसंधान की व्यवस्था करने के अधिदेश के साथ जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ये पी आर सी परिवार नियोजन, जनसांख्यिकीय अनुसंधान और जीव विज्ञान अध्ययन से संबंधित और योजना निर्माण, कार्य नीतियां बनाने और जारी स्कीमों में संशोधन करने की दृष्टि से फीडबैक का सही उपयोग करने की दृष्टि से जनसंख्याा नियंत्रण के ब्लू से संबंधित योजनाएं चलाने के लिए स्थापित की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 'परिवार कल्याण और अन्य कार्यक्रम' नामक अंब्रेला की समीक्षा करते समय यह अधिदेश दिया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को मिलाकर एक समिति बनाई बनाई जाएगी जो स्कीम के वास्तविक परिणाम की जांच करेगी और इसमें सुधार की आवश्यकता, नीति को अपनाने में पड़ने वाले इसके प्रभाव की भी जांच करेगी। समिति ने यह सिफारिश की कि इन केंद्रों का किसी तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह कार्य भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज को यह कार्य सौंपा जिसके बाद कॉलेज ने इन केंद्रों के पुनरुद्धार की सिफारिश की।

चिकित्सा शिक्षा में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, कर्मचारी राज्य बीमा, कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे की भूमिका बढ़ाना

प्रधानमंत्री कार्यालय से चिकित्सा शिक्षा में बढ़ोतरी का अधिदेश प्राप्त होने पर नीति आयोग ने संगठित क्षेत्र के साथ बहुत सी परामर्शी बैठकें की थी। यह निर्णय लिया गया कि इन संस्थाओं को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए।

चिकित्सा संस्थाओं का आयुर्विज्ञान रत्नों के नाम से नामकरण करने के बारे में दिर्शा-निर्देश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निति आयोग से परिभाषित मैट्रिक्स और मानदंड वाले दिशानिर्देश विकसित करने के लिए कहा ताकि राष्ट्रीय महत्ता वाले संस्थानों को तीन स्तरों पर

वर्गीकृत किया जा सके। संबंधित हितधारकों के साथ लगातार परामर्श के बाद एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें तीन स्तरों - आयुर्विज्ञान उन्नत रत्न, आयुर्विज्ञान विशिष्ट रत्न और आयुर्विज्ञान महारत्न में रैंक निर्धारण के लिए विस्तृत ढांचे का प्रस्ताव किया गया था।

नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने में महत्वपूर्ण विमर्श

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विशेष समूह गठित किया जिसमें प्रो. विनोद पॉल (सदस्य [स्वास्थ्य], नीति आयोग और अध्यक्ष), प्रो. बलराम भार्गव (सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) और प्रो. रणदीप गुलेरिया (निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली) शामिल थे। नए एम्स बनाने का उद्देश्य संस्थाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करने के लिए ऐम्स नई दिल्ली जैसे मॉडल संस्थान तैयार करना है जो उच्च स्तरीय स्वास्थ्य पेशेवर शिक्षा, जैव चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार, विशिष्ट चिकित्सा सेवा और जन स्वास्थ्य में वैश्विक उत्कृष्टता लिए हुए हो। नए ऐम्स, ऐम्स अधिनियम के अंतर्गत अपनी ही तरह के संस्थान होंगे और एक दूसरे की नकल नहीं होंगे। प्रत्येक की अपनी अनन्य पहचान होगी जो विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता लिए हुए होगी, जिसमें एक तरफ राज्य और क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताएं होंगी और दूसरी तरफ उन्नत विज्ञान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

व्यवस्था में चिकित्सकों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए दंत चिकित्सकों, नर्सों और बी.एससी (सामुदायिक चिकित्सा) की सेवाएं लेना।

वर्तमान में चिकित्सकों की कमी की ओर ध्यान देने के लिए नीति आयोग की पहल के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए उक्त् पेशेवर सेवाओं से पेशेवरों को लेने के लिए प्रस्ताव की मांग करने का अधिदेश दिया। अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी होने के कारण, समाज को मध्य-स्तर पर सेवा प्रदान करने वाले काडर के सहयोग हेतु यह एक व्यापक प्रस्ताव का एक हिस्सा था। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, को प्राथमिक सेवा केंद्रों में सीमित भूमिका के साथ मुख्यतः स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर प्राथमिक सेवा देने में सक्षम बनाने हेतु छह से आठ माह लम्बी अवधि के 'ब्रिज कोर्स' में प्रशिक्षण देकर सरकारी व्यवस्था में प्राथमिक, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ बनाना है।

चिकित्सा अध्यापक कार्यवृत में वृद्धि का प्रस्ताव: एएफएमएस के सेवानिवृत्त अध्यापकों के पुन:नियोजन की स्कीम (स्रेस्ट)

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को मौजूदा सामान्य वित्तीय नियम के हिसाब से ठेके पर परामर्शदाता रखकर और उन्हें समुचित मुआवजा प्रदान कर, स्रेस्ट का आशय है कि ऐसे व्यक्तियों को वापस सरकारी चिकित्सा सेवा प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रस्ताव को एएफएमएस प्रशासन और विभिन्न राज्यों की चिकित्सा शिक्षा के सचिवों से भी सहयोग मिला है। भारतीय चिकित्सा परिषद में 08 नवंबर, 2019 को आयोजित शिक्षा के प्रधान सचिवों की सभा में भी स्रेस्ट को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था।

एएफएमएस के सेवानिवृत्त चिकित्सा अध्यापकों की लाइव रजिस्ट्री तैयार करना

नीति आयोग के परामर्श से एएफएमएस प्रशासन ने एएफएमएस से सेवानिवृत्त चिकित्सा अध्यापकों की लाइव रजिस्ट्री तैयार की है। इस सूची को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा परिषद और एनवीई के साथ साझा किया गया है।

आदर्श जन स्वास्थ्य और प्रबंधन काडर का विकास करना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्पष्ट कहा गया है कि संगत गैर-स्वास्थ्य मंत्रालयों से प्रतिनिधि के निकाय बनाकर स्वास्थ्य निष्कर्षों का इष्टतम उपयोग करने के लिए इन्टर-सेक्टोरल समन्वय को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक स्वरूप दिया जाए। विनियामक प्रावधान लागू करके स्वास्थ्य संबंधी निर्धारकों पर ध्यान देने के लिए सशक्त जन स्वास्थ्य काडर के लिए यह नीति पूर्वापेक्षा है। मानक जन स्वास्थ्य और प्रबंधन काडर अपनाने और लागू करने के लिए एक ढांचा विकसित करने हेतु नीति आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरे हितधारकों से चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की तेरहवीं बैठक के दौरान इस काडर को तैयार करने को स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार समाधान कर दिया गया था तथा जैसा कि वर्ष 2022 तक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सभी के लिए और सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिदेश है, इसे सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है।

(स्वास्थ्य और पोषण सुधार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भाग ख: नीति और कार्यक्रम ढांचा देखें)

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास वर्टिकल शिक्षा, खेल और युवा मामलों से संबंधित है। वर्टिकल के लाइन मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग) और युवा कार्य और खेल मंत्रालय हैं। हालांकि, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित शिक्षा मानव संसाधन विकास वर्टिकल का विषय-क्षेत्र नहीं हैं। मानव संसाधन विकास वर्टिकल:

1. पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और शिक्षक शिक्षा
2. औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा जिसमें प्रौढ़ साक्षरता भी शामिल है
3. लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष बच्चों के साथ बच्चों के लिए शिक्षा जैसे विशेष ध्यान देने के क्षेत्र; तथा युवा मामले और खेल को कवर करता है।

नीति और शासन के मुद्दों में योगदान

वर्ष 2019-20 के दौरान,अन्य के साथ वर्टिकल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के सदस्य/ सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में समग्र शिक्षा, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन,पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यक्रम की बैठकों में भाग लिया। वर्टिकल के अधिकारियों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान आदि संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

इस वर्टिकल ने वर्ष के दौरान नीतिगत मुद्दों पर कई पहलें कीं जिनमें प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों (जैसे समग्र शिक्षा और अन्य) की प्रगति का विश्लेषण करना शामिल है और प्रधानमंत्री की घरेलू यात्राओं के लिए फोल्डर तैयार करने के उद्देश्य से विद्यालय और उच्च शिक्षा के लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।

जांचे गए/मूल्यांकित प्रस्ताव

वर्ष 2019-20 के दौरान वर्टिकल के स्कूल शिक्षा और साक्षरता, उच्च शिक्षा विभाग (दोनों मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत) और खेल और युवा मामले विभाग (दोनों युवा खेल मामले मंत्रालय के अंतर्गत) की स्कीमों से जुड़े "सैद्धान्तिक" अनुमोदन और एसएफसी, ईएफसी और सीसीईए हेतु अनुमोदन प्रस्तावों और मंत्रिमंडल नोट के मसौदों और मंत्रिमंडल नोट की जांच की।

परियोजना मूल्यांकन

उच्च शिक्षा

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विचार किये गए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल नोट निम्नलिखित हैं

- फाउंड्री एंड फोर्ज राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 में संशोधन करने के लिए मंत्रिमंडल नोट।
- राष्ट्रीय सरकारी सांख्यिकी नीति पर मंत्रिमंडल नोट का मसौदा।

- केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अध्यादेश की घोषणा करने पर मंत्रिमंडल नोट का मसौदा।

- केंद्रीय शैक्षिक परिचय विधेयक, 2018 के शिक्षक काडर में सीधी भर्ती के द्वारा संकाय सदस्य की नियुक्ति में आरक्षण आरम्भ करने संबंधी प्रस्ताव।

- तीन संस्कृत मानित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने संबंधी मंत्रिमंडल नोट।

- संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन दादर और नगर हवेली और दमण और दीव विश्वविद्यालय विनियमन, 2018 की घोषणा।

- पीआईएसए 2020 में स्कूलों के अंतरराष्ट्रीय विधार्थी मूल्यांकन (पीसा) कार्यक्रम में भारत की प्रस्तावित भागीदारी संबंधी मंत्रिमंडल नोट।

- गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संशोधित अनुमानित लागत।
- केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव ।
- अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और पुदुचेरी में छह नए एनआईटी के स्थायी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन के लिए मंत्रिमण्डल नोट का मसौदा।
- गुरुनानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापना व्यय पर एक समिति बनाने के विचार संबंधी प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी की पहल का विस्तार करने सम्बंधी मंत्रिमण्डल नोट का मसौदा।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 और आईआईआईटी अधिनियम, 2014 में संशोधन।

विद्यालय शिक्षा

1. उन 25 जिलों में मौजूदा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव, जो वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में दूसरे जेएनवी की स्थापना करना।
2. जेएनवी में सैनिक स्कूल जैसी सुविधाओं की शुरुआत के लिए एसएफसी ज्ञापन।
3. भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की केंद्र प्रायोजित योजना के पुनर्निर्माण के लिए एसएफसी ज्ञापन।
4. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति वर्ष करने के लिए एसएफसी ज्ञापन।
5. वर्ष 2018-20 से इसकी निरंतरता के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के पुनर्निर्धारित स्वरूप के लिए मसौदा ईएफसी ज्ञापन।
6. वर्ष 2018-19 के दौरान नागरिक/रक्षा क्षेत्र के तहत 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए ईएफसी ज्ञापन।
7. आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के लिए ईएफसी ज्ञापन।
8. अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून, डिब्रूगढ़, रांची और वाराणसी में नवोदय विद्यालय समिति के सात नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए ज्ञापन।
9. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वयस्क शिक्षा पर एक नई योजना तैयार करने के प्रस्ताव पर सीसीईए नोट।

युवा मामले और खेल

भारत की 70% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। राष्ट्र निर्माण में इस युवा शक्ति को लगाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे एशियाई खेलों, दक्षिण एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम खेलो इंडिया है। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान वर्टिकल के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की बैठकों में भाग लिया।

उद्योग

उद्योग वर्टिकल विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को देखता है।

वर्टिकल की मुख्य गतिविधियां यह थीं:

नई पहल: निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई) तैयार करना

वर्टिकल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी निर्यात की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देने के लिए एक निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार कर रहा है। सूचकांक के व्यापक मापदंडों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ईपीआई का उद्देश्य राज्यों के बीच निम्नलिखित के बारे में प्रतिस्पर्धा लाना है:

1. अनुकूल निर्यात - संवर्धन नीतियां लाना
2. नियामक ढांचे को और आसान बनाना
3. निर्यात के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाना
4. निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए कार्यनीतिक सिफारिशों की पहचान करने में मदद करना।

सम्मेलन और महत्वपूर्ण बैठकें

1. ईपीआई को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 24 अक्टूबर, 2019 को हितधारकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई।
2. कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अड़चनों को दूर करना।
3. एक स्थान पर निर्यात डेटा इकट्ठा करना।
4. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के लिए एमएसएमई में तकनीकी कार्यक्रम चलाना ।
5. मिशन मोड में जेडईडी का कार्यान्वयन।
6. डीएमईओ, नीति आयोग के माध्यम से भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल्यांकन।
7. भारतीय तांबा उद्योग पर मुक्त-व्यापार समझौते का प्रभाव।

रिपोर्ट और चर्चा, दृष्टिकोण पत्र

इस क्षेत्र में निम्नलिखित पहल की गईं:

1. विभिन्न ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में एमएसएमई की ऑनबोर्डिंग सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स कैरियर की स्थापना पर व्यवहार्यता अध्ययन के लिए आरएफपी तैयार किया गया।
2. भारत में अंतर मतदान अधिकार (डीवीआर) शेयरों की लिस्टिंग की अनुमति देने के लिए पहल की गई थी। इससे प्रमोटरों को अपनी कंपनी का स्वामित्व खोए बिना पूंजी जुटाने की सुविधा मिलती है। डीवीआर संरचना, कंपनियों को दो वर्गों के शेयर रखने की अनुमति देती है, एक श्रेष्ठ मतदान अधिकार के साथ, जो आमतौर पर संस्थापकों को दिए जाते हैं, और दूसरा आम जनता के लिए सामान्य शेयर। अमेरिका, कनाडा और स्वीडन जैसे कई देश अपनी कंपनियों को डीवीआर संरचना अपनाने और अपने स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग की अनुमति देते हैं।

विचार-विमर्श के बाद, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने अपनी कंपनियों के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए भारतीय कंपनियों के प्रमोटरों को पात्र बनाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के तहत डीवीआर प्रावधानों के साथ शेयरों के मुद्दे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है।

विभिन्न समितियों और विकास परिषदों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व

उद्योग वर्टिकल निम्नलिखित समितियों और विकास परिषदों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

1. एमएसएमई द्वारा गठित की गई सार्वजनिक खरीद नीति पर समीक्षा समिति
2. एमएसई की संचालन समिति: क्लस्टर विकास कार्यक्रम
3. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गठित भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत गठित अधिकार-प्राप्त समिति
4. लोक उद्यम विभाग द्वारा गठित समझौता ज्ञापन संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति
5. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत गठित अधिकार-प्राप्त समिति
6. डीपीआईआईटी द्वारा भारतीय फुट वियर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गठित अधिकार-प्राप्त समिति
7. डीपीआईआईटी द्वारा औद्योगिक अवसंरचना विकास योजना के तहत गठित सर्वोच्च समिति
8. डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया के लिए गठित मॉनिटरिंग समिति
9. वाणिज्य विभाग द्वारा बाजार पहुंच पहल योजना के तहत गठित अधिकार-प्राप्त समिति
10. वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) के तहत गठित अधिकार-प्राप्त समिति

सूचना और प्रसारण

सूचना और प्रसारण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित नीतिगत मुद्दों की जांच और समीक्षा करता है। इस वर्टिकल ने नीचे सूचीबद्ध कैबिनेट नोटों पर टिप्पणियों की जांच की और प्रदान की है:

1. तीन वर्ष के लिए 'ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट' (2017-20) योजना के विस्तार के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के लिए नोट।

2. दूरसंचार विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रसार भारती पर लगाए गए अंतरिक्ष खंड प्रभार और स्पेक्ट्रम शुल्क की पूर्ण छूट के प्रस्ताव के लिए मंत्रिमंडल नोट।

'प्रसारण क्षेत्र को बुनियादी ढांचा' का दर्जा देने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव के समर्थन के लिए इस वर्टिकल ने या दिखाते हुए कि प्रस्तावित घटकों - डायरेक्ट तो होम, हेडेंड-इन-स्काई, मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर, और टेलीपोर्ट्स (अप-लिंकिंग हब) - के लिए बहुत बड़ा निवेश आवश्यक है और यह कि निवेश पर पुनर्भुगतान की अवधि बहुत लंबी है, कहा कि एक संस्थागत तंत्र पर विचार करन चाहिए।

अवसंरचना कनेक्टिविटी

अवसंरचना कनेक्टिविटी (परिवहन) वर्टिकल सड़क और राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और पोत परिवहन, लॉजिस्टिक्स, नागरिक विमानन और शहरी ट्रांजिट सहित प्रमुख परिवहन उप-क्षेत्र परियोजनाओं के मूल्यांकन और समीक्षा को देखता है। वर्टिकल संबंधित लाइन के मंत्रालयों को इनपुट प्रदान करता है तथा लोगों और वस्तुओं का शीघ्रता से आवागमन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन क्षेत्र के निरंतर और समग्र विकास के उद्देश्य से नीति निर्माण और मूल्यांकन करता है।

वर्टिकल द्वारा प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

रेलवे और मेट्रो रेल

रेलवे सुरक्षा कोष के लिए निगरानी समिति

रेलवे सुरक्षा से संबंधित कार्यों की निगरानी के उद्देश्य से, एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ आरआरएस को पांच साल की अवधि के लिए बनाया गया था।

इस समिति के सदस्यों में अतिरिक्त सदस्य, योजना, रेलवे बोर्ड; संयुक्त सचिव, पीएफसी- II, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय शामिल हैं। सलाहकार (अवसंरचना-कनेक्टिविटी) इस समिति के संयोजक हैं। 15 अक्टूबर 2019 को आयोजित एक बैठक में, समिति ने यह पाया कि कोष की स्थापना के बाद ट्रेन दुर्घटनाओं और घातक घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)

यह वर्टिकल दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजनाओं पर हुई प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए, त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनके दौरान परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है। परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उपाध्यक्ष ने नियमित रूप से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और उन्हें लम्बित मुद्दों को सुलझाने और डीएफसी का शीघ्र परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

नीति आयोग ने दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का विस्तृत लागत-लाभ संबंधी विश्लेषण (सीबीए) किया और निष्कर्ष प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किए। सीबीए के हिस्से के रूप में, परियोजना की तुलना अन्य विकल्पों जैसे कि वर्तमान रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और सुदृढ़ बनाने, मेट्रो लाइन विकसित करने और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को लागू करने के साथ की गई थी। यह पाया गया कि आरआरटीएस व्यवहार्य है और लागत, गति, सुविधा सहित सभी मापदंडों पर बेहतर ठहरती है। आरआरटीएस भारत में लागू होने वाली अपनी तरह की प्रथम, रेल-आधारित, उच्च गति वाली क्षेत्रीय-ट्रांजिट प्रणाली है। आरम्भ होने के बाद, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे तेज़, सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित परिवहन प्रणाली होगी। इस परियोजना में बहु-मोडल एकीकरण शामिल है और कॉरिडोर पर माल परिवहन की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने फरवरी, 2019 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी।

मेट्रो रेल परियोजना घटकों का मानकीकरण

नीति आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल प्रणालियों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए घटकों का मानकीकरण आवश्यक है। यह कार्यनीति आयोग द्वारा आवास और शहरी मामले मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ संयुक्त रूप से किया गया था। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारावत ने इनकी बैठकों की अध्यक्षता की। बाद में इस मानकीकरण दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया।

परियोजना मूल्यांकन: रेलवे का विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) ज्ञापन और ईएफसी ज्ञापन

वर्टिकल ने रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया। इन परियोजनाओं में दोहरी लाइन बिछाना, क्षमता वृद्धि, नई लाइनें बिछाना, उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का विकास करना और मानवयुक्त फाटकों को हटाना शामिल है।

कुल 28 परियोजनाओं का विश्लेषण किया गया। कुछ प्रमुख परियोजनाएं यह थीं:

1. मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)
2. बैंगलोर उप नगरीय रेलवे
3. हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे
4. कानपुर रेलवे फ्लाईओवर
5. ऊना और हमीरपुर के बीच नई रेलवे लाइन
6. आनंद-गोधरा लाइन का दोहरीकरण

7. कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना

प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) का मूल्यांकन

वर्टिकल द्वारा कई प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टों (पीपीआर) का विश्लेषण किया गया और परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाने के तरीकों पर विभिन्न सुझाव दिए गए। यह टिप्पणियां आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी गई थी। जांच की गई कुछ परियोजनाओं में दिल्ली-अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, नागपुर में इंटर-मॉडल स्टेशन शामिल हैं।

मेट्रो रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन

वर्टिकल ने मेट्रो रेल परियोजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन भी किया। वर्टिकल ने विशेष रूप से वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता, इंटर-मोडल कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित ट्रांजिट से संबंधित पहलूओं की जांच की। जांच की गई परियोजनाओं में आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और कोच्चि मेट्रो शामिल हैं।

वैल्यू-कैप्चर वित्त (उपाध्यक्षएफ) और ट्रांजिट-उन्मुख विकास (टीओडी)

वर्टिकल ने सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं के लिए वैल्यू-कैप्चर वित्त और ट्रांजिट-उन्मुख विकास पर एक विस्तृत मसौदा नीति ढांचा तैयार किया है। इस नीति ढांचे का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों को आत्मनिर्भरता में सहयोग करने के लिए वैकल्पिक राजस्व जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना और आगामी सार्वजनिक परिवहन परियोजना के रास्ते के साथ-साथ गहन, मिश्रित-उपयोग, मिश्रित-आय वाले पड़ोस के विकास को बढ़ावा देना है। इस तरह की पहल वाहनों में कमी, आर्थिक लाभ और स्थिरता से जुड़ी है।

सड़कें, राजमार्ग और शहरी ट्रांजिट

इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम

अवसंरचना वर्टिकल भारत के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) पॉलिसी फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार कर रहा है।

इस ढांचे में राष्ट्रीय आईटीएस वास्तुकला का निर्माण करना, आईटीएस मानकों का विकास करना, आईटीएस सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश, क्षमता निर्माण के उपाय और संबंधित वित्तीय पहलुओं जैसी प्रमुख विशेषताएं प्रस्तावित हैं। मसौदा नीति वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी परामर्श चरण में है।

सार्वजनिक ट्रांजिट (बस) सेवाओं में सुधार

वर्टिकल पूरे देश में बस ट्रांजिट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कार्य कर रहा है। वर्तमान में, राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) का एकाधिकार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थिरता और यात्रियों की सुलभता को रोक रहा है। यह वर्टिकल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विश्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त रूप से निजी ऑपरेटरों के लिए बस डिपो खोलने, आईटीएस को लागू करने और वृहतर निजी भागीदारी तलाशने सहित सेक्टर में दीर्घकालिक सुधारों की पहचान करने के लिए कार्य कर रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बोर्ड की बैठक

वर्टिकल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की बोर्ड बैठकें आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिनकी अध्यक्षता नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी करते हैं। प्रत्येक बैठक से पहले एनएचएआई द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है और परिवहन वर्टिकल द्वारा इसकी जांच की जाती है और नीति आयोग के सीईओ के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विचारों के बारे में सूचित किया जाता है। इन बैठकों के दौरान परिसंपत्ति मुद्रीकरण, वित्तीय प्रदर्शन, सड़क निर्माण प्रगति और आगे किए जाने वाले उपायों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति (पीएटीएससी)

नीति आयोग का परिवहन वर्टिकल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति (पीएटीएससी) का सदस्य है। पीएटीएससी का उद्देश्य किसी परियोजना को मंजूरी देने से पूर्व परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करना है। पीएटीएससी- मूल्यांकन प्रणाली के एक भाग के रूप में, परिवहन वर्टिकल ने कम से कम 20 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और उन तरीकों के संबंध में विस्तृत टिप्पणी और सुझाव दिए हैं जिनसे इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बढ़ाया जा सके।

प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर)

वर्टिकल ने सड़कों और राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित बहुत सी पीपीआर की भी जांच की है। परियोजना की व्यवहार्यता, स्थिरता और वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पीपीआर की जांच की जाती है और मूल्यांकन के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय को आवश्यक टिप्पणियां भेजी जाती हैं। यह वर्टिकल परियोजनाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता और अंतर-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर देता है। वर्टिकल ने 20 से अधिक ऐसी पीपीआर का मूल्यांकन किया है, जिसमें अन्य के अलावा नागपुर में इंटर-मॉडल स्टेशन, मणिपुर

राज्य की सड़कों का सुधार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाहन उपकरण, उन्नत एकीकृत दुर्घटना प्रबंधन प्रणाली, आदि शामिल हैं।

उत्तर पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)

इस योजना के भाग के रूप में, ऐसे विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीहड़ और कम आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। वर्टिकल परियोजना मूल्यांकन तंत्र के हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से इन योजनाओं को सहयोग करता है क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाने से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

पॉलिसी इनपुट

यह वर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और सुधारों के बारे में नियमित नीति इनपुट और सलाह भी प्रदान करता है। राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, इंटर-मोडल कनेक्टिविटी, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, मध्यस्थता तंत्र, आदि के प्रस्ताव के लिए इनपुट प्रदान किए गए हैं।

पत्तन और पोत परिवहन

भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना

वर्टिकल ने पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) और पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) के साथ भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर बातचीत को सुकर बनाया। इस संबंध में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान यह चर्चा हुई कि भारत को एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत 7500 किमी से अधिक के अपने विशाल तटक्षेत्र, निरभ्र प्राकृतिक क्षेत्र और तटक्षेत्र के आस-पास ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थान होने के बावजूद अभी तक पर्यटन की संभावनाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया है।

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) प्रस्ताव

वर्टिकल द्वारा चार एसएफसी प्रस्तावों की जांच की गई और इसने विस्तृत सुझाव और टिप्पणियां प्रदान की। प्रस्तावों में लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने, प्रिंस डॉक, मुंबई पत्तन न्यास में मरीना का विकास करने सम्बंधी प्रस्ताव, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में स्थल संख्या 3 के मशीनीकरण का प्रस्ताव और मेडिकल कॉलेज और

पीपीपी के आधार पर विस्तार कर सकने के विकल्प के साथ 400-बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए पारादीप पत्तन न्यास का प्रस्ताव शामिल था।

नागर विमानन

हवाई अड्डों का अवसंरचना विकास

प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 3 फरवरी 2017 के आरओडी के अनुसरण में अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डों में किए गए अवसंरचना विकास की निगरानी करता है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तदनुसार, हवाई अड्डों के अवसंरचना विकास की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई और प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी गई।

उड़ान-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के लिए धन का प्रावधान

उड़ान-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत वार्षिक घाटे को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी फ़ंड ट्रस्ट (आरएसीएफटी) को धन प्रदान करने के लिए ईएफसी ज्ञापन की जांच की गई और इनपुट प्रदान किए गए। उड़ान योजना देश के आम नागरिक को सस्ती उड़ान लेने, प्रादेशिक क्षेत्रों को जोड़ने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनछुए मार्गों पर हवाई यात्राओं के संचालन को सक्षम बनाती है। ऐसे कुल 706 मार्गों में से 688 मार्ग शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें से 212 चालू हो गए हैं।

निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन

वर्ष के दौरान, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्टिकल ने नीति आयोग के परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के साथ मिलकर इन प्रस्तावों की जांच की। जांच किए गए प्रस्तावों की संख्या संक्षेप में नीचे दी गई है।

सेक्टर	**मंत्रिमंडल नोट**	**पीआईबी /ईबीआर**	**एसएफसी**	**ईएफसी**	**पीएटीएससी**
सड़क	03	02	8	शून्य	20
रेलवे	04	28	--	---	---
पोतपरिवहन	07	--	04		---
नागर विमानन	02	01	--	01	---

मंत्रिमंडल नोट्स का मूल्यांकन

वर्टिकल को रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पत्तन और पोतपरिवहन और नागर विमानन से संबंधित कुल 16 मंत्रिमंडल नोट प्राप्त हुए थे।

रेलवे से संबंधित चार मंत्रिमंडल नोट, सड़क और राजमार्ग के तीन, पोत परिवहन के सात और विमानन क्षेत्र के दो मंत्रिमण्डल नोट की जांच की गई और विस्तृत इनपुट प्रदान किए गए। इनमें नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की पहचान करने, नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करने, एनएचएआई के टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल, एनएचएआई द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास लागू करने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन समापन नीति और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए एक संस्था बनाने और मुख्य पत्तन प्राधिकरण विधेयक द्वारा मुख्य पत्तनों को और अधिक स्वायत्तता और किराया-निर्धारण शक्तियां प्रदान करने आदि से सम्बंधित नोट शामिल हैं।

बिजली के वाहन

ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एवं बैटरी स्टोरेज नेशनल मिशन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम और मोबिलिटी और भंडारण उद्देश्य के लिए ईवी घटकों और बैट्रियों के लिए कार्यनीति बनाने के लिए मार्च 2019 में स्थापित किया गया था। अब तक लागू नीतिगत पहलों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

1. फेम-II, प्रत्यक्ष राजकोषीय प्रोत्साहन योजना है, जिसे पूरे देश में सार्वजनिक और साझे परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने पर ध्यान देते हुए शुरू किया गया था। ओपेक्स मॉडल के माध्यम से 64 शहरों में लगभग 5595 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। देशभर से 91 आवेदकों से सब्सिडी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में जवाब में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 65 शहरों में 22 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1050 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है।

2. अधिसूचित किए गए ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर दिशानिर्देशों और मानकों के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को डी-लाइसेंस कार्य के रूप में घोषित किया गया है। ईईएसएल ने दिल्ली में 65 चार्जिंग स्टेशन स्थापित के दिए हैं और पूरे देश में 800 और स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। निजी और सार्वजनिक भवनों में ईवी चार्जिंग पॉइंट का प्रावधान करने के लिए आदर्श भवन उप नियमों में संशोधन किया गया है। नीति आयोग ने भारत में गीगा-स्केल बैटरी भंडारण संयंत्रों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की और इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा।

3. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति और वाहन स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबधित विभागों, इस्पात मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इन दोनों नीतियों का आशयचक्रण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, स्क्रैप के उपयोग को बढ़ाना, आयातों पर भारत की निर्भरता को कम करना और सड़कों पर केवल सुरक्षित वाहन आना सुनिश्चित करना है।

4. परिवर्तनकारी गतिशीलता, राष्ट्रीय लक्ष्यों, और केंद्र की इलेक्ट्रिक वाहन पहल आदि पर राज्यों में एक समान समझ विकसित करने के लिए नीति आयोग में एक 'इंडिया मूव्ज टुगेदर' कार्यशाला आयोजित की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 7सी - साझा, जुड़ा हुआ, सुविधाजनक, स्वच्छ, भीड़भाड़ मुक्त, अत्याधुनिक और चार्ज मोबिलिटी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मध्य-प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

5. सरकारी पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्योग ने कई कदम उठाए हैं–टाटा पॉवर ने जूमकार फॉर ईवी फ्लीट के साथ साझेदारी की है, जिसमें 100 से अधिक ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और 250 ई-कारें शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने पुणे में एडवांस पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग टेक सेंटर का उद्घाटन किया। ओला ने 10,000 ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अपने समूह में शामिल करने के लिए 'मिशन इलेक्ट्रिक' लॉन्च किया है। आईसीएटी ने मानेसर में नई परीक्षण और विकास सुविधा सेवा शुरू की है। इस नई सुविधा से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के तकनीकी फायदे सामने लाने में मदद मिलेगी। बजाज ऑटो ने ई-चेतक लॉन्च किया है और माइक्रोमैक्स ने इलेक्ट्रिक बाइक रि-वॉल्ट को शुरु किया है। अहमदाबाद नगर निगम ने हाल ही में बीआरटी कॉरिडोर में इलेक्ट्रिक बसों को शुरु किया जिनमें रोबोट बैटरी स्वैपिंग सुविधा है। स्मार्टे (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक ऑटोरिक्शा एग्रीगेटर) अपने बेड़े में 1000 ई-ऑटो चलाता है। युलू (बाइक-शेयरिंग कंपनी) के पास कई शहरों में बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों के पास 8500 साइकिल और 2500 माइक्रो-लाइट ई2डब्ल्यूएस का एक बेड़ा है। एआरएआई ने 108 ई3डब्ल्यू, 240 ई2डब्ल्यू, 14 इलेक्ट्रिक कारों और सात इलेक्ट्रिक बसों के मॉडल को प्रमाणित किया है।

6. ब्रिटेन में लो-एमिशन व्हीकल (ओएलईवी) के कार्यालय ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के बारे में भारत-यूके नीति संवाद के दौरान इंग्लैंड में ईवी को बढ़ाने में तेजी लाने और शहरों के साथ इसके जुड़ाव संबंधी ओएलईवी की भूमिका और अधिदेश को साझा किया। समाज में ईवी को ऊर्जा ढांचे के रूप में अपनाने के लिए कार्यनीति और ऑटो सेक्टर के संगठित और असंगठित कार्य बलों के लिए कौशल विकास कार्यशालाओं पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग में अगली पीढ़ी/शून्य उत्सर्जन वाहनों के संबंध में वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, जिसका नेतृत्व डॉ. वी.के. सारस्वत ने किया था, भारत में उन्नत रसायन विज्ञान बैटरी के निर्माण के लिए लिथियम संसाधन-सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया का दौरा किया। बैटरी निर्माण में सहयोग देने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कच्चे संसाधन माल के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर और कार्यनीतिक भागीदारी के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा हुई।

7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली अगले शैक्षणिक वर्ष से ईवी में एमटेक कार्यक्रम शुरू करेगी। मिशन ने पाठ्यक्रम तैयार करने में योगदान दिया और संबंधित इनपुट प्रदान किए। इसी तर्ज पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है।

8. मोबिलिटी मिशन ने खराब बैटरी से 95 % महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आदि निकालना सुनिश्चित करने ताकि कच्चे माल की नियमित आपूर्ति की जा सके, इस प्रकार बैटरी पुनर्चक्रण विकसित करने के लिए उद्योग जगत से बात की। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संशोधित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अंतिम रूप दे रहा है।

9. ई-हाईवे पर एक पायलट परियोजना की परिकल्पना की गई थी और भारतीय रेलवे के विशेषज्ञों और एसआईएएम, बीएचईएल, डीएचआई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीआरआरआई और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

10. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने ईवी नीतियां बना ली हैं। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और असम ने ईवी नीतियों का मसौदा तैयार कर लिया है। मिशन द्वारा 40 से अधिक ईवी प्रचार कार्यक्रमों को सहयोग दिया गया और इसकी स्थापना से आज तक लगभग 100 प्रबुद्ध मंडलों, शिक्षाविदों, गैर-लाभकारी संगठनों, उद्योग, स्टार्ट-अप, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थाओं और मीडिया, आदि के साथ हितधारक चर्चा की गई।

भूमि और जल संसाधन

जल संसाधन वर्टिकल जल और भूमि क्षेत्रों में दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। यह राज्यों को जल और भूमि संबंधी जानकारी और कौशल प्रदान करता है, सरकार को कार्यनीतिक नीति विज़न की जानकारी प्रदान करता है और आकस्मिक मुद्दों को देखता है।

उद्देश्य

वर्टिकल का मुख्य ध्यान केंद्र वर्ष 2024 तक जीवनयापन, कृषि और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए जल और भूमि सुरक्षा की सुविधा देना है। इस व्यापक विजन को निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है:

जल संसाधन

क) नागरिकों और पशुधन के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल (पाइप वाला) और स्वच्छता के लिए जल प्रदान करना है।

ख) खेत-पर बेहतर जल-उपयोग क्षमता (प्रति बूंद अधिक फसल) के साथ सभी खेतों (हर खेत को पानी) के लिए सिंचाई की व्यवस्था को देखना।

ग) उद्योगों को पानी प्रदान करना, उद्योगों को पुन: उपयोग्य/साफ किए पानी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और औद्योगिक इकाइयों से गंदे अपशिष्टों का निकास नहीं होने देना।

घ) सीमित भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक संपोषण सुनिश्चित करना।

ड.) किसानों/उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पानी के बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव करना।

च) जल क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने की सुविधा के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

छ) पानी की कमी वाले उन कृषि जिलों को पानी उपलब्ध कराना जो वर्षा परआधारित हैं और जिन्हें सिंचाई वाले क्षेत्रों से दो गुणा, सिंचाई संबंधी दिक्कतों का अत्यधिक अनुभव करना पड़ता है।

ज) सिंचाई परियोजनाओं की निर्मित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतराल को पूरा करना।

झ) नदी घाटियों के समेकित विकास के लिए नदियों के संरक्षण को बढ़ावा देना और लुप्त हो रही नदियों की सुरक्षा करना।

ण) देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की घटती गुणवत्ता की जाँच करना।

भूमि संसाधन

क) संभावित भूमि से निर्णायक भूमि में परिवर्तन

ख) दक्षता और साम्यता बढ़ाने के लिए किसानों के खंडित भूखंडों को समेकित करना

ग) एक डिजीटल और एकीकृत भूमि अभिलेख प्रणाली तैयार करना जिसे सभी राज्यों में आसानी से देखा जा सके।

घ) भूमि प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना

ड.) बंजर और परती भूमि को उत्पादक बनाना

जल संसाधन की उपलब्धियां

यह वर्टिकल देश में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, कार्य नीतियां विकसित करने और कार्यक्रमों के मूल्यांकन का कार्य करता है। महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की संकल्पना केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी कृषि खेतों के लिए सही सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करने के विज़न से की गई थी, और इस प्रकार वांछित ग्रामीण समृद्धि लाना। इसके चार घटक हैं:

1. राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित प्रमुख और मध्यम सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

2. *हर खेत को पानी*, जिसमें कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्य, सतह लघु सिंचाई, भूजल के माध्यम से सिंचाई करना और जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और उनका जीर्णोद्धार करना शामिल है।

3. छोटी सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल

4. वर्षा जल संचयन के लिए जलसंभर विकास, बह जाने वाले जल का प्रभावी प्रबंधन, मिट्टी के कटाव को रोकना, प्राकृतिक वनस्पतियों को पुनः लगाना और भूजल भंडार का पुनर्भरण।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना परिषद की चौथी बैठक 14 फरवरी 2018 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्णय लिए गए ताकि *हर खेत को पानी* का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास (आरडी) मंत्रालय और गंगा संरक्षण (जीआर) मंत्रालय ने सूचित किया है कि पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 93 परियोजनाओं का एआईबीपी कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाएगा और केवल 13 प्राथमिकता वाली परियोजनाएं लक्ष्य तिथि अर्थात दिसंबर 2019 तक पूरी नहीं हो पाएंगी। मार्च, 2020 के

बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जारी रखने संबंधी ईएफसी ज्ञापन की जांच की गई और संबंधित टिप्पणियां मंत्रालय के साथ साझा की गईं।

उत्तर-पूर्व जल संसाधन प्रबंधन समिति

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने जल विद्युत, अंतर्देशीय परिवहन, सिंचाई और पेय जल सहित क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के समानांतर एक नई इकाई - उत्तर पूर्वी जल प्रबंधन प्राधिकरण (एनईडब्ल्यूएमए) स्थापित करने की सिफारिश की है। उत्तर-पूर्वी भारत में जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए तत्काल उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उच्च-स्तरीय समिति की मसौदा रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और राज्यों को उनके विचार और सुझाव देने के लिए भेज दी गई है। उत्तर-पूर्व में संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए उच्च-स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है और राज्यों को भेज दी गई है। एनईडब्ल्यूएमए का गठन कार्य चल रहा है।

रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर सिंचाई प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

वर्टिकल की पहल पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में 3 मई, 2019 को विश्व बैंक और खाद्य कृषि संगठन के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला की चर्चाओं के आधार पर सचिव, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक दिनांक 9 अगस्त, 2019 को हुई थी। यह निर्णय लिया गया है कि विश्व बैंक भारत में चयनित परियोजनाओं के प्रदर्शन के आकलन में तकनीकी सहायता करेगा।

5वीं शासी परिषद की बैठक का कार्यक्रम तैयार करना

वर्टिकल द्वारा माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 15 जून, 2019 को आयोजित शासी परिषद की पांचवीं बैठक के लिए कार्यक्रम मद # 1, अर्थात, वर्षा जल संचयन, के लिए ब्रीफ तैयार किया गया था।

निर्णय सहायता प्रणाली/एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली

दिनांक 21 मई, 2019 को सचिवों की समिति के समक्ष 'गर्मी और मानसून ऋतु: जल संकट से निपटने के उपाय' से संबंधित एक पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया था, जिसमें डीएसएस को वास्तविक समय-जल से संबंधित आंकड़ों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने के लिए *निर्णय सहायता प्रणाली* प्रस्तावित की गई थी। वर्टिकल अब डीएसएस को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ काम कर रहा है।

भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिए कार्यनीति

प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेश पर, वर्टिकल ने 'भारत में बाढ़ प्रबंधन' पर कार्यनीति पत्र तैयार किया, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्णय लिया गया कि अगले तीन वर्षों के लिए बाढ़ प्रबंधन की कार्यनीति की अगुवाई नीति आयोग में गठित समूह द्वारा की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यमुना नदी प्राधिकरण (एनसीटीवाईआरए)

वर्टिकल ने 'दिल्ली में यमुना नदी की गंदगी हटाने के लिए सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के आकलन के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन' हेतु विचारणीय विषय के साथ एनसीटीवाईआरए के लक्ष्यों और उद्देश्यों, कार्यों और संरचना का मसौदा तैयार किया और इसे उपाध्यक्ष के कार्यालय भेजा।

जिला सिंचाई योजनाओं (डीआईपी) की मॉनिटरी के लिए दौरे

प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेश पर, वर्टिकल के 'सी' और 'डी' वैज्ञानिकों ने डीआईपी के कार्यान्वयन की मॉनिटरी के लिए दस जिलों का दौरा किया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के बारह संयुक्त निरीक्षण

वर्टिकल के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उन 13 में से 12 परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिनकी दिसंबर 2019 के बाद पूरा होने की संभावना है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन के लिए परामर्शदाता का चयन (सीएसएस)

डीएमईओ के अनुरोध पर, वर्टिकल ने जल क्षेत्र की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन के लिए विचारणीय विषयों का मसौदा तैयार किया। इसके अलावा, वर्टिकल ने परामर्शदाता चयन और अंतिम वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब, वर्टिकल मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में डीएमईओ की सहायता कर रहा है।

जल शक्ति अभियान के तहत यात्रा

जल शक्ति अभियान के एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी की हैसियत से वर्टिकल के सलाहकार ने तेलंगाना के यादाद्री-भोंगिरी जिले का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) की जांच:

वर्टिकल ने एसबीएम-जी के ईएफसी नोट और जेजेएम संबंधी मंत्रिमंडल नोट की जांच की और संबंधित टिप्पणियों के बारे में जल शक्ति मंत्रालय को सूचित किया।

भूमि संसाधन की उपलब्धियां :

नीति आयोग के भूमि संसाधन वर्टिकल का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध प्रकार के उपयोग हेतु भूमि का दक्षतापूर्ण आबंटन, सम्पत्ति एवं स्वामित्व के अधिकारों का सुरक्षित प्रावधान तथा भूमि संबंधी कार्यकलाप, भूमि को पट्टे पर देने और भूमि की बिक्री से जुड़े विनियमों के स्पष्ट और सुसंगत होने के जरिए भूमि मार्किट निर्बाध ढंग से कार्य करती रहे । वर्टिकल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

भूमि अभिलेख प्रबंधन और निर्णायक भूमि स्वामित्व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के निदेशानुसार, "भारत में भूमि अभिलेखों का प्रबंधन" पर कार्य करने के लिए एक समूह गठित किया गया था।

(क) समूह के एक घटक के रूप में, वर्टिकल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें भूमि अभिलेख प्रबंधन के कुछ पक्षों से निपटने के लिए सिफारिशों सहित उपाय सुझाए गए।

(ख) विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का अध्ययन और संकलन किया गया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के अर्धशासकीय पत्रों के संलग्नक के रूप में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा ताकि निर्णायक भूमि स्वामित्व की दिशा में आगे बढा जा सके।

निर्णायक भूमि स्वामित्व के लिए आदर्श अधिनियम और नियमावली

कैबिनेट सचिव की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, निर्णायक भूमि स्वामित्व के लिए आदर्श अधिनियम और नियमावली का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति की कई बैठकें हुई, जिनमें व्यापक विचार-विमर्श किया गया और इस संबंध में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों को ध्यान में रखकर निर्णायक भूमि स्वामित्व पर एक आदर्श अधिनियम और नियमावली को अंतिम रूप दिया गया ।

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र नीति आयोग के समस्त स्टाफ के लिए व्यापक पैमाने पर पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्टें इत्यादि उपलब्ध कराता है । अन्य विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विद्वानों को भी इन-हाउस परामर्श की सुविधा दी गई।

पुस्तकालय में 1.75 लाख से अधिक पुस्तकें, रिपोर्टें, बाउंड वॉल्यूम और दृश्य-श्रव्य मदें शामिल हैं। पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में 156 जर्नल और पत्रिकाएं तथा समाचार-पत्र हैं। पुस्तकालय ने वर्तमान में निम्नलिखित डेटाबेसों की सदस्यता ले रखी है:

डेटाबेस	डेटाबेस	ऑनलाइन पत्रिकाएं	ऑनलाइन जर्नल
ब्लूमबर्ग सीईआईसी सीएमआईई आईएमएफ ई-लाइब्रेरी इंडिया स्टैट	जे-गेट जे-स्टोर मनुपत्र प्रेस रीडर विश्व बैंक ई-लाइब्रेरी sरीडर	इकोनोमिस्ट ईपीडब्ल्यू फाइनेंशियल टाइम्स	फॉरन अफेयर्स एचबीआर वॉल स्ट्रीट जर्नल

पुस्तकालय के सदस्यों को पत्रिकाओं के ऑनलाइन उपयोग की सुविधा दी जाती है। पुस्तकालय कोहा सॉफ्टवेयर की मदद से पूरी तरह स्वचालित है। पृष्ठ नीचे दिया गया है:

पुस्तकालय निम्नलिखित प्रकाशनों को प्रकाशित करता है :

1. डेली डाइजेस्ट, भाग क और ख

   क) भाग क में नीति आयोग से संबंधित समाचार होते हैं ।

   ख) भाग ख में विविध विषयों पर विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित लेख, संपादकीय, टिप्पणियां और विश्लेषणों की जानकारी शामिल होती है ।

2. साप्ताहिक बुलेटिन: पुस्तकालय निम्नलिखित छह वर्टिकलों के लिए साप्ताहिक बुलेटिन संकलित करता है :

क. ऊर्जा
ख. स्वास्थ्य और पोषण
ग. अवसंरचना
घ. ग्रामीण विकास
ङ. कृषि
च. एससी एंड डीपी

3. बुक अलर्ट (मासिक) : इसमें पुस्तकालय में खरीदी गई नई पुस्तकों के मुख पृष्ठ की तस्वीर और एक संक्षिप्त सार शामिल होता है ।

4. डॉकप्लान (मासिक) में पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं से लिए गए उन लेखों का सार दिया जाता है जो नीति आयोग द्वारा देखे जा रहे प्रमुख विषयों से संबंधित होते हैं ।

5. हाल ही में जोड़ी गई पुस्तकों की सूची(मासिक): इसमें उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय में जोड़ी गई अथवा प्राप्त पुस्तकों / दस्तावेजों के ग्रंथ सूची संबंधी विवरणों की परिवर्धन सूची शामिल है ।

6. विषय-सूची (मासिक) : इसमें पुस्तकालय में मंगाई जाने वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के शीर्षक निहित होते हैं ।

1 जनवरी से 30 नवबंर 2019 की अवधि के दौरान 938 पुस्तकों को संग्रह में जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 156 पत्र/पत्रिकाएं तथा समाचार-पत्र पुस्तकालय में प्राप्त हुए। पुस्तकालय ने लगभग 4200 संदर्भ प्रश्नों का भी जवाब दिया तथा उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा किया। परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए लगभग 3022 पाठक पुस्तकालय में आए।

शहरीकरण प्रबंधन

नीति आयोग का शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर शहरीकरण से संबंधित विषय पर काम करता है। यह वर्टिकल विभिन्न स्टेकहोल्डरों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ज्ञान केन्द्रों/संस्थानों, थिंक टैंक, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करता है और जानकारी साझा करने हेतु कार्यशालाओं, बैठकों आदि के माध्यम से संवाद शुरू करने के लिए विभिन्न उप-क्षेत्रों में सहयोग करता है। इसके अलावा, वर्टिकल राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चलाए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की भी जांच करता है जो कि भारत सरकार से निधियन और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए होते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यकलाप/कार्य निम्नानुसार हैं :

नीति आयोग-एससीई शहरी प्रबंधन कार्यक्रम (जल पुनर्चक्रण और पुनरोपयोग) का दूसरा चरण

नीति आयोग ने सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज (एससीई) और टेमासेक फाउंडेशन के साथ मिलकर शहरी प्रबंधन कार्यक्रम (जल पुनर्चक्रण और पुनरोपयोग) के दूसरे चरण का आयोजन किया, जिसे नई दिल्ली में 26 नवंबर, 2018 को लॉन्च किया गया। इसके लिए आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी - को एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था।

इस सहयोग के तहत, नई दिल्ली में क्रमशः नवंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जबकि तीसरी कार्यशाला में 24 से 27 जून, 2019 तक सिंगापुर के लिए चार दिवसीय क्षेत्र दौरा था। जल पुनर्चक्रण के लिए परियोजना कार्यान्वयन हेतु वितरण विकल्पों और मॉडल दस्तावेजों को तैयार करने के संबंध में अंतिम कार्यशाला 5 से 7 नवंबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम के तहत, आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 12 प्रायोगिक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड की 'बेल्लारी में 15 एमएलडी क्षमता वाली जल पुनर्चक्रण और पुनरोपयोग परियोजना' सर्वोत्तम प्रस्ताव के रूप में उभरकर सामने आई और इसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में चुना गया। सिंगापुर के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाओं के दौरान अन्य शहरों को भी ऑनलाइन परामर्श और सलाह दी गई ताकि उन शहरों की परियोजनाओं को भी प्रायोगिक परियोजना के रूप में विकसित किया जा सके। बेल्लारी परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है तथा मॉडल परियोजना दस्तावेज तैयार किया जा रहा है और इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचालित किया जाएगा।

शहरी प्रबंधन कार्यक्रम के पहले चरण पर अनुवर्ती कार्रवाई और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार किए गए चार ढांचागत दस्तावेजों का प्रचालन :

क) जल के पुनर्चक्रण के लिए रणनीतिक आधारभूत ढांचा
ख) एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ढांचा

ग) आधारभूत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) ढांचा
घ) एकीकृत शहरी डेटा ढांचा

जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल उन्नयन की आवश्यकता से संबंधित माननीय प्रधान मंत्री के निदेशों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

कार्यशालाएं, परामर्श, सम्मेलन

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) के मूल्यांकन के लिए विचारार्थ मदें तैयार करने हेतु परामर्श।
2. 'मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन' पर बहु-हितधारक परामर्शों का आयोजन'। इस विषय पर एक दस्तावेज तैयार किया गया है।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में 'हमारे शहरों की सफाई' विषय पर एक उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव; दिल्ली के 3 नगर निगमों के नगर निगम आयुक्तों; अध्यक्ष, एनडीएमसी; अध्यक्ष, सीपीसीबी; सीईओ, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड; आईओसीएल, एनटीपीसी, शेल इंडिया आदि ने भाग लिया।
4. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और उसके अधिकारियों के साथ 'हमारे शहरों की सफाई' पर अनुवर्ती बैठकें। दिल्ली के नगरपालिका वार्डों की रैंकिंग के लिए अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान के साथ वार्ड स्वच्छता सूचकांक की अवधारणा और प्रारूपण पर बैठक।
5. विभिन्न हितधारकों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर परामर्श और चर्चा के कई दौर आयोजित किए गए और इस विषय पर दस्तावेज तैयार किया गया।
6. 'आवासीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि पर इसके प्रभाव' पर बहु-हितधारक चर्चाओं का आयोजन। आवास क्षेत्र पर एक दस्तावेज तैयार किया गया है।
7. नीति विजन दस्तावेज 2035 के लिए 'शहरीकरण' पर वर्किंग पेपर/चैप्टर हेतु शहरी विशेषज्ञों के साथ नियमित बैठकें।

ग. एसएफसी/ईएफसी/ईएपी/मेट्रो रेल और अन्य परियोजना प्रस्तावों के लिए पृष्ठभूमि नोट/ मूल्यांकन/जांच

1. आगरा, कानपुर और दिल्ली मेट्रो (चरण- IV, निधीयन ढांचे में संशोधन) और पटना मेट्रो के प्रारंभिक प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं।
2. चरण-2, 2 ए और 2 बी के लिए जेआईसीए ऋण का लाभ उठाने हेतु बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना की जांच की गई और 2 अगस्त, 2019 को टिप्पणियां प्रस्तुत की गई।
3. चेन्नै मेट्रो रेल परियोजना चरण- II: ऋण का लाभ उठाने हेतु संशोधित प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट अग्रेषित की गई, प्रस्ताव की जांच की गई और अंतिम टिप्पणियां भेजी गई।
4. कोच्चि मेट्रो: चरण 1 ए और गैर-मोटर चालित परिवहन प्रस्ताव की जांच की गई और टिप्पणियों को क्रमशः 29 अगस्त, 2019 और 15 अक्टूबर, 2019 को भेजा गया।
5. मुंबई मेट्रो रेल की विभिन्न लाइनों के आठ परियोजना प्रस्तावों की जांच की गई और 19 अगस्त, 2019 को टिप्पणियां भेजी गई ।
6. हिमाचल प्रदेश के छह शहरों को शहरी जल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव की जांच की गई और 20 जून, 2019 को टिप्पणियां भेजी गई ।
7. बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम 2 (बीयूडीआईपी 2) के स्थायी जल आपूर्ति और सीवरेज बुनियादी ढांचे के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्ताव की जांच की गई और 20 अगस्त 2019 को टिप्पणियां भेजी गई ।
8. ऋषिकेश, सोलह कस्बों में एकीकृत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और उत्तराखंड के चरण- II (गंगा संरक्षण), गंगा राज्यों में पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास के तहत चयनित शहरों/क्षेत्रों में सीवरेज स्कीम के प्रस्ताव की जांच की गई और क्रमशः 24 अक्टूबर, 2019, 26 अगस्त, 2019 और 24 अक्टूबर, 2019 को टिप्पणियां भेजी गईं।
9. त्रिपुरा के सात जिला मुख्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रस्ताव की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं।
10. असम शहरी अवसंरचना कार्यक्रम II के प्रस्ताव की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं।
11. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का समुद्री कूड़े से निपटने का प्रस्ताव : स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणालियों के माध्यम से समुद्री कूड़े को रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले शहरों और तटीय शहरों/कस्बों में इसके पनपने के स्रोत पर संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के प्रस्ताव की जांच की गई और 8 अगस्त, 2019 को टिप्पणियां भेजी गईं।

12. ग्रेटर चेन्नै और इसके पेरी-अर्बन क्षेत्र कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों तथा अन्य तटीय जिलों के संभावित शहरी भागों हेतु व्यापक बाढ़ शमन परियोजना के लिए तमिलनाडु राज्य के प्रस्ताव की जांच की गई और 17 सितंबर, 2019 को टिप्पणियां भेजी गई ।
13. दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या गिरवी / स्थानांतरण अधिकार देने / मान्यता देने के लिए विनियम बनाने से संबंधित प्रस्ताव की जांच की गई और 3 सितंबर, 2019 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं।
14. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के अनुमोदन हेतु मंत्रिमंडल मसौदा नोट की जांच की गई और 13 सितंबर, 2019 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गई ।
15. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान के कार्यान्वयन और रखरखाव (शुरू होने के बाद पांच साल के लिए) से संबंधित मसौदा डीआईबी ज्ञापन की जांच की गई और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गई ।
16. उत्तराखंड सरकार के देहरादून और मसूरी में सर्वोत्तम परिवहन (सड़क और सार्वजनिक परिवहन) ढांचे को विकसित करने से संबंधित प्रस्ताव की जांच की गई और पीपीपीआर पोर्टल पर टिप्पणियां अपलोड की गई ।

खनिज पदार्थ

खनिज वर्टिकल खानों और खनिजों के क्षेत्र के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग खनिज क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

2. खनिज वर्टिकल का उद्देश्य (क) खनिजों की अधिक खोज और निष्कर्षण (ख) सभी उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए कच्चे माल की सुरक्षा (ग) रेयर अर्थ और प्रौद्योगिकी खनिजों पर ध्यान केंद्रित करने (घ) आम जन, लाभ और हमारी पृथ्वी को शामिल करते हुए समग्र सततता

सुनिश्चित करने और (ड.) अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और (च) समग्र खनिज आयात और निर्यात में कमी करने के लिए इस क्षेत्र में नीति तैयार करना है।

3. वर्टिकल का उद्देश्य (क) इस क्षेत्र में जोखिमों/चुनौतियों की पहचान करने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग (ख) इन जोखिमों/चुनौतियों को दूर करने के लिए शमन रणनीति विकसित करने और (ग) इन रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए लाइन मंत्रालय/संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिए उक्त विजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है।

4. क्षेत्र के विकास को बाधित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए खानों और खनिजों के क्षेत्रों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, उद्योग और उद्योग निकायों के साथ व्यापक हितधारक परामर्श किया। खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। समिति ने अन्वेषण और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और निर्यात में तेजी से वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों पर विशिष्ट सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

5. खनिज विभाग ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), व्यय वित्त समिति (ईएफसी), और स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जांच की और नीतिगत इनपुट प्रदान की ताकि प्रस्तावों को मजबूत किया जा सके और उन्हें और अधिक परिणाम मिल सके।

6. रेयर अर्थ (आरई) विभिन्न सामरिक क्षेत्रों जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, तेल, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। भारत में रेयर महत्वपूर्ण अर्थ प्राथमिक और माध्यमिक संसाधन हैं। देश इन संसाधनों के आयात पर निर्भर करता है और 1950 के दशक से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। आरई में आत्मनिर्भरता हमारे रणनीतिक क्षेत्रों, उभरते गैर-पारंपरिक ऊर्जा मिशन और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

उपरोक्त के मद्देनजर, नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति तैयार करने और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के समाधान और घरेलू और वैश्विक संसाधनों की उपलब्धता का

दोहन करने के लिए एक रोड मैप विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

7. कचरे से कमाई औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम करने हेतु महत्वपूर्ण है। 'अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (डब्ल्यूईईई) 'दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अपशिष्ट स्ट्रीम है और एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती भी है। डब्ल्यूईई का पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए और अधिकांश पुनर्नवीनीकरण सामग्री के पुन: उपयोग द्वारा परिपत्र अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है ।

रीसाइक्लिंग के मुद्दों के समाधान के लिए नीति दृष्टिकोण और विजन डॉक्यूमेंट प्राप्त करने हेतु खनिज वर्टिकल द्वारा डॉ. यू कामची मुदाली, सीईओ, हैवी वाटर बोर्ड की अध्यक्षता में 'ई-कचरे के सुदृढ़ीकरण पर एक समिति' का गठन किया गया था। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, डॉ. वीके सारस्वत, माननीय सदस्य, नीति आयोग द्वारा त्रिशूर, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सी-मेट) में, 12 सितंबर 2019 को रिपोर्ट जारी की गई थी। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है।

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (एनआरई) वर्टिकल का पर्यावरण और वन प्रभाग, वनों के संधारणीय प्रबंधन; वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा तथा स्वच्छ, हरे-भरे और स्वस्थ वातावरण के रखरखाव के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यनीतियों को विकसित करने के कार्य में संलग्न है। यह प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के साथ कार्यकलापों का समन्वय करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप किए गए :

'स्वच्छ हवा बेहतर जीवन' पहल

देश में स्वच्छ, हरित और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने के कार्य को नीति आयोग में उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। नीति आयोग वायु

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 5 जून, 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, नीति आयोग और सीआईआई ने देश में वायु प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से अपनी संयुक्त पहल ''स्वच्छ हवा बेहतर जीवन'' की पहली बैठक आयोजित की ।

इसके बाद, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ उद्योग और बायोमास प्रबंधन के लिए उपयुक्त अंत:क्षेपों की सिफारिश करने के लिए सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग में चार कार्यदलों का गठन किया गया था। सभी रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये रिपोर्टें अब सार्वजनिक हैं और नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

मंत्रिमंडल नोट का मूल्यांकन

'लक्कादिव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप भूमि राजस्व और किरायेदारी विनियम, 1965' में संशोधन के प्रस्ताव के बारे में मंत्रिमंडल मसौदा नोट की जांच की गई और उस पर टिप्पणी की गई ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे गए प्रस्तावों की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं। प्रस्ताव निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :

- वन और वन्यजीव क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिए नीति ।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में सालिम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृति विज्ञान केंद्र का उन्नयन ।
- भारत सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम के बीच मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर ।
- संसद के एक अधिनियम के माध्यम से, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करना।
- जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन।
- स्वैच्छिक भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य और राष्ट्रीय भूमि क्षरण तटस्थता रणनीति अपनाने की स्वीकृति ।
- भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रांस-बाउंडरी एलिफेंट कंजर्वेशन पर 'प्रोटोकॉल की स्वीकृति'।
- अवक्रमित वनों के वन-रोपण में सार्वजनिक भागीदारी के लिए संशोधित दिशानिर्देश।
- ईएफसी/एसएफसी के लिए ज्ञापनों का मूल्यांकन ।

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत "काकरापार बैराज से ओएनजीसी ब्रिज, सूरत, गुजरात तक 85 किलोमीटर स्ट्रेच पर ताप्ती नदी का प्रदूषण उपशमन और संरक्षण" पर परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ईएफसी हेतु ड्राफ्ट नोट की जांच की गई और नीति आयोग के पीएएमडी प्रभाग को टिप्पणियों से अवगत कराया गया।

परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन

इसके अलावा, निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गई और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :

- भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (एक्यूएम) कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता पर प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। परियोजना चयनित राज्यों/शहरों में समय-बद्ध, प्राथमिकता आधारित एक्यूएम राज्य/शहर कार्य योजनाएं और निवेश योजनाएं विकसित करने; (ii) एक्यूएम योजना के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संबंधित संस्थानों की क्षमता को सुदृढ करना; (iii) एक्यूएम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी को गहन और प्रसारित करने में सहायता करेगी।

- मेघालय में असुरक्षित जलागम क्षेत्रों के संरक्षण के लिए लगभग 345 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। परियोजना का उद्देश्य जलागम क्षेत्र के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से जल की उपलब्धता और सुरक्षा में सुधार करना है।
- ''पश्चिम बंगाल वन और जैव विविधता संरक्षण परियोजना चरण II'' के लिए 650 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। परियोजना का समग्र उद्देश्य व्यापक विकास के लिए लोगों की भागीदारी के माध्यम से पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और व्यवस्थित संवर्द्धन है।
- तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरियाली परियोजना चरण II के लिए 1833.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र और प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करके जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ करना और अभिलेखित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण करना भी है ।

- सतत और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन (एसईआईपी) चरण- II के लिए लगभग 17.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक अपशिष्ट जल के कारण होने वाले जल प्रदूषण का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार की चुनिंदा सार्वजनिक एजेंसियों की रणनीतिक और प्रचालन शासन संरचनाओं को मजबूत करना है।
- केएफडब्ल्यू मृदा परियोजना- मृदा की गुणवत्ता में कमी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (चरण- III) की पुन: प्राप्ति के लिए एकीकृत वाटरशेड विकसित करने के लिए 190.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (पीपीआईआरडी-10410) के साथ प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करना और मिट्टी और पानी के स्थिरीकरण, वृद्धि और स्थायी उपयोग के माध्यम से चयनित वाटरशेड में उत्पादकता में वृद्धि करना है।
- पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए 31.44 करोड़ रुपये (पीपीआईआरडी -10316) की अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। परियोजना का समग्र उद्देश्य समुद्री कूड़े के भौतिक चक्रों को बंद करने के लिए नदी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना है। यह नागरिक समाज, सार्वजनिक और निजी भागीदारों के सहयोग से संसाधन दक्ष और परिचालित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
- हिमाचल प्रदेश में आजीविका की सुरक्षा हेतु जल सुरक्षा के लिए अनुकूल वन प्रबंधन के लिए 45 करोड़ रुपये (पीपीआईआरडी -10491) की अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक परियोजना का प्रस्ताव। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में सुधार करना है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

भारत में आर्थिक वृद्धि और वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट की जांच की गई और टिप्पणियों के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग को सूचित किया गया।

राजभाषा प्रभाग (हिंदी अनुभाग)

वर्ष के दौरान हिंदी अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक

कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रयास करता रहा।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई और सम्बद्ध कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने विभिन्न दस्तावेजों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान मांगें, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडलीय नोट, सीसीईए नोट,संसदीय प्रश्नोत्तर, अधिसूचनाओं, समझौता ज्ञापन, प्रपत्रों एवं मसौदों, पत्रों आदि का अनुवाद किया।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य आदेशों/अनुदेशों को आयोग के सभी अनुभागों तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों को सूचनार्थ अग्रेषित किया गया और इनके अनुपालन के लिए निदेश जारी किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

नीति आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) सलाहकार (रा.भा.) की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उचित सुझावों और उपायों की सिफारिश करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और नीति आयोग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए।

हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना

हिंदी में टिप्पण/आलेखन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन योजना को जारी रखा गया। इस स्कीम के तहत 5,000/- रुपए (प्रत्येक) के दो प्रथम पुरस्कार, 3,000/- रुपए

(प्रत्येक) के तीन द्वितीय पुरस्कार तथा 2,000 रुपए (प्रत्येक) के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

हिंदी में डिक्टेशन हेतु नकद पुरस्कार योजना

अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने की एक प्रोत्साहन योजना लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत 5,000/- रुपए (प्रत्येक) के दो पुरस्कार (एक हिंदीभाषी स्टाफ के लिए और दूसरा हिंदीतरभाषी के लिए) दिए जाने का प्रावधान है।

हिंदी पखवाड़ा

01 से 15 सितम्बर, 2019 तक मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जैसे-हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण, हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पण/आलेखन, आशुभाषण तथा राजभाषा ज्ञान। आयोग के मल्टीटास्किंग कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

हिंदी कार्यशाला

वर्ष के दौरान नीति आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 09 और 13 सितम्बर, 2019 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में कुल 16 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण

वर्ष के दौरान नीति आयोग के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण की दृष्टि से सात प्रभागों, अनुभागों और वर्टिकलों का निरीक्षण किया गया।

संगठन पद्धति एवं समन्वय (ओएमएंडसी) अनुभाग

इस अनुभाग ने जनवरी, 2018 से केन्द्रीकृत लोक शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से लोक शिकायतों के निपटान की ऑनलाइन प्रणाली को अपनाया है। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त 916 लोक शिकायत याचिकाओं में से 15 नवंबर, 2019 तक 905 का निवारण किया गया, जिसको देखते हिए निपटान दर 98% से अधिक है। औसत निपटान समय 13 दिन है।

वर्टिकल द्वारा 21 जून, 2019 को चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। हमारे कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति आयोग में 17 से 20 जून, 2019 तक योग, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेष सत्रों का आयोजन किया गया।

ओएमएंडसी ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में टाउनहॉल बैठकों के साथ-साथ 29 जून, 2019 को 'सहज योग ध्यान सत्र' का भी आयोजन किया।

नीति आयोग के नागरिक चार्टर को 12 सितंबर, 2019 को अंतिम रूप दिया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 30 अक्तूबर, 2019 को उपाध्यक्ष ने शपथ दिलाई।

ओएमएंडसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन से संबंधित कार्य भी देखता है।

ओएमएंडसी अनुभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ नीति आयोग के उन कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए, जिनके निवास क्षेत्र में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट (एएमए) के रूप में नियुक्त करने संबंधी मामलों को भी देखता है ।

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

नीति आयोग में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों/स्कीमों/ परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है जिसे पीएएमडी (परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग) वर्टिकल द्वारा किया जाता है । पीएएमडी को निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व सौंपा गया है :

i. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित करना और फॉर्मेट विकसित करना;
ii. परियोजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सहायक अनुसंधान अध्ययन करना;

iii. सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करना; तथा

iv. परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रक्रियाएं स्थापित करने में केंद्रीय मंत्रालयों की सहायता करना ।

मूल्यांकन कार्य

पीएएमडी वर्टिकल सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) तथा सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सीपीआईबी) से संबंधित 500 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करता है । यह प्रभाग रेल मंत्रालय के 500 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाले प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है जिन पर रेलवे के विस्तारित मंडल (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाता है। लागत और समय को बढ़ाने वाले कारकों और व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रभाग द्वारा संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया जाता है।

पीएएमडी द्वारा किए गए मूल्यांकनों की संख्या

वर्ष 2019-20 (30 सितम्बर,2019 तक) के दौरान, ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों पर कुल 71 मूल्यांकन नोट जारी किए गए हैं जिनमें **9524595.32** करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। अप्रैल से नवंबर, 2019 तक मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रीय वितरण नीचे तालिका में दिया गया है -

अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 के दौरान मूल्यांकित क्षेत्रक समूह-वार परियोजनाएं

पीएएमडी वर्टिकल में मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रक-वार संख्या और लागत (1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक)			
क्र.सं.	**क्षेत्रक**	**परियोजनाओं की सं.**	**कुल लागत (करोड़ रू.)**
	कृषि		
1	कृषि और संबद्ध क्षेत्रक	9	231831.03
	ऊर्जा		
2	विद्युत	4	5397.77
3	कोयला		

4	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
5	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा		
	परिवहन		
6	रेल	4	86382.67
7	भूतल परिवहन	3	185727.00
8	नागर विमानन	3	7162.56
9	पोत परिवहन	1	4781.00
	उद्योग		
10	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम		
11	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		
12	इस्पात और खान		
13	पेट्रो रसायन और उर्वरक		
14	वस्त्र	1	1480.00
15	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी		
16	जैव प्रौद्योगिकी		
17	विज्ञान और प्रौद्योगिकी		
18	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान		
19	महासागर विकास		
20	पृथ्वी विज्ञान	1	6494.00
	सामाजिक सेवाएं		
21	मानव संसाधन विकास	3	2181.93
22	संस्कृति		
23	युवाकार्य और खेल		
24	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3	29274.93
25	महिला और बाल विकास		
26	श्रम और रोजगार	2	58376.45
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता		
28	शहरी विकास		
29	ग्रामीण विकास	2	6092.08
30	अल्पसंख्यक मामले		

31	जनजातीय कार्य		
32	पेयजल आपूर्ति	3	548112.00
33	खाद्य और सार्वजनिक वितरण		
	संचार		
34	सूचना और प्रसारण		
35	डाक		
36	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी		
37	संचार		
	अन्य		
38	गृह	9	26314.08
39	पर्यटन	1	5000.00
40	वाणिज्य और उद्योग	3	51038.00
41	पर्यावरण और वन		
42	विधि और न्याय		
43	जल संसाधन		
44	पूर्वोत्तर क्षेत्र	3	8847.20
45	उपभोक्ता मामले	3	38029.00
46	वित्त / कारपोरेट कार्य	7	19993.27
47	योजना आयोग / नीति आयोग	2	17025.00
48	विदेश		
49	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1	1141.55
50	संसदीय कार्य	1	673.80
51	पंचायती राज		
52	आवासन और शहरी गरीबी उपशमन	1	2649.00
53	कौशल विकास और उद्यमिता		
54	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1	8180591.00
	कुल	**71**	**9524595.32**

परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन पर कार्यदल रिपोर्ट

नीति आयोग ने परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन पर कार्यदल का गठन इस प्रयोजन से किया था कि परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन कार्यप्रणाली में सुधार और इसे वैश्विक सर्वोत्तम

कार्यप्रणाली के अनुरूप करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाया जाए। कार्यदल ने विगत वर्षों में परियोजनाओं के निष्पादन का विश्लेषण किया है और देश में वर्तमान में निष्पादित परियोजनाओं के तरीकों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन कार्यप्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है।

तदनुसार, कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश के अनुरूप, क्यूसीआई को परियोजना प्रबंधन और कार्यक्रम प्रबंधन पर मसौदा नीति ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु सरकार की क्षमता को सुदृढ करने पर जोर दिया गया है। । अन्य कई सिफारिशों में उपयुकत् जोखिम साझाकरण, पूर्व-नियोजन चरण में भरसक प्रयास करना, संगठनात्मक कौशल में वृद्धि, हितधारक प्रबंधन में सुधार, प्रौद्योगिकी, उपकरण और तकनीकों में सुधार और मजबूत परियोजना संचालन के माध्यम से प्रापण तथा सार्वजनिक-निजी निवेश में अधिक दक्षता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया है । इसने दृढ़ता से यह सुझाव दिया है कि सभी प्रशासनिक मंत्रालय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सभी प्रमुख हितधारक जल्द से जल्द रिपोर्ट में यथा उल्लिखित कार्यदल की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर इन्हे पूरा करें और परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन अनुशासन के संस्थानीकरण तथा निरंतर सुधार के लिए कामकाज की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए एक संचालन ढांचा निर्धारित करें । कार्यदल की प्रति नीति आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संसद अनुभाग

संसद अनुभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य का समन्वय करता है :

1. संसद अनुभाग
2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नोटिस
3. आधे घंटे की चर्चा
4. संकल्प
5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक
6. अदिनांकित प्रस्ताव
7. नियम 377 के तहत लोक सभा में उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के जरिए उठाए गए मामले

8. संसदीय आश्वासन
9. संसदीय समितियों की बैठकों यथा वित्त संबंधी स्थायी समिति और लोक लेखा समिति
10.संसद के दोनों सदनों में रखी जाने वाली रिपोर्टें तथा दस्तावेज
11. नीति आयोग के अधिकारियों के लिए अस्थायी और सत्र-वार सामान्य तथा आधिकारिक गैलरी पास की व्यवस्था संबंधी कार्य
12.संसद में उठाए जाने वाले संभावित मुद्दे
13.सरकारी कार्य और बजट दस्तावेज का प्रापण
14.नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के बीच वितरण के लिए आर्थिक सर्वेक्षण तथा संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति।

संसद अनुभाग लोक सभा/राज्य सभा के तारांकित प्रश्नों के संबंध में योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ब्रीफ्रिंग के बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करता है।

वर्ष 2019 के दौरान इस अनुभाग ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए :

1. 7 तारांकित और 76 अतारांकित प्रश्नों के लिए योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था की तथा लोक सभा और राज्य सभा के लिए समय पर सेट्स तैयार करके जारी किए तथा लोक सभा और राज्य सभा के वेब पोर्टल पर इन प्रश्नों को अपलोड भी किया।
2. योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2019-20) संबंधी संसदीय स्थायी वित्त समिति की बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई ।
3. योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2019-20) पर संसदीय स्थायी वित्त समिति की चौथी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट।
4. योजना मंत्रालय की 2019-20 की विस्तृत अनुदान-मांगों को लोक सभा के पटल पर रखा गया और तत्पश्चात अपेक्षित संख्या में प्रतियां संसद के दोनों सदनों के प्रकाशन काउंटरों पर माननीय सांसदों को परिचालित करने के प्रयोजनार्थ रखी गई।
5. वर्ष 2018-19 के लिए नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रकाशन काउंटरों के माध्यम से परिचालित की गई।
6. लोक सभा में दिए गए तीन आश्वासन और राज्य सभा का एक आश्वासन इस अवधि के दौरान पूरे किए गए।

7. स्थायी वित्त समिति और लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चयनित विभिन्न विषयों पर पृष्ठभूमि नोट/उत्तर आदि संकलित कर लोक सभा सचिवालय भेजे गए।
8. नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों,सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संसद भवन परिसर में आयोजित बैठकों के लिए सत्र संबंधी और अन्य पास की व्यवस्था की गई।
9. इस अनुभाग ने नियम 377 के तहत लोक सभा में उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के जरिए उठाए गए मामलों का उत्तर संबंधित सांसदों को भेजने की कार्रवाई का भी समन्वय किया।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वर्टिकल के तहत किए जाने वाले कार्य को प्रमुखतया (1) नीति; और (2) परियोजना मूल्यांकनों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिक विशेष रूप से वर्टिकल निम्न पर कार्य करता हैः-

1. साझेदारों के साथ विचार-विमर्श सहित, विभिन्न क्षेत्रों में छूट-समझौता दिशा-निर्देशक सिद्धांतों और मॉडल छूट समझौतों को विकसित करना।
2. सार्वजनिक निजी मूल्यांकन समिति और/अथवा एसएफसी प्रक्रिया द्वारा केन्द्र सरकार पीपीपी परियोजनाओं की समीक्षा करना और टिप्पणियां उपलब्ध करवाना।
3. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता को वरीयता के रूप में बढ़ावा देना।
4. संस्थागत, विनियामक और प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव देना।
5. सरकार के विचार और पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त सुधारों और नीतिगत पहलों का विकास करना।

इस वर्ष कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई जिनका उद्देश्य अवसंरचना में निजी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों को बढ़ावा देना था।

उन्नत रसायनशास्त्र सैल बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रमः-

नीति आयोग ने उन्नत रसायनशास्त्र सैल बैटरी स्टोरेज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूप रेखा मसौदा तैयार किया है। उक्त कार्यक्रम उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों और घरेलू अग्रिम सेल

विनिर्माण उद्योग के 50 जीडब्ल्यूएच में निवेश को सुगम बनाने के लिए एक सिंगल विंडो फ्रेमवर्क से संबंधित है। ईवीएस और नवीनीकरण ऊर्जा परिनियोजन में भारत की बढ़ती प्रगति से ऐसी गीगा फैक्ट्रियों में निवेश की सुविधा की आवष्यकता है ताकि बैटरी उत्पादन का स्वदेशीकरण हो और एक उभरते उद्योग में भागीदारी हो। इससे जहां आयात पर निर्भरता कम होगी वहीं भारत में ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों का भविश्य भी सुरक्षित होगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास

नीति आयोग समूचे देश में फास्ट-ट्रेकिंग रेलवे स्टेशन पुर्नविकास परियोजनाओं में रेल मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है। इन प्रयासों के एक भाग के रूप में, सामने आ रही समस्याओं के मूल्यांकन और निपटान के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी रूट के तहत विश्व स्तरीय स्टेशनों के विकास के लिए संवहनीय मॉडल को तदनुसार अंतिम रूप दिया गया है। मॉडल को सभी विश्व स्तरीय स्टेशनों को आगे होने वाले विकास के लिए अपनाने हेतु अनुमोदित किया गया है। नीति आयोग ने इसके लिए रियायती दरों और नीलामी प्रलेखों को अंतिम रूप देने में भी रेल मंत्रालय की मदद की है जिसके आधार पर मौजूदा वित्त वर्ष में 10 स्टेशनों पर नीलामी होना प्रस्तावित है। 4 स्टेशनों का आरएफक्यूएस पहले ही आरंभ हो चुका है और अन्य 4 पर आगे होना है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए पैसेंजर ट्रेन का प्रचालन

नीति आयोग, रेल मंत्रालय के साथ प्रचालन/सुविधाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए रेलवे में ठोस सुधारों की पहल कर रहा है। यात्रियों के अनुभव में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी ट्रेनों के साधनों और प्रचालन में निजी भागीदारी भी एक पहल है। नीति आयोग परियोजना की पूरी प्रक्रिया में परियोजना की अवधारणा से संरचना तक, रियायती दरों को तैयार करने, नीलामी दस्तावेजों की तैयारी, साझेदारों से परामर्श इत्यादि तक सभी में रेल मंत्रालय की मदद करता है। ऐसे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप परियोजना के प्रथम चरण के

तहत दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख शहरी केन्द्रों के आसपास बसे हुए 100 रूट की बोली लगाई गई है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए पारि-पर्यटन

द्वीपों के समग्र विकास के लिए, नीति आयोग की पहल के रूप में, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के सात द्वीपों में सतत पारि-पर्यटन के विकास के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही परियोजना के दूसरे चरण के तहत अन्य कई द्वीपों के विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसी पारि-पर्यटन सुविधाओं के विकास को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक मॉडल रियायती समझौता तैयार किया गया है जो प्रस्तावित और अन्य समान परियोजनाओं के लिए भली भांति अपनाया जा सकता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए एम्स का पुर्नविकास

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एम्स) को विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में पुर्नविकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धतियों के अनुरूप समयबद्ध एवं लागत प्रभावी ढंग से उच्च गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। ऐसे एक उद्देश्य के अनुसरण में, नीति आयोग ने निविदा दस्तावेजों, सर्वोत्तम कार्य-कलापों और मूल्यांकन की पहचान के लिए सहायता के जरिए एक कार्यक्रम प्रबंधक परामर्शदाता को रखने के लिए निविदा प्रक्रिया को शुरू करने में एम्स की मदद की।

निर्माण क्षेत्र के पुनरोद्धार के लिए पहल

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति ने (सीसीईए) 2016 में, निर्माण क्षेत्र के पुनरोद्धार के लिए, नीति आयोग की विभिन्न प्रस्तावित पहलों को अनुमोदित किया जिसमें बैंक गारंटी (बीजी) पर कॉन्ट्रैक्टर /रियायतियों को सरकारी संस्थाओं द्वारा चैलेंज्ड आरबिटरल अवार्ड को अंतरिम आंशिक भुगतना भी शामिल है। ब्याज और ज्यादातर चैलेंज ऑफ आरबिटरल अवार्डों में बैंक गारंटी की आवश्यकताओं के कारण इस नीति का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा था। 2019

में, नीति आयोग ने सीसीईए के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसमें 2016 के निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ उपाय अनुमोदित किए: कानून अधिकारी के मत से चैलेंज ऑफ आर्बिट्रल अबार्ड; बैंक गारंटी पर अंतरिम भुगतान केवल मूलधन पर होगा न कि ब्याज घटक पर।

ई-बसों के लिए मॉडल रियायती करार

राज्य सरकारों/नगर निगमों के इलेक्ट्रिक वाहनों में तबदीली के उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए, नीति आयोग ने स्वच्छ, अधिक दक्ष और वहनीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रचालन व्ययों (ओपीईएक्स) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए सार्वजनिक परिवहन के लिए शहरों में इलैक्ट्रिक बसों के प्रचालन और रख-रखाव के लिए मॉडल रियायती करार विकसित किया। प्रस्तावित मॉडल के अन्तर्गत, ई-बसों की खरीद एवं ओएंडएम अवसंरचना के लिए आवश्यक पूंजी व्यय (सीएपीई) निजी भागीदार को वहन करना होगा जबकि राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रति किलोमीटर आधार (निविदा मानदंड भी) पर प्रचालानात्मक व्यय अदा करना होगा। ई-बसों को शुरू करने के लिए शहर - विशिष्ट रियायतों को तैयार करने और ई-बसों की खरीद पर अथवा रख-रखाव एवं चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना पर ज्यादा पूंजी निवेश किए बगैर जीरो उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देने और 2030 तक वाहनों के बड़े स्तर पर इलेकिट्रफिकशन की सरकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए इस ढांचे का उपयोग किया जा सकता है।

अटकी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश

बीओटी (टोल/एनयूटी/एचएएल), ईपीसी मद दर, जहां कार्य या तो ठेकेदार/रियायत प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण दिवालिएपन की कार्यवाहियों के कारण परियोजना के जारी नहीं रख पाने के कारण कार्य रूक गया है। दोनों पक्षों के कारण चूक (सतत अथवा साथ-साथ) आदि के माध्यम से सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण/एनएचआईडीसीएल द्वारा अमल के तहत अटकी परियोजनाओं के प्रस्ताव के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सहायता प्रदान की। ये दिशा-निर्देशक सिद्धांत

अटकी परियोजनाओं के मामले के प्रस्ताव और निपटान के विस्तृत फ्रेमवर्क को मामला-दर-मामला आधार पर उसमें निर्धारित सिद्धांतों को अपनाते हुए समझौते के माध्यम से निर्धारित करते हैं।

यातायात वाहनों के लिए स्वचालित निरीक्षन और प्रमाणण (आई एण्ड सी) के लिए मॉडल रियायत समझौता:-

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, केवल स्वचालित परीक्षण केन्द्रों पर फिटनेस के परीक्षण और प्रमाणन को आवश्यक बनाते हुए केन्द्र सरकार द्वारा एक तिथि को अधिसूचना द्वारा और आई एंड सी केन्द्रों की स्थापना के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिशा-निर्देशों 2017-20 के द्वारा, नीति आयोग ने राज्यों को एक समयबद्ध और प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 'यातायात वाहनों के लिए संचालित आई एंड सी केन्द्र स्थापित करने और चलाने के लिए रियायती समझौता दिशा-निर्देश बनाए। इस मॉडल के तहत, रियायत प्राप्तकर्त्ता को आई एंड सी केन्द्र की स्थापना के लिए अपेक्षित उपस्करों के साथ आवश्यक सीएपीईएक्स का उत्तदायित्व लेना होगा जबकि प्राधिकारी रियायत प्राप्तकर्त्ता (बोली लगाने वाला मानक भी) को देय एक 'जांच किए गए प्रत्येक वाहन के शुल्क' का वहन करेगा। यह पी पी पी मॉडल, निजी क्षेत्र के निवेश और दक्षताओं का लाभ उठाते हुए देश भर में स्थापित की जा रही अद्यतन प्रौद्योगिकीयों को आत्मसात करते हुए स्वचालित आई एंड सी केन्द्रों के अति तीव्र फैलाव के साथ संशोधित नियम के शीघ्रतर क्रियान्वयन को सुगम बनाएगा।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिकस पार्कों का माडल रियायती समझौता:-

वाणिज्य विभाग के अनुरोध पर, नीति आयोग ने विभाग की आनेवाली मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 'पी पी पी मॉडल के माध्यम से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिकस पार्कस (एम एम एल पी) के विकास' के लिए एक मॉडल रियायती फ्रेमवर्क तैयार किया। मॉडल रियायती समझौते में अन्तर मॉडल स्थानांतरण सुविधाओं के साथ और मूल्य संबंधित सेवाओं को प्रदान करके मैकेनाइज्ड वेयरहाउस के साथ मल्टी मॉडल भाड़ा- हैंडलिंग सुविधा की स्थापना

करने और उसके प्रचालन के लिए बी ओ टी (बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर) के माध्यम से रियायत प्रदान करने को परिकल्पित किया गया है। अंततः इससे सभी विधियों से माल के समेकित स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए देश में एम एम एल पी का एक नेटवर्क तैयार हो पाएगा।

प्रमुख एवं गौण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण:-

अभी हाल के वर्षों में, अवसंरचनात्मक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्राउन फील्ड परिसंपत्ति मुद्रीकरण कूटनीति के भाग के रूप में टॉल-आपरेट-ट्रांसफर के साथ-साथ अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, रीयल एस्टेट ट्रस्ट जैसी नई एवं नूतन वित्तीय विधियों की शुरूआत की गई है। पूंजीगत निवेश बढ़ाने और साथ में समग्र वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए, सरकार परिसंपत्ति मुद्रीकरण और रिसाइकलिंग कार्यक्रम पर प्रमुख जोर दे रही है। सरकार की इस पहल के लिए, नीति आयोग के सी ई ओ की अध्यक्षता में, नीति आयोग विविध कम प्रयुक्त और अन्य संभावित परिसंपित्तयों की रिसाइकलिंग और मुद्रीकरण का संचालन कर रहा है। इस पहल के तहत, नीति आयोग ने सरकार को संभावित प्रमुख एवं गौण परिसंपत्तियों की एक सूची की अनुशंसा की है और यह लेनदेन के ढांचे का उपयुक्त फ्रेमवर्क बनाने के लिए संबंधित विविध मंत्रालयों/विभागों से हैंड-होल्डिंग कर रहा है और बोली-प्रक्रिया को शुरू कर रहा है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का निर्माण:-

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रूपये(1.4 ट्रीलियन यू एस डॉलर) के निवेश के अपने इरादे की घोषणा की है। इस संबंध में, वित्त मंत्री ने एक कार्यदल बनाने की घोषणा की, नीति आयोग जिसका एक सदस्य है। कार्यदल ने अवसंरचना में भविष्य निवेश पाईपलाइन के संबंध में सूचना को समझने और उसका मिलान करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/ सी पी एस ई और संबंधित राज्य स्तरीय संगठनों के साथ-साथ विविध हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया। नीति आयोग ने राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया और अवसंरचना में निवेश को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित विविध ढांचागत सुधारों की अनुसंशा की।

सार्वजनिक निजी सहभागिता मूल्यांकन यूनिट (पीपीपीएयू) :-

2019-20 के दौरान, (30 सितम्बर, 2019 तक) 34256.97 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ 15 सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं का पीपीपीएयू द्वारा मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन की गई पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

तालिका: 2019-20 (30.11.2019 तक) में मूल्यांकन की गई पीपीपी परियोजनाएं

क्रम सं.	**मूल्यांकित परियोजना**	**परियोजनाओं की संख्या**	**कुल लागत (करोड़ रूपये में)**
	केन्द्रीय परियोजनाएं		
1	सड़क	8	7182.02
2	साइलो	1	40.14
3	समुद्री पत्तन	3	5396.56
4	पारि- रिजार्ट	1	379.00
5	पेट्रालियम भंडार	1	21000.00
6	बंदरगाह	1	359.25
	कुल	**15**	**34356.97**

आर टी आई प्रकोष्ठ:- आर टी आई प्रकोष्ठ https://rtionline.gov.in पर ऑनलाइन अथवा डाक द्वारा प्राप्त आर टी आई आवेदनों का उत्तर देता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रकोष्ठ निम्नलिखित गतिविधियों में व्यस्त रहा:-

- 1168 आर टी आई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1140 का निपटान (नवम्बर 2019 तक) किया गया है।
- 54 अपीलें प्राप्त हुई और 49 का निपटान (नवम्बर 2019 तक) कर दिया गया है।
- तीन सी आई सी सुनवाईयों में भाग लिया गया। (नवम्बर 2019 तक)

ग्रामीण विकास:-

नीति आयोग का ग्रामीण विकास वर्टिकल ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति मंत्रालय (जो कि जल शक्ति मंत्रालय का एक विभाग है) को उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों और स्कीमों में समग्र नीतिगत दिशा-निर्देश देता है। यह इन मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विविध स्कीमों की निगरानी भी करता है। बाद में, अगस्त 2019 में, पेयजल आपूर्ति के विभाग को जल और भू संसाधन वर्टीकल से स्थानांतरित कर दिया गया। ग्रामीण विकास वर्टीकल आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित कार्य भी देखता है।

उपाध्यक्ष की आंध्र प्रदेश यात्रा:-

उपाध्यक्ष की विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की यात्रा के लिए आंध्र प्रदेश के विविध मुद्दों पर एक विस्तृत नोट और प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया। नोट वर्टीकलों और संबंधित मंत्रालयों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर थी। आंध्र प्रदेश के पुर्नगठन से संबंधित मुद्दों पर भी नोट में चर्चा की गई।

पी एम/ वी सी की यात्राओं का समन्वय करना:-

ग्रामीण विकास क्षेत्र की स्कीमों - एम जी एन आर ई जी एस, पी एम ए वाई -जी, डे-एन आर एल एम, एन एस ए पी, एन आर डी डब्ल्यू पी और एस बी एम - जी के संबंध में भौतिक और वित्तीय स्थिति को तैयार किया गया और राज्यों में पीएम/वीसी की यात्रा के लिए उपलब्ध करवाया गया।

सी एस एस स्कीमों के संदर्भ की शर्तों का मूल्यांकन:-

वर्टिकल ने सभी ग्रामीण विकास और पेयजल आपूर्ति की स्कीमों के मूल्यांकन के लिए संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त सूचना सहित एक ToR तैयार किया और उसे डी एम ई ओ को प्रस्तुत किया। ग्रामीण विकास क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन- आजीविका, प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण् और राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम शामिल हैं। वर्टिकल के अधिकारियों ने बोली मूल्यांकन के संबंध में बैठकों का आयोजन भी किया और बैठकों में सहभागिता भी की।

कैबीनेट नोट/ई एफ सी प्रस्ताव/ एस एफ सी मेमो:-

वर्टिकल ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त निम्नलिखित कैबिनेट नोट/ ई एफ सी प्रस्ताव/ एस एफ सी मीमो के संबंध में नीति आयोग की टिप्पणियों को उपलब्ध करवाया है:-

1. **कैबिनेट नोट**:-

(i) (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन मिशन सोसायटी (एन आर एल पी एस) एमओआरडी के तहत एक स्वायत निकाय को सशक्त बनाने और उसका पुर्नगठन करने के लिए; और (ख) एन आर एल पी एस का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, कौशल एवं आजीविका संवर्धन सोसायटी के रूप में पुन:नामकरण ।

(ii) एनआरएलपीएस के वित्तीय आबंटन में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव ।

2. **ई एफ सी प्रस्ताव:-**

(i) 2 अक्तूबर, 2019 के पश्चात् स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए मसौदा ई एफ सी।

(ii) जल जीवन मिशन - नल से जल कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए मसौदा ईएफसी।

(iii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को 31 मार्च, 2022 तक दो वर्षों के लिए विस्तार पर मसौदा ई एफ सी प्रस्ताव।

3. **एस एफ सी मीमो:-**

(i) एम जी एन आर ई जी एस के तहत एक क्लस्टर सुविधा परियोजना (सी एफ पी) का 112 इच्छुक जिलों में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और बेहतर योजना समन्वय और निगरानी के माध्यम से अनुमोदन के लिए प्रस्ताव ।

(ii) मनरेगा कामगारों की दक्षता में उन्नति परियोजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव, उनकी दक्षता में आधार और इससे उनकी आजीविकाओं को अपग्रेड करने के उद्देश्य से जिससे वे आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की तरफ जा सके ।

अमरावती पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निरीक्षण:-

ये रिपोर्ट विशेष वित्तीय सहायता, आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2014 की धारा 94 (3) के तहत अमरावती सरकारी काम्पलैक्स और अन्य आवश्यक अवसंरचना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई थी - जिसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया जिन्हें फिर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

संसदीय प्रश्न एवं वीआईपी संदर्भ:-

प्रभाग संसदीय प्रश्नों को देखता है और नीति आयोग के अन्य प्रभागों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त संसदीय प्रश्नों के उत्तर हेतु जानकारी भी उपलब्ध कराता है। वर्टिकल ग्रामीण विकास स्कीमों और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित वीआईपी संदर्भों का कार्य भी करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना:-

वर्टिकल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठकों जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संबंधी सामाजिक परामर्शी समिति, कच्चे घरों की परिभाषा को पुन: परिभाषित करने के लिए राज्य के प्रस्तावों के विश्लेषण के लिए गठित विभिन्न अधिकार प्रदत्त एवं विशेषज्ञ समितियों के साथ हुई बैठकों में में भाग लिया और नीति आयोग का मत प्रस्तुत किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का आधार होते है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल केन्द्र मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए नीति मध्यवर्तियों में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह उन मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न आंतरिक -संगठनात्मक मुद्दों के आमेलन के लिए एक केन्द्र बिन्दू के रूप में कार्य करता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निरीक्षण एवं जांच के लिए नोडल बिन्दू है:-

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
2. जैव प्रौद्योगिकी विभाग
3. वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग
4. अंतरिक्ष विभाग
5. इलैक्टानिक्स एवं सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय
6. भू-विज्ञान मंत्रालय

वर्ष 2019-20 के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगीकी वर्टिकल अन्य सहित मीथेनाल अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया बॉडी आर्मर और सार्वजनिक वित्तपोषित राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की रैंकिग और रेटिंग संबंधी पीएमओ द्वारा संचालित विभिन्न पहलों के लिए प्रमुख नीति मध्यवर्तियों में शामिल रहा। यह कार्यकलापों जैसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तकनीकी टेक्सटाईल, आयुर्वेद, जीवविज्ञान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और रोपने के निर्माण, रखरखाव और प्रचालन के मानकीकरण में भी शामिल है।

प्रमुख पहलों की विशेषताएं निम्न प्रकार है:-

1. **मीथेनाल अर्थव्यवस्था**:- कच्चे तेल के आयात में कमी और देश के कार्बन फुट प्रिन्ट में कटौती के लिए स्वदेशी इंधन के विकास की इच्छा से नीति आयोग तेल एवं प्राकृतिक गैस के

सम्भाविक प्रतिस्थापक विकल्प के रूप में क्रमश: मीथेनाल एवं डाई-मीथेल इथर (डीएमई) पर कार्य कर रहा है।

(मीथेनाल अर्थव्यवस्था संबंधी विस्तृत नोट के लिए देखें भाग- च- थींक टैंक कार्य-कलाप)

2. **मेक इन इंडिया रक्षा कवच (बॉडी आर्मर):** सदस्य (एसएंडटी), नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्रदत्त समिति मेक इन इंडिया बॉडी आर्मर के लिए तैयार रोडमेप के कार्यान्वयन को देखती है। इस पहल के तहत अन्य मुद्दों के साथ-साथ टेक्स होली डे, निम्नतम वैकल्पिक टेक्स एवं इलेक्ट्रिसिटी डयूटी से छूट जैसे विभिन्न मुददों पर राजस्व विभाग, एक सम्भावित विनिर्माता एवं वस्त्र मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया। नीति आयोग के नियमित मार्गदर्शन के अनुपालन में, बीआईएस द्वारा बॉडी आर्मर के भारतीय मानक जारी किए गए। नेशनल फिजीकल प्रयोगशाला, सीएसआईआर, नई दिल्ली में बेलिस्टिक मैटीरियल टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया गया। अगले पॉच वर्षों के दौरान सभी केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए बॉडी आर्मर की कुल आवश्यकता का आकलन किया गया और सभी हितधारकों के परामर्श से बॉडी आर्मर की खरीद से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया गया।

3. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों की रैंकिंग और रेटिंग:-** राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों की रैंकिंग और रेटिंग के फ्रेमवर्क की अंतिम रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा पीएमओ को 9 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात पीएमओ ने रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के कार्यालय को सौंपी। पीएसए कार्यालय ने केन्द्रीय वित्त पोषित आर एण्ड डी संस्थानों के वैज्ञानिक इनडीकेटर के मूल्यांकन के लिए एक कार्य दल गठित किया जिसमें नीति आयोग भी शामिल था।

रूपरेखा का सिंहावलोकन

परिणाम	← **आउटपुट**	← **इनपुट**
सामाजिक आर्थिक प्रभाव	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) उत्कृष्टता**	**संगठन की प्रभाविकता**

1. भारत के एसडीजी और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान	1.स्कोलर अनुसंधान आउटपुट और गुणवत्ता	1. अधिदेश संरेखण
2. रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास	2. विकास एवं नवाचार आउटपुट एवं गुणवत्ता	2. संसाधन प्रबंधन
	3. प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण और राजस्व सृजन	3. शासन
	4. सहयोगात्मक अनुसंधान	4. साम्यता, विविधता समावेशन
		5. आंतरिक क्षमता निर्माण

प्रत्येक बकेट में मानदंडों का भारांक संस्था के अधिदेश/फोकस-आधार/अनुप्रयुक्त/सेवाएँ के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

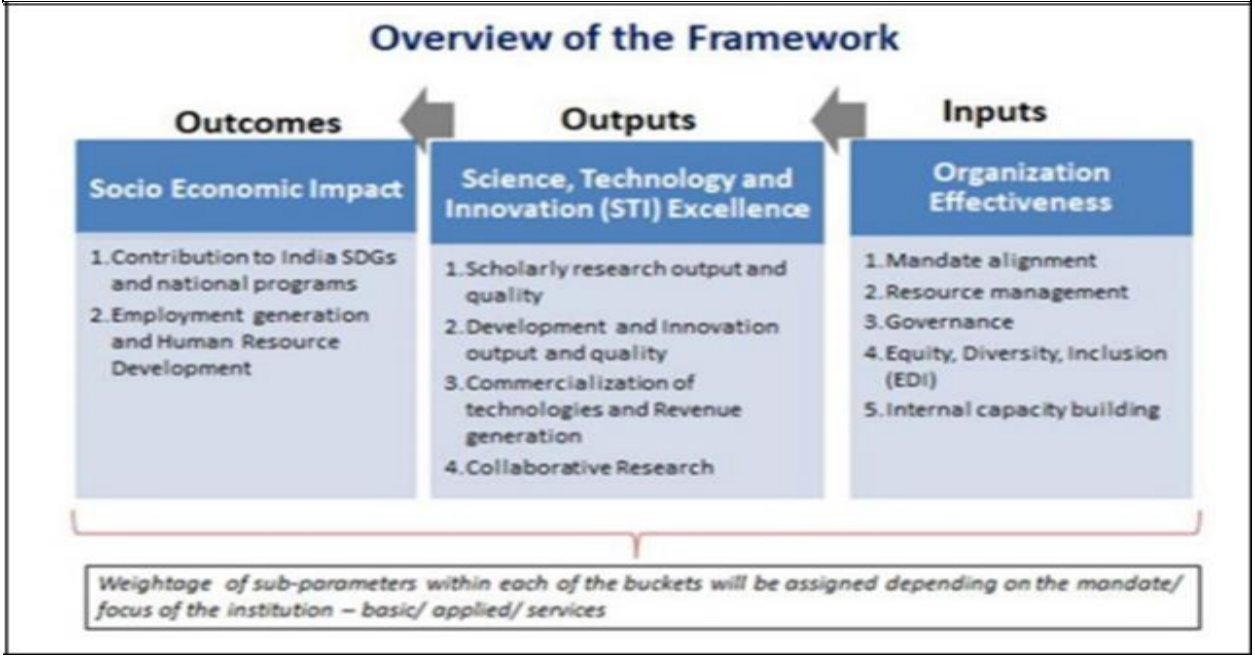

4. **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन**:- 19 अगस्त 2019 को सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) नीति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय€ रिसर्च फाउन्डेशन की स्थापना से व्यापक विचार कर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया जिसमें पी एस ए कार्यालय सभी विज्ञान संबंधी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव सहित) और शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधी भी उपस्थित थे। NRF की स्थापना का मूल उददेश्य देश में अनुसंधान का वित्त पोषण, समन्वय समेलन और प्रोत्साहन देना है बैठक के दौरान, NRF की संरचना, इसके प्रचालन के स्पैक्ट्रम और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, उद्योग एवं शोध क्षेत्र के साथ इसके संबंधों पर विचार-विमर्श किया गया। नीति आयोग को PSA कार्यालय, डीएसपी एवं डीएमई की भागीदारी में आने वाले महीनों में फाउंडेशन की स्थापना की जिम्मेवारी सौपी गई।

5. **आयुर्वेद- जीवविज्ञान पर पहल**:- नीति आयोग वीसी की अध्यक्षता में, नीति आयोग में आयुर्वेद- जीवविज्ञान पर देश की मौजूदा पहलों के साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में समेकन के लिए हितधारकों से विचार-विमर्श आयोजित किया गया। प्रस्तावित नया कार्यक्रम, जिसका कार्यान्वयन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, स्वास्थय अनुसंधान संबंधी सभी संकायों-चाहे चिकित्सा की पांरपरिक पद्धति हो या चिकित्सा की अन्य कोई विधि से लोगों को साथ लाने के लिए एक प्लेटफार्म् के रूप में कार्य करेगा।

6. सदस्य (एसएंडटी), नीति आयोग एवं पीएसए की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों नामत: राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और एग्रीनोवेट लिमिटेड के मर्जर के तौर तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख अनुशंसाओं में निम्नलिखित शामिल है:-

- मिलाए गए निकाय की विधिक स्थिति (उदाहरणतया क्या यह एक सोसायटी होगी अथवा एक विशेष प्रयोजन वाहन अथवा एक सावर्जनिक उद्यम निकाय आदि होगी) की परिभाषित करने को आवश्यकता है।

- यह डी एस आई आर के तहत एक स्वायत सोसायटी हो सकती है जो कि लोक उद्यम बोर्ड अथवा सार्वजनिक उद्यमविभाग से मध्यस्थता से बचने का सर्वोत्तम विकल्प होगा।
- उस सोसायटी का प्रशासनिक नियंत्रण डी एस आई आर के साथ होना चाहिए।
- एडवाइजरी एंड ओवरसाइट बोर्ड (एओबी) - एक स्वायत निकाय के रूप में किसी गैर-प्रदर्शन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन, कार्यकारी बोर्ड (ईबी) आदि की बनावट/संरचना के मामले में नीतिगत दिशा-निर्देशों, उच्च मूल्य की परियोजनाओं, निवेश निर्णयों/अनुशंसाओं, निगरानी, सोसायटी को पुर्नगठन के बारे में सांविधिक निकाय होगा।
- ई बी लघु (टीयर-2) स्तर के निवेश निर्णयों को देखने/ निगरानी करने /कार्यान्वयन करने का कार्य करेगा। इस प्रयोजन के लिए ई बी की वित्तीय शक्तियों को परिभाषित किए जाने को आवश्यकता है।
- 500 करोड़ रूपये के कोष को बनाए जाने की आवश्यकता है।
- अर्जित राजस्व सोसायटी की संपत्ति होगा ।
- नीति आयोग का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम के नहीं, पर ईबी में एक निदेशक के रूप में विचार किया जा सकता है।

7. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल पृथ्वी की प्रणाली के पांच घटकों नामत: वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, कायरोस्फीयर, लिथोस्फीयर और वायोस्फीयर और उनके जटिल अंतर कार्यकलापों से संबंधित है। अर्थ साईंस सिस्टम जलवायु, महासागर, तटीय राज्य, हाइड्रोलाजिकल और भूकम्प विज्ञान की सेवाओं से संबंधित पहलुओं को शामिल करता है। उन सेवाओं में भविष्यवाणियां और विविध प्राकृतिक आपदाओं (जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूकम्प आना, बाढ, लूह, तूफान, बिजली गिरना और भूकम्प) से संबंधित चेतावनियां, सजीव और निर्जीव संसाधनों को काम में लाना, सागर सर्वेक्षण एवं खोज शामिल है।

8. वर्टिकल द्वारा रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई है: -

I 5500 मीटर की जल गहराई पर संसाधनों (जैसे पोलिमेटालिक नोडल्यूस) की गहरे समुद्र के खनन के लिए तकनीकों को विकसित करने के लिए गहरा महासागर मिशन पर व्यय वित्तीय समिति के विचार के लिए ज्ञापन पर टिप्पणीयां ।

II पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्नलिखित स्वायत संस्थानों की वार्षिक समीक्षा बैठकों और अधिशासी परिषद बैठकों में भाग लिया:

क) राष्ट्रीय महासागर तकनीकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई

ख) राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र (एनसीपीओआर), गोवा

ग) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद

घ) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, त्रिवेद्रम

9. उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के विदेश से भारत वापसी संबंधी ड्राफ्ट मंत्रीमंडल नोट तैयार है और दिसम्बर 2019 तक अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए जारी किया जाएगा।

10. नीति आयोग ने भारत में रोपवे के निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन के मानकीकरण के लिए सलाहकार(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की है। समिति व्यापक विचार-विमर्श के बाद फरवरी 2020 तक अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

11. नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल ने PSA कार्यालय और लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया एंड इंस्च्यूट, हावार्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 4 अप्रैल 2019 को 'विज्ञान एवं समुदाय' थीम पर एक वार्षिक भारत परिचर्चा का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल की समीक्षा पोर्टल पर सूचना अपडेट करने के लिए नीति आयोग की नोडल एजेन्सी भी है।

13. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल के अधिकारियों ने जल शक्ति अभियान के तहत चिन्हित महत्वकांक्षी जिलों का दौरा किया और उन जिलों में अभियान की सफलता के लिए विशेष अनुशंसाएं की।

14. एसएफसी/ईएफसी के ज्ञापन पत्र का निरीक्षण/ मूल्यांकन और केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के ड्राफ्ट कैबिनेट नोट समयबद्ध तरीके से निपटाए गए।

15. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल ने उच्च स्तरीय बैठकों के लिए पृष्ठ भूमि सामग्री तैयार की और निम्नलिखित निकायों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया:-

- सूचना प्रसार, पूर्वानूमान और आकलन परिसर, डीएसटी की शासित परिषद बैठकें।
- बायोटेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेन्स काउंसिल, डीबीटी की शासित परिषद बैठकें।
- साइन्स एवं इंजिनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डीएसटी
- डिजिटल संप्रेषण आयोग, दूर संचार विभाग
- डीओएस की एसएटीसीओएम समन्वय समिति
- डाक विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनीकीकरण परियोजना के लिए अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति
- विभिन्न ब्रान्ड के स्पैक्ट्रम आयोग के अधिकारों की नीलामी के आयोजन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति
- चौदहवें वित्त आयोग से पंद्रहवें में जारी रखने के लिए सभी स्कीमों के तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन के लिए डीएसआईआर, डीबीटी और डीएसटी द्वारा गठित शीर्ष समिति एवं उप समिति।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा गठित समिति के जरिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020 का सृजन।

कौशल विकास और रोजगार

नीति आयोग का कौशल-विकास और रोजगार वर्टिकल राष्ट्र की मानव पूंजी को मजबूत करने तथा रोजगार नौकरियों और आजीविका निर्माण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नीति

चालित पहलों को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्टिकल यूएन सतत विकास ढ़ांचें रिजल्ट ग्रुप VI (अथवा कौशल, उद्यमिता और रोजगार सृजन) के लिए नोडल बिंदु है।

यह नियमित रूप से कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार के विषय पर विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ विचार-विमर्श आयोजित करता है। वर्ष 2019-20 में, इसने निम्नलिखित नीति/कार्यनीतिक पेपरों पर काम किया:-

युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण स्कीम का सुदृढ़ीकरण:- औद्योगिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, प्रशिक्षकों को भर्ती करने वाले नियोक्ता से विशेषज्ञों एवं हितधारकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और MHRD के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श आयोजित किए गए। इसके बाद हितधारकों के साथ कई अन्य विचार-विमर्श एवं आंतरिक विमर्श भी आयोजित किए गए। इन विचार- विमर्शों के आधार पर युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण संबंधी नोट तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया।

घटती महिला श्रम शक्ति भागीदारी और महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श:-

भारत में घटती महिला श्रम-शक्ति भागीदारी संबंधी चुनौतियों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों के साथ कई विचार-विमर्श आयोजित किए गए। इनके आधार पर, 'भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाना' पर नोट तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया।

उच्चतर शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाना

शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से विशेषज्ञों एवं हितधारकों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), एमएचआरडी और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श आयोजित किया गया। इसके बाद हितधारकों के साथ कई विचार-विमर्श और आंतरिक मंत्रणा भी आयोजित की गई। इन विचार-विमर्शों पर व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर 'व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य शिक्षा के साथ समेकन' संबंधी पेपर तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए।

ऑनलाईन कौशल - भावी पथ:-

पथ शैक्षणिक संस्थानों, ऑनलाईन शैक्षणिक प्लेटफार्मों से विशेषज्ञों एवं हितधारकों और एमएचआरडी और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई विचार-विमर्श आयोजित किए गए। इसके बाद इस पर हितधारकों के साथ कई विचार-विमर्श और आंतरिक विमर्श आयोजित किए गए। इनके आधार पर 'ऑनलाईन कौशल: भावी पथ' पेपर तैयार किए गए।

ऑनलाईन नौकरी प्लेटफार्म- अवसर जोखिम एवं भावी पथ:-

विशेषज्ञों एवं पणधारियों सहित ऑनलाईन नौकरी प्लेटफार्म के प्रतिनिधियों और श्रम रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार- विमर्श आयोजित किया गया। विचार किए गए बिन्दुओं में ऑनलाइन प्लेटफार्म द्वारा शुरू की गई पहलों और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल के साथ उसके गठजोड, उसके समाने आ रही समस्याएं इन पहलों को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और प्रभावी नौकरी मैचिंग के लिए तकनीकी समाधान खोजना, विशेष कौशल के लिए मांग सहित श्रम बाजार की प्रकृतियों को समझना और किस प्रकार से इन प्लेटफार्म से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है, शामिल है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, 'ऑनलाईन नौकरी प्लेटफार्म:अवसर जोखिम एवं भावी पथ' संबंधी पेपर तैयार किया गया।

व्यवसायविदों के बीच बनाई गई रोजगार सृजन के आकलन के लिए कार्य पद्धति

वर्टिकल ने सचिव, साख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित कोर समिति की डॉक्टर, वकीलों, चार्टेड एकाउन्टेंट इत्यादि जैसे पेशेवरों के बीच रोजगार सृजन के आकलन के लिए एक कार्य-पद्धति को विकसित करने के लिए मदद की। अंतिम रिपोर्ट कोर समिति द्वारा प्रस्तुत की गई।

आकांक्षी जिलों में कौशल विकास का सुदृढ़ीकरण

वर्टिकल युवाओं को कौशल प्रदान करने, प्रशिक्षित युवाओं के लिए प्रमाणन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षी जिलों में विभिन्न हितधारकों और एजेंसियों के साथ काम करा रहा है। इसके लिए, इसको 'ज्ञान साझीदार' के रूप में संदर्भित संगठनों के साथ सहभागिता थी जिन्होंने इन जिलों में कौशल-विकास कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया। समाज के वंचित समुदायों की महिलाओं और युवाओं में कौशल-विकास और रोजगार पर विशेष बल दिया गया। वर्टिकल ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और प्रत्येक जिले की रैंकिंग की गणना के लिए कौशल विकास के द्वारा संग्रहण के लिए जिलों में प्रशासक से भी समन्वय स्थापित किया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

नीति आयोग में सामाजिक न्याय और अधिकारिता वर्टिकल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

वर्टिकल का प्रमुख उत्तरदायित्व समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, घूमंतू, अर्द्ध-घूमंतू और अधिसूचित जनजातियों, और सफाई कर्मचारियों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार/नशेड़ियों और ट्रांसजेंडरों के हितों की रक्षा करने और उरके सशक्तीकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव प्रदान करना है।

वर्टिकल अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और लागू करने, अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और एससीएसपी और टीएसपी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के दिशा-निर्देशों के संबंध में सुझाव देना था, उनमें संशोधन के लिए भी जिम्मेदार है। वर्टिकल ओडिशा और प. बंगाल के संबंध में राज्य के मुद्दों पर भी विचार करता है।

प्रभाग ने सीसीईए, ईएफसी, एसएफसी के लिए बने विभिन्न प्रस्तावों और संबंधित नोडल मत्रालयों के स्कीम दिशा-निर्देशों में संशोधन का निरीक्षण किया और प्रस्तावों के संबंध में सृजनकारी सुझाव दिए। प्रभाग द्वारा शुरू किए गए कुछ विशिष्ट कार्यकलाप थेः-

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के पुनरूत्थान पर समूह की रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना

वर्टिकल और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के पुनरूत्थान के लिए गठित उप-समूहों ने राज्य और केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न विचार-विमर्श किए और एक उप समूह रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जो आगे कार्रवाई के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और पीएमओ को भेजी गई।

अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए नए प्रबंध

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद विशिष्ट स्कीमों को वित्त आवंटन, सृजन और कार्यान्वयन के लिए और कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए और कार्यान्वयन के लिए केन्द्र को परिचालित किए गए।

मैनुअल सफाईकर्मियों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए कार्यदल

नीति आयोग की सिफारिशों पर, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक कार्यदल का गठन किया और जम्मू एवं कश्मीर को छोडकर सभी राज्यों (170 जिलें) में सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वेक्षणों के तहत 56, 595 लोगों की पहचान की गई है। मैनुअल सफाईकर्मियों के पुर्नवास के लिए स्व रोजगार योजना के तहत, व्यक्तियों को प्रत्येक को 40,000/- रूपये की एक मुश्त नगद सहायता प्रदान की गई है, 1060 मैनुअल सफाईकर्मियों को पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई है। कौशल विकास घटक के तहत, 7950 मैनुअल सफाईकर्मियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससीएसपी और टीएसपी) के कल्याण के लिए बाजार आवंटन पर नीति आयोग के नए दिशा-निर्देश

वर्टिकल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियां आबंटित करने और विशिष्ट स्कीमों के सृजन और कार्यान्वयन के लिए 41 केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।

2018-19 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए वृद्वित आबंटन

2017-18 में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के आमेलन के मद्देनजर, नीति ने (अनुसूचित जाति उप-योजना और (जनजातीय उप-योजना) हेतु पर्याप्त आबंटन सुनिश्चित किया है। एससी के कल्याण के लिए आबंटन 2017-18 में 52,377.87 करोड़ (बी.ई.) से बढ़कर 2018-19 में 56,476.84 करोड़ (बी. ई.) हो गया अर्थात 8.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कुल आबंटन 2017-18 में 31,919.91 (बी.ई.) करोड़ रूपए से बढ़कर 2018-19 में 39,134.73 करोड़ रूपए हो गया अथवा 22.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान, नीति की मध्यस्थता में एससीएसपी और टीएसपी के लिए क्रमश: 26 और 29 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने निधि निर्धारित की है। और, 2018-19 में, 29 और 37 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने क्रमश: एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियां निर्धारित की हैं।

एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक

निष्पादन के आकलन और प्रचालानात्मक कठिनाईयों पर विचार विमर्श करने और आबंटित तिथियों के प्रभावी उपयोग के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने और इस प्रकार निधियों के निश्चित प्रतिशत के आबंटन के लिए 41 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ ऐसी दो समीक्षा बैठकें की गई जिसमें से एक मुख्य सलाहकार, नीति आयोग की अध्यक्षता में 11 जनवरी 2018 को हुई और दूसरी उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में 8 अगस्त 2018 को हुई।

एन टी, डी एन और एस एन टी की पहचान के लिए समिति : नीति आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गैर अधिसूचित जनजातियों, घूमंतू जनजातियों, अर्द्ध घूमंतू जनजातियों और अभी औपचारिक रूप से विनिर्दिष्ट नहीं की गई जनजातियों की पहचान के लिए एक समिति गठित की है।

भारत में समेकित समाजिक सुरक्षा के लिए सलाहकार समूह और तकनीकी समिति का गठन: नीति आयोग के नेतृत्व के तहत यूनीसेफ से तकनीकी सहायता के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की समिति यूनीसेफ द्वारा प्रदान की गई माइक्रो स्मूलेशन अध्ययन पर विशेषज्ञ और स्वतंत्र विचार प्रदान करने के लिए गठित की गई। समूह की प्रथम बैठक नीति आयोग में 4 अक्तूबर, 2019 को आयोजित की गई।

प्रभाग में किए जाने वाले कैबिनेट नोट

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) में सदस्य के एक पद के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः पदनामित करने के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट।
- माता-पिता और वरिष्ट नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनिय, 2007 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट मंत्रिमंडल नोट।
- डॉ अम्बेदकर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (डीएआईसीएसईसी) में बौद्धधर्मी अध्ययन हेतु अन्तर्राश्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट।

- अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृति स्कीम, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति स्कीम और वरीयता सह साधन आधारित छात्रवृति स्कीम की स्कीमों को जारी रखने के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट।
- अल्पसंख्यक केन्द्रित ब्लॉकों, जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों (एमएसडीपी) की पुर्नसंरचना पर आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति हेतु नोट।

राज्य मामले

1. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक 1 अगस्त 2018 को की गई और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
2. नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा ओडिशा विकास कान्क्लेव का उद्घाटन 24 अगस्त 2018 को किया गया जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

राज्य समन्वय:-

नीति आयोग में राज्य समन्वय वर्टिकल को संरचित सहायता और पहलों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह वर्टिकल अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को विकास सहायता सेवाओं (डीएसएसएस) के अनुसार राज्यों को संस्थागत प्रदान करने और नीतियों के निर्माण के लिए सुझाव प्रदान करता है। यह वर्टिकल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (यूएनएसडीएफ) 2018-22 से संबंधित कार्य का भी समन्वय करता है।

वर्टिकल द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है:-

बाह्य सहायता कार्यक्रम परियोजनाएं

राज्य समन्वय वर्टिकल ने विभिन्न राज्यों में विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए बाह्य एजेंसियों के साथ कूटनीतिक राज्य सहभागिता के द्वारा नौ प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (यूएनएसडीएफ) 2018-22

भारत सरकार ने नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक (यू एन आर सी) के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (यू एन एस डी एफ) 2018-22 पर हस्ताक्षर किए, सतत विकास के लक्ष्यों को समेकित करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकताओं के प्रति यू एन एजेन्सियों की क्रार्यान्मिुखी प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए एक पांच वर्षीय रोड मेप तैयार किया है। यू एन एस डी एफ के तहत प्रगति की निगरानी करने के लिए नीति आयोग के वी सी और भारत में यू एन आर सी की सह अध्यक्षता में एक संयुक्त संचालन समिति स्थापित की गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य समन्वय वर्टिकल द्वारा, 07 परिणाम समूहों नामत: (i) गरीबी एवं शहरीकरण (ii) स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता (iii) शिक्षा एवं रोजगार (iv) पोषण एवं खाद्य सुरक्षा (v) जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ उर्जा एवं आपदा लचीलापन (vi) कौशल, उद्यमिता और रोजगार सृजन (vii) लैगिंक समानता (viii) युवा विकास के लिए निगरानी फ्रेमवर्क की अवधारणा को आधार प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

अब तक समिति की दो बैठकें आयोजित हो चुकी है जिनमें भारत में 24 यूएन एजेंसियों सहित इन समूहों के प्रदर्शन आकलन पर विचार किया गया। इसके अलावा, नीति आयोग के सदस्यों के स्तर पर विकास के अतिआवश्यक मुद्दों पर मौलिक विचार-विमर्श किया गया। ऐसे विचार-विमर्शों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, पोषण एवं पर्यावरण के विषयों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा विविध परिणाम समूहों के लिए प्रदर्शन सूचकांकों की अंतिम रूप प्रदान करने के लिए नीति आयोग के सलाहकारों के स्तर पर लघुतर समूह बैठकें आयोजित की गई।

डिजीटल स्वास्थ्य नूतन प्रयोग एवं राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण

भारत सरकार यूएन एस डी एफ के क्रियान्वयन के लिए द्वितीय संयुक्त संचालन समिति की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 1 मई 2019 को समेकित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें डब्ल्यू एच ओ के प्रतिनिधि द्वारा समेकित बिमारी निगरानी पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग और

संयुक्त राष्ट्र द्वारा समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सी एस एन एस) 2016-18 पर एक सेमिनार 8 नवम्बर 2019 को आयोजित किया गया। डॉ0 विनोद कुमार पाल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग ने सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।

शासी परिषद बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य समन्वय वर्टिकल, नीति आयोग की शासी परिषद बैठकों में विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में विविध मंत्रालयों के साथ उन पर ध्यान दे रहा है। इस कार्य को 15 जून, 2019 को सम्पन्न हुई पाचवीं शासी परिषद की बैठक में किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य:-

सिंहावलोकन:-

सतत विकास लक्ष्यों (एस डी जी) के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए नीति आयोग के आगे बढ़ने के साथ, मौजूदा पहलों का सघनीकरण हुआ जबकि इस वर्ष के दौरान नए पहलें प्रयुक्त नहीं हुई। एस डी जी के स्थानीकरण की प्रक्रिया राज्यों और संघ प्रदेशों के प्रयत्नों के फलीभूत होने के साथ और परिपक्व हुई है। एस डी जी की निगरानी प्रणाली अनुमोदित राष्ट्रीय सूचकांक बनाने का प्रयास कर रही है और नीति आयोग एस डी जी इंडिया सूचकांक जारी कर रहा है। नीति आयोग ने एस डी जी के वैश्विक कार्यान्वयन को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर एस डी जी स्टॉक -टेकिंग प्रक्रियाओं में भाग लिया।

एस डी जी का स्थानीकरण:-

राज्यों ओर संघ प्रदेशों ने एस डी जी पर कार्य को डिजाइन करने, कार्यान्वित और निगरानी करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया है।

1. **एस डी जी पर जागरूकता**:- राज्यों ने सिविल सोसायटी संगठनों एवं समुदायों के साथ-साथ राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए अपनी स्वयं की कूटनीतियां बनाई हैं।

2. **एस डी जी पर उनके प्रयत्नों की दिशा -निर्देश देने के लिए विजन दस्तावेज एवं कार्रवाई योजना बनाना**:- एस डी जी संबंधित विजन दस्तावेजों के तैयार करने की प्रक्रिया ने राज्यों में 'सम्पूर्ण सरकार' दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए शर्ते बनाई। इसने क्षेत्रों में परस्पर संबंध बनाए और सहक्रिया के लिए एक संदर्भ और प्रयोजन विकसित किया। अब तक, 23 राज्यों ने अपने विजन दस्तावेज तैयार किए हैं।

3. **एस डी जी के साथ स्थानीय विकास योजनाओं को जोड़ना:-** ग्रामीण एवं शहरी दोनों जगह स्थानीय स्व -शासन का सर्वोतम सिद्धान्त 'पहले लोग' होते हैं और वे यह सुनिश्चित करती हैं कि 'कोई पीछे न छूट जाए' । बहुत -सारी एस डी जी स्थानीय स्व-शासनों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से सीधे संबंधित होती हैं। एस डी जी फ्रेमवर्क में स्थानीय विकास योजनाओं को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए है।

4. **'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' -** कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कमियां मापने और विभिन्न विकास कार्यक्रमों को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए उनमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

5. **राज्य बजट को एसडीजी के साथ मिलाने से** संसाधन अन्तर की पहचान और व्यय प्राथमिकता सुनिश्चित करने, राजस्व बढ़ाने और संसाधन दक्षता में सुधार के लिए बहुमुखी कार्यनीतियों की तैयारी में मदद मिलती है।

6. **सहभागिता बनाना**:- राज्य विकास लक्ष्यों की पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे बहुपक्षीय संगठनों, शैक्षणिक जगत, सिविल सोसाइटी संगठनों और निजी क्षेत्रों के साथ सहभागिता बढ़ा रहे है।

नीति आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों के विश्लेषण के लिए यूएन इंडिया से हाथ मिलाया और एसडीजी के स्थानीकरण के लिए शुरूआती शिक्षाओं का सारांश तैयार किया। सारांश 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुभव पर तैयार किया गया। वैश्विक विकास समुदाय और अन्य उत्साही हितधारकों के लिए यूएन उच्च स्तरीय राजनीतिक

मंच 2019 में 'भारत में एसडीजी का स्थानीयकण : भारत की शुरूआती शिक्षाएं प्रलेख जारी किया।

एसडीजी भारत सूचकांक

भारत के संघीय ढ़ांचे और केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन को देखते हुए राज्य सरकार एसडीजी को प्राप्त करने में देश के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकती है। इस बहुपक्षीय विषय की मांग है कि प्रगति को सावधानी पूर्वक मापा जाए और निष्पादन में सुधार के लिए उभरती अंतरदृष्टि का उपयोग किया जाए। इस अनिवार्यता की सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी परिसंघ के साथ मिलाकर नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक की संकल्पना की। यह सूचकांक विश्व का पहला एसडीजी की प्रगति को मापने हेतु सरकारी नेतृत्व वाला उप-राष्ट्रीय साधन है। यह एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। सूचकांक का पहला संस्करण दिसम्बर 2018 में प्रस्तुत किया गया और दूसरा 30 दिसम्बर 2019 को आया। यह सूचकांक द्वारा के सामूहिक दृश्य के लिए आनलाईन डेशबोर्ड पर भी उपलब्ध है।

एसडीजी भारत सूचकांक प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की निष्पादन स्थिति को दर्शाता है और इसी प्रकार प्रत्येक एसडीजी पर समग्र रूप में देश की एवं इसके साथ-साथ घटक -घटक पर सभी एसडीजी की निष्पादन स्थिति दर्शाता है। निष्पादन को 0 से 100 के स्केल पर मापा जाता है जहॉ 100 संबंधित लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति को दिखाता है वहीं लक्ष्य में विफलता को दर्शाता है।

जहां सूचकांक के 2018 संस्करण में 13 एसडीजी (लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 छोड़ दिए गए थे) को कवर किया गया था वही 2019 संस्करण में 16 एसडीजी की रैंकिंग और एसडीजी 17 के गुणवत्तात्मक आकलन के साथ सभी एसडीजी कवर किए गए हैं। इस प्रकार सूचकांक का 2019 संस्करण पहले संस्करण की तुलना में अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक है। 2019 सूचकांक में प्रयोग किए गए संकेतक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक ढ़ांचे से लिए गए हैं।

2019 सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:- सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का प्राप्तांक 60 है जो कि 2018 के प्राप्तांक 57 से ज्यादा है। एसडीजी 6 (साफ पेयजल एवं सफाई) :88 उच्चतम प्राप्तांक है, एसडीजी 2 (पोषण और जीरो भुखमरी) : 35 न्यूनतम प्राप्तांक है।

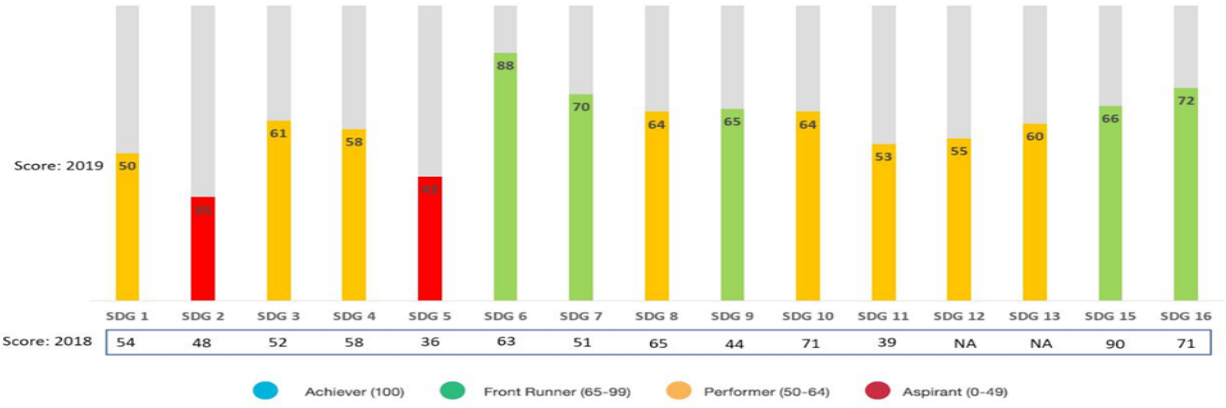

स्कोर: 2019 स्कोर: 2018	लक्ष्य प्राप्तकर्ता (100)	अग्रणी (65-90)	निष्पादक (50-64)	आकांक्षी (0-49)

आकृति: 2019-20 के लिए देश का उद्देश्यवार प्राप्तांक। नीचे बाक्स में संख्याए 2018 के प्राप्तांकों को प्रदर्शित करती है।

2018 से 2019 में अधिकतम सुधार एसडीजी 6 (+25), 7(+19) और 9(+21) में है। एसडीजी 6 में अनुकरणीय सुधार स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की सफलता के कारण हुआ है। एसडीजी में प्रगति सौभाग्य स्कीम के तहत घरों के सार्वभौमिक विधुतीकरण और उज्जवला स्कीम के तहत साफ ईंधन की उपलब्धता के कारण हुई है। एसडीजी 9 में तेजी का श्रेय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निवास स्थानों के कवरेज और डिजीटल समावेशन और इंटरनेट और मोबाईल प्रवेशमें उची छलांग को दिया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग विजनेस की वैश्विक रैंकिंग में भारत की 2018 में 77 से 2019 में 63 तक की प्रगति के कारण भी एसडीजी 9 में सुधार हुआ।

राज्यों के बीच केरल ने 70 के प्राप्तांक के साथ प्रथम रैंक प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश का 69 प्राप्तांक के साथ दूसरा स्थान हैा दिल्ली ने 61 प्राप्तांक के साथ नौ केन्द्रशासित प्रदेश में पांचवा स्थान प्राप्त किया।

क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग

एपीएफएसडी और यूएनईएससीएपी 2019

भारत ने पदेन अध्यक्ष, डा0 राजीव कुमार, उपाध्यक्ष नीति आयोग के नेतृत्व में 27-29 मार्च 2019 को बैंकाक में छठे एशिया - पैसिफिक सत्त विकास मंच (एपीएफएसडी) में भाग लिया। इसमें 'जन सशक्तीकरण और समावेशन एवं समानता सुनिश्चित करना' थीम पर हुए विचार-विमर्शों में सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के अंग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य हितधारक शामिल हुए और सात एसडीजी के समूह-4 (गुणवत्ता प्रद शिक्षा), 6 (बेहतर कार्य और आर्थिक वृद्धि, 10 (घटती असामनता), 13 (जलवायु), 16 (शांति) न्याय और सुदृढ़ संस्थान) और 17 (लक्ष्यों के लिए भागीदारी) की स्थिति की समीक्षा की। एक अन्य सत्र में एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में एसडीजी की निगरानी के संदर्भ में नीति आयोग का एसडीजी भारत सूचकांक 2018 प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 27 से 31 मई 2019 को बैंकाक में आयोजित एशिया और पैसीफिक आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के पचहतरवें सत्र में एसडीजी भारत सूचकांक 2018 प्रस्तुत किया गया।

सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनैतिक फोरम 2019

आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान के तहत न्यूयार्क, में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9-18 जुलाई 2019 तक 2019 में सत्त विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एच एल पी एफ) की बैठक आयोजित की गई। एच एल पी एफ-2019 में भारतीय प्रतिनिधि मंडलकी अगुवाई डा. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा की गई और इसमें संयुक्ता समादर, सलाहकार (एस डी जी और ग्रामीण विकास), नीति आयोग शामिल थे। फोरम की विषय-वस्तु 'लोगों को सशक्त बनाना और समावेशीता और समानता सुनिश्चित करना' थी। फोरम में 47 देशों ने अपनी राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षाएं(वी एन आर) प्रस्तुत की। भारत ने अपनी पहली वी एन आर 2017 में प्रस्तुत की और अपनी दूसरी वी एन आर जुलाई 2020 में अगली एच एल पी एफ में प्रस्तुत करना प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने यू एन महासभा को अपने संबोधन में एच एल पी एफ को एस डी जी में भारत की प्रगति प्रस्तुत की।

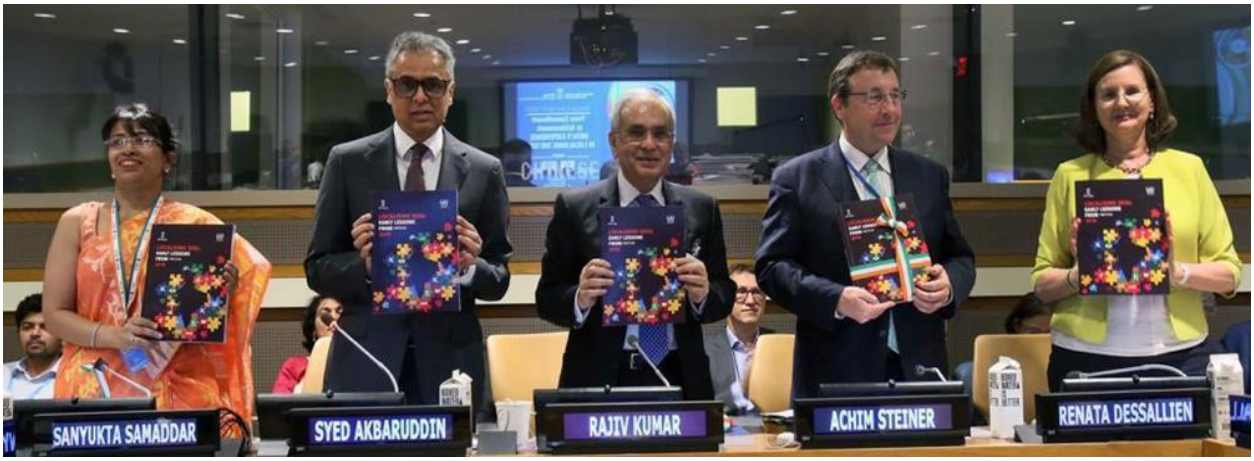

भारत में यू एन रेजीडेंट समन्वयक और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (पी एम आई) दोनों के साथ, नीति आयोग ने 16 जुलाई, 2019 को एक सहायक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शीर्षक 'प्रतिबद्धता से उपलब्धि की ओर: सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण में भारतका अनुभव' था। इस कार्यक्रम में सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों, मीडिया, एकेडिमिया और सिविल सोसायटी के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम के पैनल में सैयद अकबरूदीन (संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि), डा0 राजीव कुमार (उपाध्यक्ष, नीति आयोग) एचिम स्टेनर (अवर महासचिव और प्रशासक, यू एन डी पी),रेनाता लोक डेसालीन (भारत में यू एन समन्वयक) और संयुक्ता समादर, सलाहकार (एस डी

जी), नीति आयोग शामिल थे। संयुक्ता समादर ने एस डी जी स्थानीकरता पर भारत के अनुभव पर एक प्रस्तुतीकरण एस डी जी इंडिया इंडेक्स 2018 को एक बैंचमार्किंग और एडवोकिसी टूल के रूप में, उसकी निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए दिया ।

2020 में भारत का वीएनआर

जुलाई 2020 में न्यूयार्क में आयोजित होने वाले एचएलपीएफ में भारत के वीएनआर 2020 की प्रस्तुति अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय के साथ-साथ उप-राष्ट्रीय स्तर पर हितधारी परामर्श प्रक्रिया पहले ही लागू की जा चुकी है। इसके अलावा, चालू एजेंडे के एक भाग के रूप में नीति आयोग 5 एडीजी के कार्यान्वयन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता देना जारी रखे हुए है जिसका प्रमुख लक्ष्य एसडीजी संबंधी राज्य और जिला सूचकांक ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए क्षमता निर्माण है।

पर्यटन

पर्यटन वर्टिकल का उद्देश्य भारत में घरेलु और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों में पर्यटकों की संख्या को बढाने के लिए नीतियों को सहायता प्रदान करना और सुझाव देना है। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में जुलाई 2019 में पी एम ओ, साउथ ब्लाक में 'भारत में विदेशी पर्यटकों की आवक को बढ़ाने के उपाय' पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें नीति आयोग ने भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। नीति आयोग को पर्यटन वर्टिकल के बैठक में निर्णय लिए गए कार्रवाई बिन्दुओं को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

1. 7500 रूपये और उससे उपर के कमरों के किराये पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि 1000 रूपये से 7500 रूपये के बीच के कमरों पर कर को कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है। 1000 रूपये से कम के किराये के होटलों पर कोई कर नहीं लगेगा।

2. पांच वर्षों की अवधि के लिए ई टूरिस्ट वीजा की शुरूआत की गई है जो कि एक वर्षीय ई टूरिस्ट वीजा के अलावा है। यह वीजा 90 दिनों के अधिकतम ठहराव निर्धारण, बहु प्रवेश

योग्य और गैर विस्तारीय होगा। एक वर्षीय बहु प्रवेश ई टूरिस्ट वीजा के लिए शुल्क को कम करके 40 डालर कर दिया गया है।

3. दोहरे प्रवेश के साथ एक महीने वाले ई-टूरिस्ट वीजा को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। इस वीजा के साथ दूसरी अन्य गतिविधियां, कल्ब नहीं की जाएगी। ऑफ सीजन (अप्रैल से जून) में पर्यटन को बढ़ाने के लिए लोन अवधि के दौरान वीजा शुल्क को 25 डालर से कम करके 10 डालर कर दिया गया है।

4. सरकारी/पी एस यू/सम्मेलनों के लिए ई सम्मेलन वीजा की तरह से ई सम्मेलन वीजा को निजी व्यक्तियों/ कम्पनियों/ संगठनों द्वारा आयोजित निजी सम्मेलनों के लिए शुरू किया गया है। आयोजकों को सभी विवरणों और दस्तावेजों को गृह मंत्रालय की बेवसाइट https://conference.mha.gov.in पर अपलोड करना होगा।

5. हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उतराखंड और सिक्किम में स्थित लगभग 137 नई चोटियों को गृह मंत्रालय द्वारा विदेशियों, जो इस प्रयोजन के लिए पर्वतारोहण वीजा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, द्वारा पर्वतारोहण/ ट्रैकिंग के लिए खोला गया है।

6. प्रसिद्ध स्थल विकास: सभी प्रसिद्ध स्थलों के लिए मसौदा मास्टर योजना तैयार की जा रही है।

7. क्रूज पर्यटन: भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

8. वर्टिकल ने केन्द्र क्षेत्र स्कीम- भारत में प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्रों के विकास पर एक ई एफ सी नोट की भी जांच की।

सतर्कता अनुभाग

कार्यकलाप

सतर्कता आयोग नीति आयोग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा में कमी के सभी मामले को देखता है। यह नीति आयोग के सभी

कर्मचारियों और अधिकारियों की सतर्कता स्थिति और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भी जवाबदेह है।

1 जनवरी-16 दिसम्बर 2019 के बीच लगभग 600 सतर्कता निकासी जारी की गई। इस अवधि के दौरान कई RTI एवं ब्हिसल-ब्लोअर्स शिकायतों का भी निपटारा किया गया। कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों का निपटान किया गया।

सुरक्षात्मक सतर्कता

28 अक्तूबर से 2 नवंबर 2019 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसका विषय 'सत्यनिष्ठा: जीवन जीने का तरीका' थी। उपयुक्त स्लोगन के साथ इमारत में प्रमुख जगहों पर बैनर लगाए गए। ई-सत्यनिष्ठा शपथ, जैसा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उल्लिखित थी, का ई-मेल के जरिए प्रसार किया गया। सीसीएस (आचार) नियम, 1964 और सीसीएस (सीए) नियम, 1965 में निर्धारित नियमों और विनियमन के संबंध में जागरूकता लाने के उदद्देश्य से ई-मेल के जरिए कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता से संबंधित आचार नियमों और अन्य मुद्दों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को परिचालित किया गया।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निशेध एवं समाधान) अधिनियम 2013 के अनुसरण में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई।

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वैच्छिक संगठनों के बीच एक अच्छी साझेदारी सरकार को कई समस्याओं के नवप्रवर्तनकारी समाधान खोजने और सामाजिक क्षेत्र की पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। भारत सरकार देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वैच्छिक क्षेत्रक की सहयोगी भूमिका को मान्यता देती है। स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ का कार्य मुख्य रूप से देश में स्वेच्छा से कार्य करने की भावना को बढ़ावा देना है। प्रकोष्ठ के

कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं - स्वैच्छिक क्षेत्रक के नीतिगत दिशा निर्देशों को तैयार करना, राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्रक नीति 2007 का प्रचालन; स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा -निर्देश तैयार करना, गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों के डेटाबेस का रखरखाव आदि।

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ (वीएसी) की एक महत्वपूर्ण पहल एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों के एक इलेक्ट्रिानिक डेटाबेस को बनाए रखना है, जो देश में ऐसे संगठनों के संबंध में डाटा के इलैक्ट्रिक रख-रखाव के लिए एनजीओ दर्पण पोर्टल (पहले एनजीओ सहभागिता प्रणाली कहा जाता था) एक ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है। यह पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों के लिए देश में पारदर्शिता के साथ काम करने की गुंजाईश बनाने का भी प्रयास है।

संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ कार्य करने के लिए, एक एनजीओ सबसे पहले आवश्य विवरण प्रस्तुत करके एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर साईन-अप करना आवश्यक है। एनजीओ के माध्यम से स्कीमों को कार्यान्वियत करने वाले मंत्रालयों/विभागों को अपना पोर्टल विकसित करना अपेक्षित होता है और सूचना के समेकित प्रवाह को सुगम बनाने के लिए उसे दर्पण पोर्टल के साथ जोड़ना होगा। मंत्रालय/विभाग एनजीओ को अनुदानों के लिए उनके किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार करने से पहले समेकित प्रणली के माध्यम से एनजीओ के पूर्ण विवरण भी सत्यापित कर सकते हैं।

पोर्टल में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, संबंधित सभी मंत्रालयों के साथ 27 सितम्बर, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई। यह निर्णय लिया गया कि पोर्टल पर विशिष्ट आईडी नही रखने वाले एनजीओ को अनुदान जारी नहीं किए जाएं।
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए संख्या के लिए आवेदन करने/नवीनीकरण करवाने से पहले विशिष्ट आई डी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि अनुदानों के प्रस्तावों को केवल पोर्टल के माध्यम से ही प्रक्रियाबद्ध किया जाए।

हटिंग/हेल्पडेस्क नं. 14414 को वी ए सी में शीघ्र और सुगम शिकायत निवारण के लिए शुरू किया गया है। प्रत्येक माह लगभग 1200 शिकायतों का निवारण किया जाता है।

एनजीओ दर्पण के हेल्पडेस्क पर चैट बोट, वाइस बोट और आई वी आर एस:

एनजीओ दर्पण के हेल्पडेस्क पोर्टल पर चैट बोट, वाइस बोट और आई वी आर एस जैसी विशेषताओं की जांच की गई है और उन्हें शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। ये विशेषताएं हटिंग और हेल्पडेस्क संख्या 14414 के साथ कार्य करेंगी और मानवीय इन्टरफेस को कम करेंगी और शिकायत निवारण को शीघ्र और सुगम बनायेंगी।

एनजीओ दर्पण के साथ मंत्रालयों/विभागों की ऑनलाईन लिंकिंग/समेकन:

अनुदान प्रदान करने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों को नीति आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई वैब सेवाओं का प्रयोग करते हुए एनजीओ दर्पण के साथ सम्पर्क स्थापित करना होगा। नवीनतम बैठक 5 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई; 51 में से 30 अनुदान प्रदान करने वाले मंत्रालयों और विभागों में एनजीओं दर्पण के साथ अपने पोर्टल पर लिंक किया है।

केन्द्रीय और राज्य जीआईए स्कीमें:

वी ए सी ने केन्द्र और राज्य लगभग सभी नोडल अधिकारियों को डैश बोर्ड से लोगिन पहुच प्रदान कर दी है; परिणाम स्वरूप अनुदान प्रदान करने वाले 44 केन्द्रीय मंत्रालयों में सूचना अद्यतन कर दी है और राज्य एवं संघ प्रदेश इस कार्य को कर रहे हैं। सूचना को एनजीओ/सीएसओ के लाभ के लिए सार्वजनिक रूप से दर्शाया जाता है।

सेवा प्रदायगी के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ सतत सहभागिता हेतु एक स्थायी फोरम के रूप में कार्य करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। समिति सीएसओ निम्नलिखित क्षेत्रों पर विषेश रूप से ध्यान केंद्रित कर सकती हैः

1. स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता
2. बाल अधिकार / किशोर न्याय / बाल श्रम
3. बंधुआ मजदूर
4. महिलाओं और बच्चों की तस्करी
5. महिला सषक्तिकरण और सुरक्षा

6. दिव्यांगता और बाधा-मुक्त आवाजाही
7. वृद्धों की देखभाल
8. बुनियादी सुविधाएं और अवसंरचना
9. समावेशी और वैकल्पिक शिक्षा
10. कौशल विकास / व्यावसायिक प्रशिक्षण /उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
11. माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण
12. आपदा राहत / पर्यावरण संबंधी मुद्दे

समिति की पहली बैठक 16 मार्च, 2018 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और संबंधित विषयगत क्षेत्रों में अड़चनों की पहचान करने के लिए पांच उप-समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया, ताकि विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में नीतिगत और प्रचालनात्मक कठिनाईयों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। तदनुसार, निम्नलिखित पांच उप-समूहों का गठन किया गया है जिनमें अपने कार्य-क्षेत्रों के आधार पर समिति के सदस्य शामिल हैं :

उप समूह संख्या और विषय	**सदस्य**
उप समूह - I आजीविका (जनजातीय और अन्य कमजोर समूह और कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन)	**सीएसओः** प्रदान, इंडस्ट्री फाउंडेशन, बेयरफुट कॉलेज, आन्त्रेप्रेन्योर एसोसिएट्स, सीवाईएसडी, मिराडा **केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधिः** जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय **समन्वयक:** प्रदान
उप समूह - II स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता	**सीएसओः** अक्षय पात्र फाउंडेशन, सुलभ इटरनेषलन, रामकृष्ण मिशन, समर्थयम, नारायण सेवा संस्थान, हेल्प एज इंडिया, प्रभाव फाउंडेशन **केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधिः** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

	विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय **समन्वयक:** अक्षय पात्र फाउंडेशन
उप समूह - III शिक्षा	**सीएसओः** प्रथम, ऐड-इट-एक्शन, शास्त्र साहित्य परिषद **केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधिः** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, युवा कार्य विभाग और खेल विभाग **समन्वयक:** प्रथम
उप समूह - IV न्याय तक पहुंच (जेंडर / बाल अधिकार / बंधुआ मजदूरी / तस्करी / दिव्यांगता)	**सीएसओः** प्रयास, एमएसईएमवीएस, पीस ट्रस्ट, यतीम ट्रस्ट, मान देशी फाउंडेशन, एसईडब्ल्यूए **केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधिः** महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग **समन्वयक:** प्रयास
उप समूह - V स्वैच्छिक क्षेत्रक का स्व-विनियमन	**सीएसओः** सीवाईएसडी, आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस, हेल्प एज इंडिया **केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधिः** गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय **समन्वयक:** सीवाईएसडी

वीएसी को पंजीकरण, अद्यतनीकरण, संशोधन आदि के संबंध में नियमित कॉल और ई-मेल प्राप्त होती है चूंकि पैन और आधार को आवश्यक बना दिया गया है और उनका सत्यापन ऑनलाईन शुरू हो गया है।

महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास प्रभाग महिलाओं और बच्चों की जीवन रक्षा, विकास, सुरक्षा और भागीदारी को सुनिष्चित करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश उपलब्ध कराता है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखता है। इसका दोहरा उद्देश्य जहां आत्मविश्वास और सम्मान से जीने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी उनके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पालन-पोषण में सहायता करना और उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और रक्षात्मक माहौल देता है। यह विशेषक बच्चों और अव्यस्क लड़कियों में पोषकता सुधार और उनके समग्र विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभाग द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्न थेः-

प्रधानमंत्री मातृ वंदना (पीएमएमवीवाई) योजना की त्रैमासिक निगरानी

माननीय प्रधानमंत्री की उद्घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में देश के सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने हैं। सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं जिनका पहला गर्भधारण 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद हुआ है, मातृत्व लाभ पाने वालियों के अलावा, इसकी पात्र हैं। इसका उद्देश्य सबसे पहले नकद भत्ते के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति करना है ताकि महिलाएं अपने पहले जीवित बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके और दूसरे नकद भत्ते से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है। अधिदेश के अनुसार, नीति आयोग को मातृत्व लाभ कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, एमओडब्ल्यूसीडी से प्राप्त सूचना के आधार पर, 8 त्रैमासिक

रिपोर्टें तैयार की गई हैं और समीक्षा के लिए पीएमओ में भी भेजी गई हैं। नीति की निरंतर निगरानी और सरलीकरण प्रयासों के कारण, नवम्बर 2019 के अंत तक स्कीम से राष्ट्रीय रूप से 1.12 करोड़ लाभार्थी (गर्भवती महिलाएं औरदूध पिलानेवाली महिलाएं) लाभान्वित (4558.93 करोड़ की कुल राशि) हुए हैं।

खाद्य सुदृढ़ीकरण: नीति आयोग समेकित बाल विकास सेवाओं (आई सी डी एस) और मध्याह्न भोजन स्कीम जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में चावल गेहूं का आटा, डबल फोर्टिफाइड नमक, खाद्य तेल और दूध के सुदृढ़ीकरण के कार्यान्वयन को सुगम बना रहा है। एक बड़े कदम के रूप में, नीति आयोग में हितधारकों के साथ लगातार विचार-विमर्शों के पश्चात, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने तीन वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के सुदृढ़ीकरण और इसके वितरण के लिए केन्द्र की प्रायोजित स्कीम प्रस्तावित की है, जो प्रारंभिक रूप से 15 जिलों पर ध्यान केन्द्रित करेगी। स्कीम को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में अनुमोदित किया गया और यह देश में सूक्ष्म पोषण की कमी की समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

आईसीडीएस स्कीम का मूल्यांकन

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस स्कीम के तहत प्रमुख प्रक्रियाओं, कार्यान्वयन संरचना, कार्यक्रम निगरानी और प्रोत्साहन और मानव संसाधनों की हिस्सेदारी का विस्तृत आकलन करना है। अध्ययन को आर्थिक वृद्धि संस्थान, नई दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के शिक्षाविदों द्वारा किया जा रहा है।

आकांक्षी जिलों और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के क्षेत्रीय दौरे:-

डब्ल्यूसीडी प्रभाग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी), पीएमएमवीवाई और पोषण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्यनीतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2019 में आकांक्षी जिलों और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब का फील्ड दौरा भी किया।

केन्द्रीय लोक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को शामिल करना

नीति आयोग ने सुव्यवस्थित, मापनीय और सतत सुविधाओं के सृजन के जरिए आकांक्षी जिलों के सूचकांक में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को शामिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी), जीएआईएल, ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी), एनटीपीसी भारतीय पावर ग्रिड निगम (पीजीसीआई), राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और लोक उद्यम विभाग के कार्यकारी अध्यक्षों और लीडरों को उनके कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) ढांचे के जरिए शामिल करने के लिए एक सहभागी पारिप्रणाली पद्धति अपनायी गई है। नीति आयोग के 25 आकांक्षी जिलों में इसका विस्तार किया गया है। 99 परियोजनाओं में से कुल 64 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी है और फील्ड में 48.75 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

एमओडब्ल्यूसीडी स्कीमों का मूल्यांकन और निरीक्षण और आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल (सीसीईए) नोट

प्रभाग ने चैदहवें वित्त आयेाग के दौरान आईसीडीएस के तहत उप स्कीम को जारी रखने के लिए सीसीईए प्रारूप नोट की जांच की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत चावल और उसके वितरण के सार्वभौमिकरण अथवा सुदृढ़ीकरण पर ईएफसी टिप्पणी और इसके लिए पायलट स्कीम में संशोधन के लिए एसएफसी टिप्पणी की भी जांच की।

पीएम और महिला बाल विकास मंत्री की राज्यों की यात्राओं पर योजनाबद्ध संक्षेप

प्रभाग ने राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों पर संक्षेप भी तैयार किए। आईसीडीएस स्कीम के प्रदर्शन के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने के अलावा, राज्यों एवं संघ प्रदेषों में क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को भी रेखांकित किया और स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।

(महिला एवं बाल विकास पर अधिक जानकारी के लिए भाग 'ख'; नीति एवं कार्यक्रम फ्रेमवर्क देखें।

रिपोर्ट तथा प्रकाशन

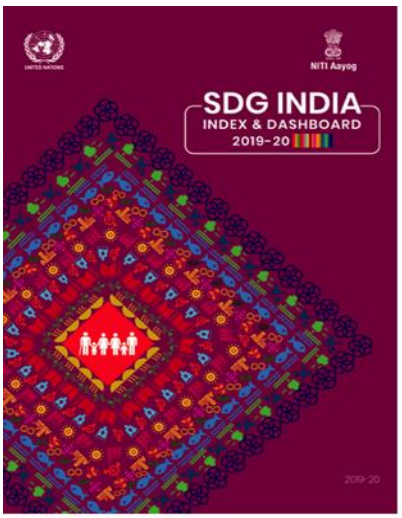

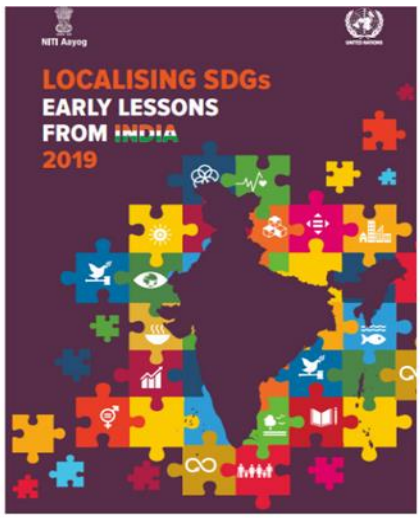

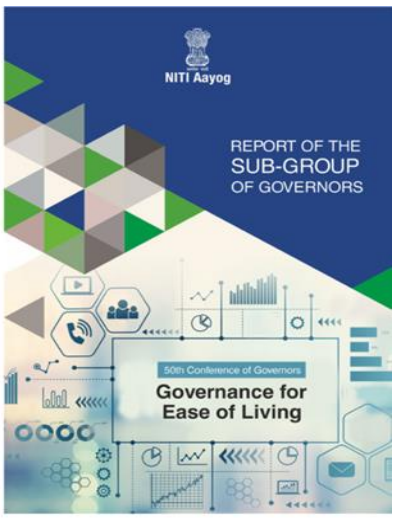

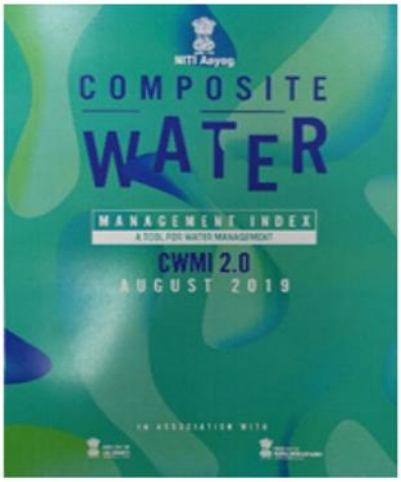

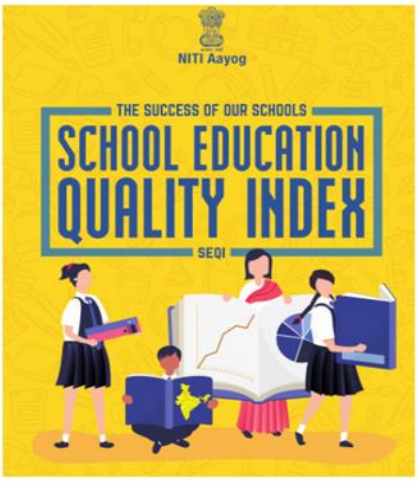

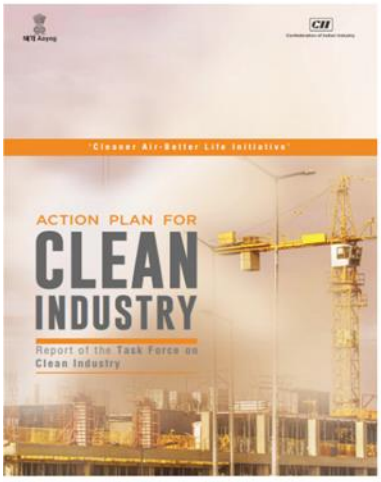
'Cleaner Air-Better Life Initiative'
ACTION PLAN FOR
CLEAN INDUSTRY
Report of the Task Force on Clean Industry

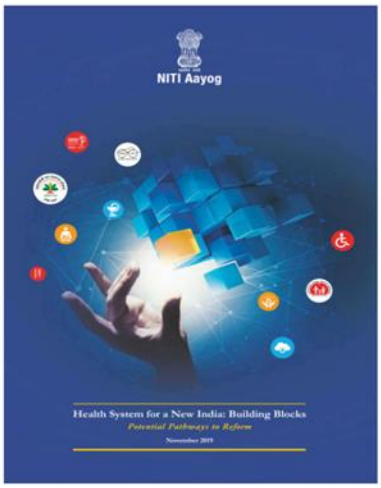
NITI Aayog
Health System for a New India: Building Blocks
Potential Pathways to Reform

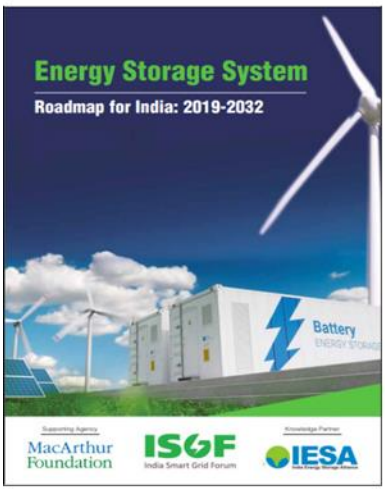
Energy Storage System
Roadmap for India: 2019-2032
Battery
MacArthur Foundation
ISGF
India Smart Grid Forum
IESA

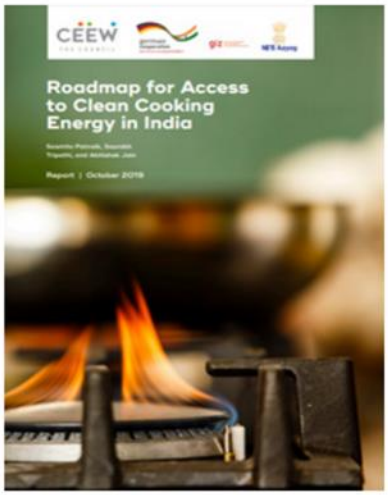
CEEW
Roadmap for Access to Clean Cooking Energy in India

NITI Aayog
REPORT OF THE TASK FORCE ON
PROJECT & PROGRAM MANAGEMENT

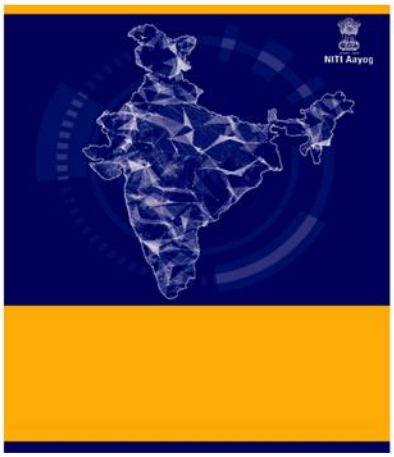
NITI Aayog

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2019-20		एसडीजी को स्थानीय रूप देना भारत से आंरभ में सीखी गई बातें		नीति आयोग राज्यपालों के उप-समूह की रिपोर्ट सुविधाजनक जीवन शैली संबंधी शासन

नीति आयोग कम्पोजिट वाटर प्रबधन इंडेक्स		नीति आयोग हमारे विद्यालयों की सफलता विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता इंडेक्स
नीति आयोग भारत नवाचार इंडेक्स 2019		हमारे अस्पतालों की स्थिति
स्वच्छ उद्योग के लिए कार्य योजना		नीति आयोग

स्वच्छ उद्योग के बारे में कार्य बल की रिपोर्ट		नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली: अनुकूल पहल सुधार के लिए संभावित राह नवंबर 2019
ऊर्जा भंडारण प्रणाली भारत के लिए रोडमैप: 2019-2032		भारत में स्वच्छ रसोई ऊर्जा की सुलभता हेतु रोडमैप
नीति आयोग परियोजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन		राष्ट्रीय आंकड़ा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म विज़न दस्तावेज

तालिका- 1.1: वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमोदित नए शोध अध्ययनों की सूची (15 नवंबर, 2019 तक)		
क्र.सं.	**विषय का नाम**	**संगठन का नाम**
1	स्वास्थ्य की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
2	स्वास्थ्य प्रणाली, शासन और मानव संसाधन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव।	आईआईपीएच गांधीनगर
3	स्वास्थ्य देखभाल व्यय और वित्त पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव	एनआईपीएफपी नई दिल्ली
4	नीति आयोग में काइज़न मूल्यांकन एवं प्रयोग	काइज़न इंस्टिट्यूट (एसएआईएन) एलएलपी, अहमदाबाद
5	पूर्ववर्ती आईईसी कार्यक्रम के स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए) का द्रुत मूल्यांकन	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली
6	समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राउंड II	डलबर्ग डिवल्पमेंट एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
7	स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन-परिवार कल्याण और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अम्ब्रेला योजना के एमआईएस घटक	आईसीआरआईईआर, नई दिल्ली
8	गीगा स्केल बैटरी विनिर्माण इकाइयों के लिए नीति कार्यक्रम की तैयारी	प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम
9	मुद्रीकरण के लिए गौण सम्पत्तियों की पहचान करना।	प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम
10	तेल और गैस परिसंपत्तियों में ओवीएल का विदेशी निवेश का विस्तृत विश्लेषण	पंडित दीन दयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू), अहमदाबाद
11.	नीतिगत ब्याज दरें, बाजार दरें, मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि	**फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर** (ईजीआरओडब्ल्यू), नोएडा
12	सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश में नीति	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति

	आयोग के सहायतार्थ राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान की भूमिका	संस्थान, नई दिल्ली
13.	एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन के लिए सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम का डिजाइन और वितरण	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद
14.	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के लिए पीपीपी फ्रेमवर्क	केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज (केपीएमजी), चेन्नै
15.	जीडीपी का अनुमान	क्वांटा एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
16.	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना / संशोधित टीयूएफएस के प्रभाव का आकलन	टेक्नोपक एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम
17.	नॉन-कोकिंग कोल वाशरी के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों पर शोध अध्ययन	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान(टीईआरआई), नई दिल्ली
18.	सार्वजनिक प्रबंधन चरम: प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित कुंभमेला 2019 पर एक शोध अध्ययन	प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज
19.	"भारत में विरासत प्रबंधन में चुनौतियों और नीतिगत अनिवार्यता" पर शोध प्रस्ताव	प्रकृति, कला और विरासत विकास और अनुसंधान संगठन (डीआरओएनएएच)

तालिका-1.2: वर्ष 2019-20 के दौरान पूरा किए गए शोध अध्ययनों की सूची (15 नवंबर, 2019 तक)

क्र.सं.	**विषय का नाम**	**संस्था / संगठन का नाम**
1	जम्मू और कश्मीर में उड़ान स्कीम की समीक्षा।	उद्योग और आर्थिक बुनियादी ढांचा अनुसंधान ब्यूरो प्रा. लिमिटेड, नई

		दिल्ली
2	विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए नैदानिक अध्ययन	क्रिसिल, गुरुग्राम
3	भारत में ताप विद्युत संयंत्र के लिए ऊर्जा-जल संबंध और कुशल जल प्रशीतन प्रौद्योगिकियां	ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, नई दिल्ली
4	पंजाब में राजकोषीय परिदृश्य: अतीत के रुझान, भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां	आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली
5	जन औषधि स्टोरों की प्रभावशीलता में सुधार करना	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम
6	2030 तक 300 गीगावॉट से 500 गीगावॉट तक की सौर परियोजना	क्रिसिल, गुरुग्राम
7	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर का पुनर्विकास	अर्न्स्ट एंड यंग प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
8	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर का पुनर्विकास	अर्न्स्ट एंड यंग प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
9	विमानपत्तन, शहरी रेल और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रकों पर केन्द्रित पीपीपी के लिए नूतन दृष्टिकोण	क्रिसिल, गुरुग्राम

तालिका-1.3: वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमोदित सेमिनार / सम्मेलन की सूची (15 नवंबर, 2019 तक)

क्र.सं.	**शोध अध्ययन का नाम**	**संगठन /संस्था का नाम**

1.	भारत नीति सम्मेलन में देश के शासन में नीति आयोग का योगदान	ग्लोबल यंग एक्शन नेटवर्क फाउंडेशन (ज्ञान), नई दिल्ली
2.	स्वास्थ्य देखभाल 2019 के लिए अंत:विषय दृष्टिकोण	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड विश्वविद्यालय), लावले
3.	प्राकृतिक उत्पाद, रसायन विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी में हाल ही में हुई उन्नति	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
4.	अंतरिक्ष सुरक्षा पर भारतीय परिप्रेक्ष्य	इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन, एयरोस्पेस एंड ड्रोन (आईएफएएडी), नई दिल्ली
5.	भारत में वृद्धि और क्षेत्रीय विकास: हाल के अनुभव और उभरते परिदृश्य	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली
6.	ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति	इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपाक्कम
7.	ग्रामीण भारत के बदलते परिदृश्य पर 27 वाँ वार्षिक सम्मेलन 2019	कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली

तालिका-1.4: वर्ष 2019-20 के दौरान लोगो उपयोग करने के लिए अनुमोदित संगठनों की सूची (15 नवंबर, 2019 तक)

क्र.सं.	**आयोजन का नाम**	**आयोजक का नाम**
1.	आईओटी इंडिया कांग्रेस, 2019	आईईटी सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट

		लिमिटेड, बैंगलोर
2.	5जी इंडिया 2019	भारत एग्जीबीशन (बीई) प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
3.	10 वीं विश्व अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस	ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन, नई दिल्ली
4.	9 वीं एलट्स नॉलेज एक्सचेंज	एलट्स टेक्नोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश
5.	सुरक्षित गतिशीलता: सुरक्षित भारत की ओर	भारतीय सड़क सुरक्षा अभियान, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य देखभाल संगोष्ठी: बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य नये अर्थ में	दि एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
7.	दूसरा भारतीय अभिनव बौद्धिक संपदा और प्रतियोगिता सम्मेलन	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद
8.	जेम जीरो एमिशन मोबिलिटी शो	कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली
9.	हीरो साइकिल विश्व साइकिल दिवस 2019	हीरो साइकिल लिमिटेड, गुड़गांव
10.	भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए फ्यूचर स्पेक्ट्रम रोडमैप	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, नई दिल्ली
11.	रीडिंग और डिजिटल रीडिंग पर राष्ट्रीय अभियान	पी.एन. पानीकर फाउंडेशन, तिरुवनंतपुरम
12.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भावी पीढी की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शासन, विकास	द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम),

	और व्यापार को सशक्त करना	अहमदाबाद
13.	विश्व वाई-फाई दिवस	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, नई दिल्ली
14.	ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में रोजगार सृजन में आईओटी का सकारात्मक प्रभाव	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, नई दिल्ली
15.	द्वितीय फिट इंडिया कन्क्लेव	आर्यन मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट, मुंबई
16.	फिक्की हील 2019: भारत में हेल्थकेयर की स्थित	दि फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), नई दिल्ली
17.	आयुष्मान भारत कॉन्क्लेव	दि एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
18.	दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2019-वित्तीय समावेश	सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली
19.	डिजिटल लाइब्रेरीज	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टी ई आरआई), नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मंच और पोर्टर पुरस्कार 2019	दी इंस्टीटूट फॉर कंपेटिटिवेनेस, गुरुग्राम
21.	एक्सेलरेट नॉर्थ ईस्ट एक्सपो-अवार्ड्स सम्मेलन	इन्डियन इम्पोर्टर्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
22.	एक्सपो अवार्ड्स स्टार्ट एंड स्टैंड अप नार्थ ईस्ट (एनईआर) पर दो दिवसीय सम्मेलन	एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल, नई दिल्ली

23.	एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स	एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स, मुंबई
24.	जलवायु परिवर्तन और आपदाएं: चुनौतियां, अवसर और प्रतिक्रियाएं	आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद
25.	भारतीय आजीविका सम्मेलन 2019	**एक्सेस** डेवल्पमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली
26.	वर्ल्ड ईव शो	**ट्रेसकॉन** ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
27.	माइक्रोसॉफ्ट समान अवसर पुरस्कार 2019	निपमैन फाउंडेशन, नई दिल्ली
28.	ब्रिज सम्मेलन 2019	आईसीटी अकादमी, चेन्नै
29.	ईएसएससीआई-उत्सव 2019	भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद
30.	हिमालय में सप्रिंगशेड प्रबंधन पर कार्यशाला: एकीकृत अभ्यास, अनुसंधान और नीति	भारतीय हिमालय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम
31.	भारत संसाधन कॉन्क्लेव	आर्थिक नीति अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़
32.	भारत बैंकिंग कॉन्क्लेव	आर्थिक नीति अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़
33.	भारत सैटकॉम-2019	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, नई दिल्ली
34.	जियोस्मार्ट इंडिया 2019 (20 वां संस्करण)	भू-स्थानिक मीडिया एवं संचार प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश
35.	सी आई आई डिजिटल अवसंरचना सम्मेलन 2019	भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई), नई दिल्ली
36.	ई पी सी 4.0 पर एक्सक्लूसिव राउंड टेबल	सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड, नोएडा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित

37.	भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर पर सत्र (ई-कामर्स सेक्टर के सतत विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना)	भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई), नई दिल्ली
38.	स्मार्टर ई/ पॉवर2ड्राइव 2019	मेसे मुएनचेन इंडिया प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
39.	पहले विश्व परियोजना प्रबंधन मंच(डब्लू पी एम एफ) को समर्पित 27 वीं वैश्विक संगोष्ठी	सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड, नोएडा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित
40.	तृतीय डिजिटल परिवर्तन सम्मेलन और पुरस्कार	सब इवेंट्स एंड गवर्नेंस नाउ लिमिटेड, मुंबई
41.	एसीई डायलॉग्स 2019	कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी ई ए एम ए), नई दिल्ली
42.	प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चुनौतियों और कार्यनीतियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी	असोचम, बंगलूरु
43.	तीसरे भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन	भारतीय वाणिज्य चैम्बर, कोलकाता
44.	फिन टेक सम्मेलन	प्रतिस्पर्धा संस्थान, गुडगांव
45.	विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन 2020	ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रतिष्ठान
46.	एशिया की सबसे बड़ी ई-मोबिलिटी नवाचार,	आईएसआईई भारत, नोयडा

	प्रौद्योगिकी जागरूकता, कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम	
47.	पहली अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी और प्रदर्शनी	आईआईटी, दिल्ली,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय संग्रहालय विभाग
48.	10 वां विश्व पेट्रो-कोल कांग्रेस	ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रतिष्ठान